लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र
Tenth Session)

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Preservation
27-5-92
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी म दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक 15, 4 दिसम्बर, 1964/13 अग्रहायण, 1886 शक

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
356	अफ्रीकी देशों को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल	1373–76
357	रूई का आयात . .	1376–77
358	घटिया किस्म का कोयला .	1378–79
359	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग	1379–83
360	मिल के कपड़े का उत्पादन तथा मूल्य . .	1383–87
361	प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार सम्मेलन	1387–88
362	निर्यातकर्ताओं के लिए गारण्टी योजनाएं	1388–90
363	कच्चे लोहे का उत्पादन .	1390–93
364	सीमेन्ट की कमी . . .	1393–95
365	लोहे तथा इस्पात का निर्यात . . .	1395–96
366	रेलवे कर्मचारियों के लिये राज्य सहायता प्राप्त अनाज की दूकानें	1396–97

अल्प सूचना प्रश्न—

संख्या		
2	झुग्गियों का गिराया जाना .	1397–99

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
367	दस्तूर एण्ड कम्पनी .	1399
368	बेबी फूड	1399–1400
369	बम्बई में विद्युत् ट्रेन दुर्घटना	1400
370	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के बीच उद्योगों का बांटा जाना .	1401
371	भारतीय रेलों के लिए विश्व बैंक का ऋण .	1401–02
372	चाय के मूल्य	1402
373	आयात के लाइसेंस	1402
374	कपड़े की उत्पादन लागत . . .	1403
375	माल को कपटता से छुड़ाकर चोरी	1403–04

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 15, *December* 4, 1964/*Agrahayana* 13, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
356	Indian Delegation to African Countries	1373–76
357	Import of Cotton	1376–77
358	Low Grade Coal . . .	1378–79
359	Small Scale Industries in Rural Areas . .	1379–83
360	Production and Price of Mill Cloth .	1383–87
361	GATT Conference	1387–88
362	Guarantee Schemes for Exporters . .	1388–90
363	Production of Pig Iron .	1390–93
364	Shortage of Cement	1393–95
365	Export of Iron and Steel	1395–96
366	Subsidized Grain Shops for Railwaymen .	1396–97

SHORT NOTICE QUESTION—

No.		
2	Demolition of Jhuggis	1397–99

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
367	Dastur and Co. .	1399
368	Baby Food	1399–1400
369	Accident to Electric Train in Bombay . . .	1400
370	Allocation of Industries between Public and Private Sectors .	1401
371	World Bank Loan for Indian Railways .	1401–02
372	Prices of Tea . .	1402
373	Import Licences . .	1402
374	Production Cost of Textiles . .	1403
375	Theft through Fraudulent Delivery of Goods . . .	1403–04

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
932	सैन्य ट्रेलर्स	1404
933	पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग	1404
934	रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनायें	1404–05
935	हाथियों का निर्यात	1405
936	स्वीडन में प्रदर्शनी	1405
937	डाक के डिब्बे	1405–06
938	ईराक के साथ व्यापार	1406
939	गया-मुगलसराय यात्री गाड़ी की दुर्घटना	1406–07
940	गोआ में छर्रे बनाने का यंत्र	1407
941	गोआ में लौह अयस्क संयंत्र	1407–08
942	सब्जी विक्रेता संघ, भोपाल	1408
943	वेतन आयोग की सिफारिश	1408
944	कोयला धोने वाले कारखाने	1409
945	चार पहिये वाले वैगनों का निर्यात	1409–10
946	ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण	1410–11
947	साफ्ट कोक बोर्ड	1411
948	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	1411–12
949	रेलवे हस्पताल	1412
950	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास स्थान	1412–13
951	उत्तर भारत प्रादेशिक निर्यात सलाहकार समिति	1413
952	उदयपुर में जस्ता संयंत्र परियोजना	1413
953	मोटर के नकली पुर्जे	1413–14
954	जापान को चाय का निर्यात	1414
955	पंजाब में औद्योगिक इकाइयां	1414
956	नंगल बांध में पर्यटकों के लिए सुविधायें	1414–15
957	बैलाडिल्ला लौह अयस्क परियोजना	1415
958	रेलवे इण्टरमीयिएट कालेज	1415–16
959	खनन इंजीनियर	1416
960	काली मिर्च की कीमत	1416
962	अदन को पुस्तकों का निर्यात	1416–17
963	हाथ से चलाये जाने वाले बिजली के हलों का निर्माण	1417
964	पौलेण्ड के साथ व्यापार	1417
965	चन्दन की लड़की का तेल	1417
966	साहेबपूर कमाल स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतरना	1418
967	स्थानीय रोरो सिंचाई योजना का चैनल	1418

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
932	Army Trailors	1404
933	Sericulture Industry in Punjab	1404
934	Level Crossing Accidents	1404–05
935	Export of Elephants	1405
936	Exhibition in Sweden	1405
937	Mail Vans	1405–06
938	Trade With Iraq	1406
939	Gaya Mughal-Sarai Passenger Train Accident	1406–07
940	Pelletization Plant in Goa	1407
941	Iron Ore Plant in Goa	1407–08
942	Vegetable Merchants' Association, Bhopal	1408
943	Recommendation of Pay Commission	1408
944	Coal Washeries	1409
945	Export of Four Wheeler Wagons	1409–10
946	Manufacture of Transistor Radio	1410–11
947	Soft Coke Board	1411
948	Export of Handicrafts	1411–12
949	Railway Hospitals	1412
950	Accommodation for Railway Staff in Delhi	1412–13
951	Northern India Regional Export Advisory Committee	1413
952	Zinc Plant Project at Udaipur	1413
953	Spurious Motor Parts	1413–14
954	Export of Tea to Japan	1414
955	Industrial Units in Punjab	1414
956	Amenities to Tourists at Nagal Dam	1414–15
957	Bailadilla Iron Ore Project	1415
958	Railway Intermediate College	1415–16
959	Mining Engineers	1416
960	Price of pepper	1416
962	Export of Books to Aden	1416–17
963	Manufacture of Hand guided power Tillers	1417
964	Trade with Poland	1417
965	Sandal Wood Oil	1417
966	Derailment at Sahabpur-Kamal Station	1418
967	Channel of Local Roro Irrigation Scheme	1418

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
968	पोलीथिलीन का आयात	1418–19
969	साबुन बनाना	1419
970	काफी का उत्पादन और निर्यात	1419–20
971	विकास परिषदें	1420
972	सांभर में नमक का निर्माण	1420
973	दुर्लभ अलौह धातुओं के स्थान पर काम आने वाली अन्य धातुयें	1420
974	साइकिल के टायरों में काला बाजार	1421
975	मुरशादपूर के पास रेलवे लाइन	1421
976	कोयला खनन मशीन परियोजना	1421–22
977	गंगा नदी पर नाव सेवा	1422
978	पूर्वोत्तर रेलवे पर धोखाधड़ी	1422
979	पूर्वोत्तर रेलवे पर टी० टी० ई०	1422–23
980	मैसूर स्टील एण्ड आयरन कम्पनी	1423
981	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियां	1423
982	औद्योगिक उत्पादन	1424
983	संभरण तथा निबटान का उप-महानिदेशक	1424
984	रेलवे मंत्री का सहायता तथा कल्याण कोष	1425
985	टांके लगाने वाला इस्पात	1425
986	उत्तर प्रदेश में बेबीफूड कारखाना	1426
987	कागज बनाने और छपाइ की मशीन	1426
988	दिल्ली में औद्योगिक बस्ती	1426–27
989	राजनैतिक संस्थाओं को रेलवे पास	1427
990	हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	1427
991	शराब का आयात	1427–28
992	उमरेर कोयला खान	1428
993	उमरेर बूटीबोरी रेलवे लाइन	1428
994	इम्फाल और ऐजल के बीच लिंक लाइन	1428
995	भूरा लोहा कारखाना	1429
996	टेपिओका का निर्यात	1429
997	ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन	1429–30
998	इंजीनियरिंग क्षमता	1430
999	कुवत सेशिष्ट मण्डल	1430
1000	आसाम में बुनकर सेवा केन्द्र	1431
1001	कटिहार जंक्शन पर गाड़ी बदलने की कठिनाइयां	1431
1002	कोयले की खपत	1431–32

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
968	Import of Polythylene	1418–19
969	Manufacture of Soap	1419
970	Production and Export of Coffee	1419–20
971	Development Councils	1420
972	Manufacture of Salt at Sambhar	1420
973	Substitution of Non ferrous Scarce Materials	1420
974	Black marketing in Cycle Tyres	1421
975	Railway Line near Murshadpur	1421
976	Coal Mining Machinery Project	1421–22
977	Ferry Service over River Ganga	1422
978	Fraud on N. E. Railway	1422
979	T. T. Es. on N. E. Railway	1422–23
980	Mysore Iron and Steel Company	1423
981	Industrial Co-operatives in Uttar Pradesh	1423
982	Industrial Production	1424
983	Deputy D. G. S. & D.	1424
984	Railway Minister's Relief and Welfare Fund	1425
985	Welding Steel	1425
986	Baby Food Factory in U. P.	1426
987	Paper Making and Printing Machinery	1426
988	Industrial Estate in Delhi	1426–27
989	Issue of Passes to Political Organisations	1427
990	Heavy Electricals (India) Ltd.	1427
991	Import of Liquor	1427–28
992	Umrer Colliery	1428
993	Umrer Butibori Railway Line	1428
994	Rail Link between Imphal and Aijal	1428
995	Grey Iron Foundry	1429
996	Export of Tapioca	1429
997	Registration of Contractors	1429–30
998	Engineering Capacity	1430
999	Delegation from Kuwait	1430
1000	Weaver's Service Centre in Assam	1431
1001	Transhipment difficulties at Katihar Junction	1431
1002	Consumption of Coal	1431–32

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1003	तोरिया और तोरिया के तेल का वायदा व्यापार	1432
1004	रायल्टी के बकाया की वसूली	1432
1005	मैंगनीज की उत्पादन लागत	1433
1006	रूरकेला में लौह अयस्क की जरूरत	1433
1007	पश्चिम रेलवे पर रेल-लारी टक्कर	1433
1008	टेल्को को ऋण	1433–34
1009	जोर्डन के साथ व्यापार करार	1434
1010	तिरूर में ऊपरी पुल	1434
1011	केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	1434
1012	गाड़ियों को रोका जाना	1434–35
1013	आस्ट्रेलिया को निर्यात	1435
1014	पूर्व रेलवे पर राजेन्द्र पुल	1435
1015	आन्ध्र प्रदेश में स्टेशनों को नया रूप देना	1435–36

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर में कथित हड़ताल

श्री यशपाल सिंह . . 1436–37

श्री सत्य नारायण सिंह . 1437

सभा पटल पर रखे गये पत्र . 1437–39

राज्य सभा से सन्देश . 1439

सदस्य की रिहाई . . 1439

सभा का कार्य . . . 1439–42

कारों के निर्माण, खपत तथा मूल्य के बारे में चर्चा—

श्री बागड़ी . . . 1442–43

श्री प्र० के० देव . . . 1443–44

श्री हनुमन्तैया . . . 1444

श्री भागवत झा आजाद . . 1444–45

डा० राम मनोहर लोहिया . . 1445–46

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . 1446

श्री रामेश्वर टांटिया . . 1446–47

श्री बड़े . . . 1447–48

महाराजकुमार विजय आनन्द 1448

श्री स० मो० बनर्जी . 1449

श्री हिम्मतसिंहका . 1450

श्री दा . 1451–52

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1003	Forward Trading in Taramers Seed and Oil	1432
1004	Mining Royalties	1432
1005	Production cost of Manganese . . .	1433
1006	Requirement of Iron Ore in Rourkela . .	1433
1007	Train Lorry Collision on Western Railway .	1433
1008	Loan to TELCO	1433-34
1009	Trade Agreement with Jordon . . .	1434
1010	Tirur Over-Bridge	1434
1011	Electrification of Railway Lines in Kerala .	1434
1012	Holding up of Trains	1434-35
1013	Export to Australia . .	1435
1014	Rajendra Pul on E. Railway . .	1435
1015	Remodelling of Stations in Andhra Pradesh . . .	1435-36

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Reported strike in Indian Telephone Industries, Bangalore

Shri Jash Pal Singh	1436-37
Shri Satya Narain Sinha . .	1437

PAPERS LAID ON THE TABLE	1437-39
MESSAGE FROM RAJYA SABHA .	1439
RELEASE OF MEMBER .	1439
BUSINESS OF THE HOUSE	1439-42

DISCUSSION *RE.* MANUFACTURE, CONSUMPTION AND PRICE OF CARS—

Shri Bagri	1442-43
Shri P. K. Deo . .	1443-44
Shri Hanumanthaiya .	1444
Shri Bhagwat Jha Ajad . .	1444-45
Dr. Ram Manohar Lohia	1445-46
Shri Harish Chandra Mathur . .	1446
Shri Rameswar Tantia . .	1446-47
Shri Bade	1447-48
Maharajkumar Vijaya Ananda	1448
Shri S. M. Banerjee . .	1449
Shri Himatsingka . .	1450
Shri Daji	1451-52

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बावनवां प्रतिवेदन .	1452
विधेयक पूरास्थापित—	
(1) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 302 का संशोधन) (महाराजकुमार विजय आनन्द का) . .	1453
(2) राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक (महाराजकुमार विजय आनन्द का) . .	1453
(3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री मलाई छामी का)	1453
(4) सिख गुरुद्वारा विधेयक (श्री अ० सिं० सहगल का) . .	1454
संविधान (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत—	
(अनुच्छेद 370 का हटाया जाना) (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) .	1454–59
विचार करने का प्रस्ताव . .	
श्री नन्दा .	1454–58
श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . .	1458–59
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख . .	1459
हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक—	
(धारा 13 का संशोधन) (श्री दी० चं० शर्मा का) .	1460–63
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा . . .	1460–61
श्री मानसिंह पृ० पटेल	1461
श्रीमती यशोदा रेड्डी	1461
श्रीमती सावित्री निगम	1461
श्री जगन्नाथ राव . . .	1462
खण्ड 2 और 1	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	1463

Subject	Pages
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—	
Fifty second report	1452
BILLS INTRODUCED—	
Indian Penal Code (Amendment) Bill (*Amendment of section* 302) by Maharajkumar Vijaya Ananda .	1453
National Rifle Training Scheme Bill by Maharajkumar Vijaya Ananda	1453
Representation of the People (Amendment) Bill by Shri M. Malaichami	1453
Sikh Gurdwaras Bill by Shri A. S. Saigal	1454
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Negatived*—	
(*Omission of article* 370) by Shri Prakash Vir Shastri . .	1454-59
Motion to consider	
Shri Nanda .	1454-58
Shri Prakash Vir Shastri .	1458-59
Shri Shivaji Rao S. Deshmukh .	1459
HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL—	
(*Amendment of section* 13) by Shri D. C. Sharma .	1460-63
Motion to consider	
Shri D. C. Sharma .	1460-61
Shri Man Singh P. Patel .	1461
Shrimati Yashoda Reddy . . .	1461
Shrimati Savitri Nigam	1461
Shri Jaganatha Rao .	1462
Clauses 2 and 1	
Motion to pass, as amended	
Shri D. C. Sharma . . .	1463

विषय	पृष्ठ
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक——	
(धारा 7 का संशोधन)	
(श्री दी० चं० शर्मा का)	1464
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	1464

Subject	*Pages*
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—	
(*Amendment of section* 7) by Shri D. C. Sharma .	1464
Motion to consider	
Shri D. C. Sharma	1464

लोक–सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1964/13 अग्रहायण, 1886 (शक)
Friday, December 4, 1964/Agrahayna 13, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[The Lok Sabha met at Eleven of the clock]

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair.]

अध्यक्ष महोदय : मुझे भवन में देर से पहुंचने के लिए यहां माननीय सदस्यों से समक्ष जवाब देना होगा। क्या अन्य सदस्यों का ऐसा विचार नहीं ?

एक माननीय सदस्य : हां, श्रीमन्।

श्री शिव नारायण : इस समय ग्यारह बज ही रहा है।

अध्यक्ष महोदय : तब हमें यहां समय पर पहुंचना चाहिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अफ्रीकी देशों को भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल

*356. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री नारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री बुटा सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उटिया :
श्री ओझा :
श्री रामहरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योगपतियों के सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल ने गत अक्तुबर में कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है; और

(घ) अफ्रीकी देशों का उनका दौरा कहां तक सफल सिद्ध हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां। एक 13 सदस्यीय भारतीय उद्योगपतियों के सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल ने, जो कि भारत सरकार की प्रार्थना पर भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों के संघ द्वारा भेजा गया था, सितम्बर-अक्तुबर, 1964, में इनका दौरा किया :--

1. नाइजीरिया
2. घाना
3. सूडान
4. इथियोपिया
5. केनिया
6. युगांडा
7. टांगानिका
8. मलावी
9. ज़ेम्बिया

(ग) और (घ) : प्रतिनिधि मंडल ने अपना प्रतिवेदन हाल ही में पेश किया है और इसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखवा दी गयी हैं। प्रतिनिधि मंडल के दौरे ने अफ्रीकी देशों के प्रति हमारी सद्-भावना प्रदर्शन किया है और दौरा किये गये देशों के अधिकारियों व व्यापारी-वर्गों पर, उनके औद्योगिक तथा विकास कार्यक्रमों में भारत द्वारा सहायता देने की क्षमता के बारे में अच्छा प्रभाव डाला है।

Shri Rameshwar Tantia : Whether the delegation is of the view that there is capacity for Indian industrialists to set up industries in those countries; and if so, whether the Government would consider exporting machines, etc. to those countries?

Shri Manubhai Shah : Yes, Sir, both the things are in our view.

Shri Rameshwar Tantia : Whether the Government would allow import incentive on those machines to be exported, in the same way as is being done in case of other exports?

Shri Manubhai Shah : That is a matter of details and will be dealt with only when the project comes up before the Government.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या अफ्रीकी देशों में चाय, जूट तथा सूती कपड़ों की व्यापार-वृद्धि की हमारी नीति के अनुसरण में इस प्रतिनिधि-मण्डल में इन उद्योगों के कुछ प्रतिनिधि भी थे, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, आपको सदस्य-सूची देख कर इस बात का पता चलेगा कि प्रतिनिधि-मण्डल में भारतीय उद्योग के कई प्रकार के प्रतिनिधि थे। सच तो यह है कि इस में चाय उद्योग के प्रतिनिधि इसलिए सम्मिलित नहीं थे क्योंकि यह उद्योग और कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री कपूर सिंह : इस प्रकार के सद्भावना-मण्डलों या प्रतिनिधिमण्डलों से क्या आशा की जा सकती है जब कि इन नये अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारें वहां के पुराने भारतीय निवासियों को साधारण रूप से व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते ?

श्री मनुभाई शाह : वे यहां बहुत कुछ कर चुके हैं। हम उन सरकारों की अनुमति से अब यूगांडा में चीनी के 4 कारखाने, केनिया में एक सूती कपड़ा मिल, और नाइजीरिया में शायद 2 जूट मिलें स्थापित कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ी मात्रा में सद्भावना बढ़ा दी है। सच तो यह है कि किसी भी प्रश्न को दो पहलू हुआ करते हैं।

श्री श्याम लाल सराफ : क्या सुसंस्थापित उद्योगपतियों को उन देशों में पूंजी-विनियोजन के लिये सरकारी विशेषज्ञों द्वारा पथ प्रदर्शन उपलब्ध किया जा सकेगा ? और क्या सहयोग के आधार पर ये योजनाएँ चलाई जाएंगी अथवा भारतीय उद्योगपति अपने संयंत्र आप ही स्थापित करेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : सौभाग्यवश हमारे देश में प्रविधियों की संख्या पर्याप्त है जिनको हम सदा इस काम के लिए और जगहों पर भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक संयुक्त उद्यम का प्रश्न है यह सम्बद्ध देश की राष्ट्रीय नीति पर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार का फार्मूला अपनाया जाय। उदाहरणतः, एथियोपिया में वहां के सम्राट शत प्रतिशत भारतीय उद्योगों को स्थापित करने तक की अनुमति देते हैं अथवा राज्य के स्तर पर इस प्रकार के भागीदार बनने की इजाजत देते हैं। कुछ अन्य देशों में, जैसे यूगांडा में इस प्रकार का फार्मूला है कि यूगांडा 45 प्रतिशत पूंजी लगाएगा, भारतीय पूंजी 45 प्रतिशत होगी और यूगांडा स्थित भारतीय 10 प्रतिशत पूंजी लगाएंगे। अतः प्रत्येक देश की राष्ट्रीय औद्योगिक एवं आर्थिक नीति के अनुसार हमारे इस फार्मूला में फेरबदल होता रहेगा।

श्री अल्वारिस : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूंजी-विनियोजन के लिए संसाधनों की कमी है, क्या सरकार अभी भी इस बात को वांच्छनीय समझती है कि अफ्रीकी देशों में हमारी पूंजी का निर्यात हो ?

श्री मनुभाई शाह : हम इस प्रकार की नीति को इसलिए वांच्छनीय समझते हैं क्योंकि इस से जहां एक ओर उस खण्ड का विकास होने के साथ-साथ अफ्रीकी, एशियाई और लातीनी अमरीका को लाभ होंगे वहां दूसरी ओर भारत को भी लाभ होगा। कारण यह है कि यह काम पारस्परिक आश्रय एवं सहयोग के आधार पर होगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जिस समय इस प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीकी देशों का दौरा किया था, क्या उस समय वहां की उन सरकारों के साथ ये संयुक्त उद्यम चलाने की बातचीत से पहले इस प्रतिनिधि-मण्डल ने वहां रहने वाले भारतीय व्यापारियों से सविश्वास बातचीत की थी, ताकि उन लोगों में विश्वास पैदा हो क्योंकि वे उन सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से कठिनाइयों में पड़ जाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने सही बताया है। ठीक यही हमारा दृष्टिकोण है। सर्वप्रथम वहां के स्थानीय भागीदार इन भारतीय उद्यमों में शामिल होंगे। अतः, स्वभावतः, वहां के भारतीयों की सद्भावना ही सर्वप्रथम अपेक्षत है।

Shri Bagri : In view of our acute resources position resulting in the backwardness of our country in the field of industry, and also that the permission has been

accorded to the Indian industrialists for investing their capital in foreign countries, does Government not think that our industries will lag behind and, therefore, think of placing some restrictions in this regard ?

Shri Manubhai Shah : We are not lagging behind in industries; and this much is certain that it will take us a long time to industrialise our countries to the extent desirable. As regards allowing & assisting our industrialists to invest their capital in foreign countries, I may say that it will boost our own industrialisation, no doubt. Our brethren & friends in Africa and Asia, who are backward, will benefit from our technical know how and entrepreneurs.

Shri R. S. Tiwary : In view of the fact that Indians settled abroad are being ousted and Indians here are preparing to go to foreign countries for settlement, would our Government secure a guarantee to the effect that Indians are not given such a treatment in future and are not ousted from those countries ?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise from the present question.

श्री कृ० चं० पन्त : इस प्रतिनिधिमण्डल ने केवल कुछ एक अफ्रीकी देशों का दौरा किया। क्या सरकार इसी प्रकार के प्रतिनिधिमण्डल अन्य अफ्रीकी देशों को भी अधिक संख्या में भेजना और उन देशों के प्रतिनिधिमण्डलों को भारत का दौरा करने का प्रोत्साहन देना चाहती है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में यह प्रश्न केवल एक प्रतिनिधिमण्डल से सम्बद्ध था। दूसरा छोटा-सा प्रतिनिधिमण्डल सियराल्यूने और लीबिया गया था, तीसरा प्रतिनिधिमण्डल चार दक्षिणी नाइजीरियाई राज्यों को गया था और चौथा प्रतिनिधिमण्डल फ्रांसीसी अफ्रीकी क्षेत्र के दौरे पर गया था। हकीकत यह है कि अफ्रीका के निमित्त आर्थिक आयोग के महासचिव अपने प्रतिनिधिमण्डल सहित यहां संयुक्त सहयोग पर चर्चा करने आये थे।

Import of cotton

*357. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the reasons for high prices of cotton this year;

(b) whether it is proposed to import some cotton from foreign countries; and

(c) if so, the names of the countries and the quantity to be imported ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library.** *See* No. LT—3608/64.]

Shri Prakash Vir Shastri : As is clear from the statement, a large amount of Cotton is imported into India from foreign countries. Is Cotton imported from foreign countries simply for the fact that India cannot produce adequate amount of cotton to the extent of her export of cotton textiles ?

Shri Manubhai Shah : Import of cotton is to meet our own consumption. As will be clear from the statement, our production this year will be 60 lakh bales, whereas our consumption is estimated at 66 lakh bales. About 3 or 4 lakh bales of a lower quality, out of those 60 lakhs, is exported; and in this way we are short of about 7 or 8 lakh bales.

Shri Prakash Vir Shastri : What percentage of the imported cotton is exported in the form of textiles, and whether any steps are being taken also to promote the production of cotton in India ?

Shri Manubhai Shah : With reference to the last part of the question in respect of promoting the production of indigenous cotton, it will be clear from the statement that 28 lakh bales were produced before partition in India, whereas the present figure of production is 61 lakh bales. So far as the import & export of cotton are concerned , we export textiles and not cotton. The cotton used in textile is a mixed one, comprising our indigenous cotton and the imported cotton. The deficit in our indigenous production is met with the imported cotton.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, my question was whether we export the same percentage of textiles as we import in the form of cotton, or that the percentage of export is less than the import.

Shri Manubhai Shah : We export more in percentage.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Would not this import of cotton adversely affect our expansive cotton-growing area, extending from Ferozepur to Hansi, resulting in loss to cotton growers ? Will not a fall in the prices of their product put them to a loss ?

Shri Manubhai Shah : Where is the price falling ? The prices are already touching very high.

श्री मान सिंह पू० पटेल : विगत वर्ष के इस अनुभव को दृष्टि में रखते हुए कि दक्षिण गुजरात क्षेत्र में काफी रुई इकट्ठी हुई थी जो बाद में माननीय मंत्री के बीच में पड़ने से ही उठाई गई, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रुई की वर्तमान उपलब्ध किस्मों के अनुसार ही नीति का नवीनीकरण होगा ?

श्री मनुभाई शाह : श्रीमान्, यह पुरानी कहानी है । अब कोई रुई इकट्ठी नहीं हुई है । आजकल रुई की बड़ी तेज मांग है ।

Shri Bade : Whether it is a fact that the long staple cotton is imported for making fine cloth therefrom in the country ? Also, whether it would be possible to control the demands of the manufacturers of fine cloth so that our foreign exchange expended on the import of long staple cotton is saved ?

Shri Manubhai Shah : We import both long staple and medium staple cotton according to our needs. So far as controlling fine cloth is concerned, I would like to clear the misunderstanding of the hon. member in informing him that the fine cloth like Saris, Dhotis, and the like are also used by a common man in India; these are used by about 80 per cent people here. This should not, therefore, be understood that the fine cloth is used by the rich people only.

डा० सरोजिनी महिषी : वर्तमान वर्ष में मिलों में कितनी अधिक रुई का इस्तेमाल हुआ, और पिछले वर्ष के मुकाबले में यह वृद्धि कितनी थी तथा उस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई है क्योंकि सूती कपड़ा मिलों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, निर्यात भी बढ़ते जा रहे हैं और हाथकरघे के कपड़ों का निर्यात भी बढ़ता जा रहा है । अतः, देश-भर में, बिजली के करघों, हथकरघों, खादी और मिलों में बनने वाले कपड़ों का उत्पादन बढ़ रहा है ।

घटिया किस्म का कोयला

* 358. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायण दास :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरूआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र में सिंगरेनी में तथा अन्य स्थानों में घटिया किस्म के कोयले को "कोक" में बदलने की सम्भावना पर विदेशी फर्मों से परामर्श लेने के प्रयत्नों के कोई परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र. च. सेठी) : (क) और (ख) जी हां, अमरीका की एक फर्म ने भारतीय कोयले के कुछ नमूने कोथागूदियम (सिंगरेनी), कुरासिया तथा बिसरामपुर (मध्य प्रदेश) से लेकर नान-कोकिंग कोयले को धातुयुक्त कोयले में परिवर्तित करने की सम्भावना की जांच के लिये, प्रयोगशाला में प्रारम्भिक परीक्षा की। फर्म ने रिपोर्ट दी है कि इस कोयले से धातुयुक्त कोक बनानेकी धारणा की पुष्टि के लिये प्रारम्भिक परिणाम काफी प्रोत्साहक हैं। फर्म द्वारा भेजी गई सूचनाका अध्ययन किया जा रहा है और आगे स्पष्टीकरण कराया जा रहा है ताकि यह निश्चय हो सके कि क्या इस विधि को वाणिज्य-स्तर पर लाने की सम्भावना हो सकती है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया किस्म के कोयले में बदलने के विषय में सरकार और किसी देश से बातचीत कर रही है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी नहीं। वे हमारी केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था में ही प्रयोग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में और किसी देश का नाम नहीं आता।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि वह घटिया किस्म का कोयला बढ़िया किस्म में परिवर्तित हुआ तो इससे सरकार को कितना वित्तीय लाभ होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : भारत में धातुयुक्त कोयले की कमी है, अतः यदि हमें कोई मितव्ययी विधि मिल सके तो उससे हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि खदानों के मालिक घटिया किस्म का कोयला नहीं बेच रहे हैं; और यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के कोयले को, कोक में बदलने के अतिरिक्त, किसी ऐसी विधि से जैसे कोयला धोने के कारखानों आदि की सहायता से, बढ़िया किस्म का कोयला बनाने के विषय में सोच रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : भारत में कोयला धोने के कई कारखाने हैं। किन्तु मात्र कारखानों से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। कोयले को परिवर्तित करना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया या विधि में बहुत लागत आएगी--एक ऐसा सवाल है जिसकी जांच करनी पड़ेगी।

श्री दे० द० पुरी : फर्म द्वारा व्यक्त किए गए प्रारम्भिक विचारों के आधार पर इस संयंत्र में लगभग कितना पूंजीविनियोजन होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। एक छोटा-सा प्रयोग किया गया था, और यह पाया गया कि कोयले को बदलना संभव है, किन्तु इसकी लागत, आदि के बारे में अभी सोच-विचार करना होगा। हमारी केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था का मत अमरीकी कम्पनी द्वारा दिए गए मत से कुछ भिन्न है।

श्री कृ० चं० पन्त : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि भारत में बढ़िया किस्म के कोयले की कमी है। क्या सरकार का ध्यान पत्रों के इस समाचार की ओर गया है कि भारत में अभी हाल में बढ़िया किस्म के कोयले की खोज हुई है, और यदि हां, तो क्या उसके सम्बन्ध में मात्रा, आदि का भी ज्ञान सरकार को है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं, हमारे पास कोई भी ब्योरा नहीं आया है। इस मामले की अभी और जांच करनी है तभी हम यह कह सकते हैं कि बढ़िया किस्म का कोयला भारत में मौजूद है।

Small-scale Industries in Rural Areas

*359. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government for implementing the suggestion made by the Prime Minister regarding the establishment of small-scale industries in rural areas;

(b) the reasons for the slow progress in establishing these industries in the rural areas in the past; and

(c) the broad outlines of the scheme formulated by the Ministry for expansion of these industries in the rural areas and the manner in which it is to be implemented ?

The Minister of Heavy Engineering and Industries in the Ministry of Industry & Supply (Shri T. N. Singh) : (a), (b) and (c) : A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library.** *See* No. LT—3541/64.]

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, Sir. In the first instance I would like to bring to your notice the lines given in the statement :

"The broad features of this scheme are given in the annexure"

But there is no annexure to the Statement, with the result that the information given is not complete.

Sir, I would like to know why the Government are not paying any attention towards the rural industrialisation in view of the fact that the rural population is 85% of the whole. Progress in this direction is very slow as is accepted by the hon. Minister also.

Shri T. N. Singh : This is not a fact that the Government have paid no attention towards this side. The Government have been stressing it ever since the attainment of independence. So far as the slow progress is concerned, the truth is that the entire problem is a complicated one. So many measures have been adopted for getting success in this venture, but, as it has rightly been pointed out, there has not been complete success.

Shri M. L. Dwivedi : One of the reasons given in the statement for the slow progress is : "Lack of local entrepreneruship apart from the required infrastructure such as power, suitable skill, communications and transport facilities, etc." In the light of this, I would like to know the steps proposed to be taken by the Government to provide the facilities, and the time by which the facilities are made available in rural areas so that the industries there are put into commission.

Shri T. N. Singh : This is a massive venture. Supplying electricity to five lakh or more villages is not a child's play. Efforts are being made to supply electricity to about sixty thousand villages in the third plan period. In the next plan, *i.e.*, the Fourth one, 1 lakh villages will get electricity. We feel that many an industry will be set up in big towns and villages when the electricity is supplied to them.

Mr. Speaker : The hon. Minister may kindly look to that aspect of the supplementary wherein it was said that the annexure to the statement was not made available.

Shri T. N. Singh : I will find that out, Sir.

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में बताया गया है कि इन कार्यक्रमों द्वारा पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण औद्योगीकरण नहीं हो सका है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से ग्रामीण औद्योगीकरण में कोई भी प्रगति नहीं हुई है, मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार के पास इस दिशा में उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई अथवा की जाने वाली योजनाओं को पूरा करने के लिए नई योजनाएं या प्रस्ताव क्या हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? और क्या इस प्रयोजन के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते ब्याजों पर ऋण देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि एक ही प्रश्न में कई प्रश्न जुड़े हों तो माननीय मंत्री अपनी इच्छानुसार एक ही प्रश्न का उत्तर दें।

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने द्वितीय योजनाकाल की समाप्ति की ओर आते हुए ही ग्रामीण औद्योगीकरण के विषय में प्रयत्न शुरू किये हैं। यह सच है कि सामूहिक केन्द्रों सम्बन्धी परियोजनाओं में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। जैसा मैं अब बता चुका हूं, यह एक पेचीदा और नाजुक समस्या है और हम ऐसा रास्ता ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे समस्या का समाधान हो।

श्री स० चं० सामन्त : इस समय चलने वाली 45 ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितने लोगों को रोजगार मिलता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ये परियोजनाएं प्रारम्भिक अवस्था में हैं। अतः आंकड़े देना संभव नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : How much money in the scheme has been allocated to Rajasthan, and whether all that has been spent; if not, why not?

Shri T. N. Singh : So far as I know, no money has been spent on that State; but I would require notice for giving details regarding the break-down of the total sum allocated.

Shri Sheo Narain : During the British regime our thumbs were cut off so that there could not be industrial development in our country, but I would like to know the obstacle before the Government by which the rural industrial development is impeded? (**Interruption**). The farmers & villagers have voted for this Government. Would the Hon. Minister explain the impediments in the way?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is the Hon. Member annoyed at the yesterday's incident?

Mr. Speaker : I would implore every Hon. Member not to lose temper. They may criticise the Govt. on arguments.

Shri Sheo Narain : He may kindly let us know at least what the impediments are there.

Shri T. N. Singh : While speaking at a Conference in 1963, our late Prime Minister had said that supply of electricity to villages was essential. I do agree with him *in toto* in this regard. The small-scale industries will be widely popularised in villages when the scheme is completed.

Shri D. N. Tiwary : Are the Government in a position to inform us about the percentage of the villages where the setting up of small-scale industries has been possible after there being electrified?

Shri T. N. Singh : It has already been said that many other things besides electricity are needed. There should be entrepreneurs to invest money and to run the industries; there should be the skill and the necessary arrangements for training. Things like these are needed for setting up an industry; and these requisite provisions take some time.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the khadi commission has not completely shouldered its responsibilities as a result of which the villages remain undeveloped?

Shri T. N. Singh : My Ministry is not concerned with the khadi commission. I would request the Hon. Member to address this particular question to the concerned Ministry.

श्री रंगा : क्या सरकार का कोई ऐसा निरीक्षणालय है जो संघ सरकार द्वारा मंजूर किये गये और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग तथा अन्य आयोगों को, जिन्होंने छोटे पैमाने के निगम चला रखे हैं, दिये गये उन फंडों के बारे में विशद या नमूना सर्वेक्षण करते हैं जिससे यह पता चले कि क्या उन राशियों का उचित उपयोग होता है अथवा नहीं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं बता चुका हूं कि खादी आयोग से और कोई मंत्रालय सम्बद्ध हैं। अन्य किसी आयोग के सिलसिले में वे कहना चाहते हैं ?

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र लोक लेखा समिति के चेयरमन थे और उन्हें कई त्रुटियों का पता चला था। यद्यपि संसद् ने ये सभी निगम बनाये हैं और उन्हें अर्द्ध-स्वायत्त शासी अथवा स्वायत्तशासी अधिकार दिए हैं, तो क्या सरकार इस बात को देखने के लिए कि धनराशियों का सही इस्तेमाल होता है या नहीं, कोई कदम उठा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं पुन: यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे सम्बन्ध के विषय माननीय सदस्य को, एक अनुभवी सांसदिक के नाते, भलीभांति विदित हैं। खादी आयोग अथवा और कोई आयोग मेरे मंत्रालय में नहीं आते, इसीलिए मैं इस प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रंगा : किन्तु और कौन इस सम्बन्धी कार्यवाही कर रहा है?

Shri Rameshwaranand : What is the mode of seeing whether the small-scale industries are run in the villages, and what is the medium therefor? Who are the people or which is the Department to popularise the small-scale industries in the villages?

Shri T. N. Singh : There are officers of the Central Govt., officers of the State Government and many other public workers who look after this.

Shri Rameshwaranand : Who are the officers and which are the Departments?

Mr. Speaker : He means to ask which Department carries your proposals to the people, in respect of setting up small-scale industries in villages.

Shri T. N. Singh : Sir, should I take it that I am to answer this question?

Mr. Speaker : Why ask for permission when I repeat the question?

What can I do, Swamiji, if the Hon. Minister does not reply?

श्री श० ना० चतुर्वेदी : श्रीमन्, विवरण में बताई गई इन 45 परियोजनाओं का कार्यसंचालन किस प्रकार हो रहा है; तथा ये परियोजनाएं पहले की चलाई गई परियोजनाओं से कार्यसंचालन में किस प्रकार भिन्न हैं?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह एक नये प्रकार का कार्यक्रम है जो 1962 में शुरू किया गया था जब हमने सभी राज्य-उद्योग के पदाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को बुलाकर एक सम्मेलन आयोजित किया था। वहां यह फैसला किया गया था कि एक एकीकृत विकास कार्यक्रम, जो इन क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी तथा अन्य विकास-कार्यक्रमों से बहुत निकट का सम्बन्ध रखता हो और पूर्णत: औद्योगिक ही न हो, चलाना वांछनीय है।

Shri Kashi Ram Gupta : Khadi Gramodyog Commission has not been successful in villages in so far as the production of textiles is concerned, and an effort is needed to make it successful wherever the electricity has been supplied. I would like to know, Sir, whether the Government have considered this aspect of the problem that where there is electricity in villages, small power-looms & machines for spinning and weaving are installed there so that there is success in respect of production of textiles?

Shri T. N. Singh : About Khadi and Gramodyog, Sir, another Ministry is responsible. But so far as the multiplication of the manufacture of new machines is concerned, the technical wing of the small-scale industries is doing a lot in that field.

श्री का० ना० पाण्डे : क्या यह सच नहीं कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई पटेल समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की सिफारिश की है? इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सही है कि पटेल समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में चार जिलों के लिए उद्योग-सम्बन्धी एक खाका तयार किया है; और जब भी संभव हो उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether it is a fact that the money given by Centre to States for being loaned out to deserving people is either obtained by those people after a great difficulty or harassment, and is not either given in most of the cases? Whether this also is a fact that people have to face a great difficulty in getting electricity; and even if they get the electric connection

they get it very late? Whether any action has been initiated by the Centre in this respect, or that the States have been instructed to solve the difficulties of people and to see that there is no delay?

Shri T. N. Singh : Occasionally the difficulties have come up before us and we have tried to change the methods and rules of implementation, taking into confidence, in fact, the State Governments.

Shri Tulshidas Jadhav : Firstly the private entrepreneurs do not come forward because the policy of the Government is to set up a socialistic pattern of society; secondly, the Government machinery does not impress upon people to set up the industries; and thirdly, the villagers themselves do not take any initiative in this respect. I want to know whether this is a fact that these are the reasons; and if not, which of the three reasons is responsible for not setting up of these industries, and the measures to be taken in your opinion for setting up of these industries?

Shri T. N. Singh : I am not of the opinion that this work is being impeded because of our policy in respect of a socialistic pattern of society. I am of the view that there has been a coordination for the last so many years and there has been progress in this direction.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या हथकरघा उद्योग को इस ग्रामीण औद्योगीकरण योजना में सम्मिलित किया गया है, और यदि हां, तो सरकार हथकरघा-जुलाहों को पर्याप्त सूत देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है; विशेषतः पश्चिमी बंगाल में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जहां पर्याप्त सूत न मिलने के कारण जुलाहों को तकलीफ उठानी पड़ रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हां, श्रीमान्। हथकरघा उद्योग इसमें शामिल है और सरकारी क्षेत्र की एक मिल कल्याणी में स्थापित की जा चुकी है। पश्चिमी बंगाल के हथकरघा जुलाहों को उनके हथकरघों के निमित्त सूत देने के लिए एक और मिल स्थापित की जा रही है।

मिल के कपड़े का उत्पादन तथा मूल्य

*360. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री ब० कु० दास :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** 11 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल के कपड़े की लोकप्रिय किस्मों के उत्पादन तथा मूल्यों पर किस तिथि से कानूनी नियंत्रण लागू किया गया था ;

(ख) क्या नियंत्रण का कोई प्रभाव हुआ है ; और

(ग) नियंत्रण के कार्यकरण पर अधीक्षण करने के लिये क्या संगठनात्मक व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए सं० एल--टी--3542/64**]

Shri Prakash Vir Shastri : Generally, the items that are controlled by the Government, disappear from the market. Whether some arrangement has been made to see that standard cloth does not disappear from the market when the control is introduced?

Shri Manubhai Shah : There is no reason for the concern expressed by the Hon. Member since tremendous amount of cloth is available today in retail or wholesale markets, and with mills and besides that, the production in handloom and powerloom sectors, and in mills is going up tremendously.

Shri Prakash Vir Shastri : Have you also made an effort to see that the standard cloth controlled by you is available on the prices fixed therefor? Is there any arrangement to supervise the prices, etc. of that cloth?

Shri Manubhai Shah : It is clear from the statement that the arrangements have been comprehensive by made at all the levels, *e.g.*, state level, district level and village level.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Hon. Minister said that cloth is being produced tremendously. But the cloth of utility for villages, *viz.*, dhoties, turbans, shirts.

An hon. Member : ....loin-cloth also.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The prices of all those types of cloth, as you said, are rocketing up. I would like to know whether there will be an effort on your part to see that these prices are brought down?

Shri Manubhai Shah : This very cloth has been controlled.

Shri Bagri : Whether the prices of the mill-made cloth have been fixed in accordance with the policy for fixing the prices of foodgrains produced by farmers? Whether the prices of mill-made cloth have been fixed on the basis of one and a half times those of its cost of production; and if not, the reasons therefor ?

Shri Manubhai Shah : I have placed the whole scheme in black & white on the table of the House. The Delhi Index of prices for the last three months as also the surprise index in respect of other places make it clear that there has been no rise in prices.

Shri Bibhuti Mishra : Whether the proposals of the Central Consumers' Vigilance Committee have been implemented or not? I would like to know the suggestions made by them regarding the allocation of cloth so that the villages get it easily?

Shri Manubhai Shah : The Vigilance Committee have instructed that Public Workers', Traders' and Consumers' Committees be formed at the State levels, and especially at the district level in all the districts of India; these are being formed with a view to seeing that any inpediments, whatsoever, in villages or anywhere else, be at once brought to the notice of the Government.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या नियंत्रण के लागू किये जाने के समय से कई मिलों ने इस नियंत्रित कपड़े का उत्पादन धीमा कर दिया है, और यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी हुई है और उन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने उत्पादन का काम धीमा कर दिया था ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य जानते हैं कि अक्तूबर मास में देश-भर में अब तक हुए उत्पादन की चरम-सीमा का उत्पादन हुआ था, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ—अर्थात् 44 करोड़ 20 लाख गज़ कपड़ा ।

Shri Onkarlal Berwa : What is the break-up of the profit that will accrue to mill-owners and consumers after this control is introduced?

Shri Manubhai Shah : So far as this control is concerned, it is slightly less than old mill-rates, and the mills will fix prices at lesser rates. This is what has been done for the protection of consumers.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the percentage of profits? They will not sell it on loss.

Shri Manubhai Shah : That also has been fixed in a certain manner, *viz.*, the distribution-profit is not more than 18 per cent.

श्री ब० कु० दास : क्या कई मिलों ने इस नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं

श्री मनुभाई शाह : हां, श्रीमान् । उत्पादन पर नियंत्रण है जिसके अनुसरण में सरकार यह निर्देश देती है कि किसी विशेष मिल को किसी विशेष प्रकार का और किसी विशेष मात्रा में कपड़ा तैयार करना होगा और कई बार कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

Shri Y. S. Chaudhary : Whether the Central Govt. have consulted the State Governments regarding this healthy practice of distributing the maximum cloth in villages, and whether there have been some statutory negotiations with regard to the formation of such committees after knowing the view of the State Governments, as was stated in the reply to Shri Bibhuti Mishra's question?

Shri Manubhai Shah : We have written letters to all the State Governments and most of them have appointed these committees. Where there is delay, we shall urge upon them to form the committees as soon as possible.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण में बताया गया है कि कई प्रकार के कपड़ों के मूल्यों में 5 से 10 प्रतिशत तक कमी हुई है, उपर कई अन्य प्रकार के कपड़ों के मूल्यों में कुछ प्रतिशत बढोत्तरी हुइ है । मैं जानना चाहता हु कि किस आधार पर इस प्रतिक्षतता का हिसाब लगाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : सूत की मात्रा, और उसके लिए राशि है या करने की लागत, श्रम-व्यवस्था का व्यय, आदि जैसी तकनीकी बातों तथा विशेष भत्तों, आदि जैसी बदलने वाली राशियों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि 95 प्रति शत कपड़े के मूल्यों में 5 से 8 प्रतिशत तक की कमी हुई है। शेष 5 प्रतिशत कपड़े के मूल्यों में, जो 1961 में उत्पादित हुआ था और जिसके दाम विगत चार वर्षों में नहीं बढ़े थे, जरासी वृद्धि हुई है ।

श्री पें० वेंकटासुबय्या : क्या सरकार को इस बारे ज्ञात है कि कपड़े की कई क़िस्मों पर नियंत्रण प्रस्थापित होने के तुरन्त बाद ही बाजार में एक कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया गया है और लोगों में यह प्रतिक्रिया हो रही है कि वे न केवल खाद्याभाव से पीड़ित हैं अपितु उन्हें अपेक्षित कपड़े का भी अभाव परेशान कर रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं इस बात को माननीय सदस्य से ही पहली बार सुन रहा हूँ । देश भर में एक भी ऐसा समाचार पत्र नहीं जिसने कपड़े के अभाव का कोई समाचार छापा हो । सच तो यह है कि दिवाली की छुट्टियों में मैं ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को तार भेजे थे । उन्होंने उत्तर भेजा था : "आप क्यों चिन्ता करते हैं ?" कपड़े के अभाव का कोई भी प्रश्न ही नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में बताया गया है . . . . . उद्योगपति तथा व्यापारी लोक 20 अक्तूबर, 1964 से पूर्व उत्पादित कपड़े के बड़े स्टाक स्वाभाविक रुप से रखे हुए थे । आशा है कि पांच श्रेणियों के, जो नियंत्रण के अन्तर्गत हैं, कपड़े का पुराना स्टाक दो या तीन महीनों में बिक जायगा ।"

तो मैं यह जानना चाहता हू कि जब नियंत्रित मूल्य लागू किये गये तो बाजार में कितना स्टॉक उपलब्ध था, और सरकार इस बात के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि मिल-मालिक के पास स्टॉक न रहें ?

श्री मनुभाई शाह : इस बात को कोई व्यवस्था नहीं और न हो सकती है कि इतने विशाल देश में इस बात का पता चलाया जा सके कि ठोक की दुकाने पर कितना कपड़ा है और खुदरे में कितना कपड़ा उपलब्ध है । देश की परम्परा को दृष्टि में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि औसत के रूप में देश की चार-पांच महीने की खपत हमेशा उपलब्ध होती है । अतः ऐसा कोई भी कारण नही जीस से यह समझा जाए कि उतनी मात्रा से कम का कपड़ा था ।

श्री रंगा : इस बात का निश्चय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उप्तादित किये जानेवाले कुल कपड़े की बृहद् अन्त उपयोगी प्रकार के कपड़े का ही होगा ताकि गरीब लोग भी उसे खरीद सके ?

श्री मनुभाई शाह : हमने उपयोगिता को ही मापदण्ड मान लिया है । मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, तथा निर्धन वर्ग द्वारा सामूहिक रूप से पहना जाने वाला कपड़ा अर्थात धोतियां, साड़ियां सस्ता और उचित मूल्य का पहनने का कपड़ा, कुर्ते-पाजमे का कपड़ा—इन सभी पर नियंत्रण किया गया है ।

Shri Sheo Narain : In view of the fact that the Govt. are considering the introduction of a barter system, I would like to know, Sir, ...

Shri Manubhai Shah : This pertains to the consumption in the country, where does barter system picture in.

डा० सारादिक राय : क्या महीन और दरम्यानी कपड़े की कीमतों का नियंत्रण किया जाने वाला है ?

श्री मनुभाई शाह : यह नियंत्रण गाढ़े, दरम्यानी, महीन अथवा अतिमहीन कपड़े के प्रकार विशेष पर आधारित नहीं है। धोतिया, साडियां, कपड़े के थान, कुर्ते-पाजामे का कपड़ा-ये चाहे किसी भी प्रकार के हों, नियंत्रित किए गए हैं।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि नियंत्रण के मूल्य विक्रम-मूल्यों से कम हैं और बहुत से मामलों में बाजार-भाव से अधिक हैं और थोक-व्यापारियों तथा मिलमालिकों के बीच उस प्रतिशत विशेष कटौती के बारे में जो व्यापारियों को दी जाती थी, एक आपाधापी-सी मची है, और इसी के परिणाम-स्वरुप बहुत से प्रमुख एवं महत्वपुर्ण बाजारों में गतिरोध पैदा हो गया है ? इस मामले में सरकार की क्या नीति है ?

श्री मनुभाई शाह : यह मामला इन्दौर में, जो माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे ध्यान में लाया गया था और कहा गया था कि यह प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित है। किन्तु विधि और इस प्रकार का व्यापार इस सम्बन्ध में, हर एक स्थानीय प्रथा पर ध्यान नहीं दे सकते। फिर भी हम इन्दौर में हो रहे व्यापारीयों तथा मिल-मालिकों के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए बीच में पड़ रहे हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know whether the home consumption and foreign consumption of cloth is met with ? If not, why has the restriction been placed on the people prepared to have some more powerlooms ?

Shri Manuhbai Shah : We have fully considered this question. We produce cloth more than our need. All the same, the Ashok Mehata Power-Loom Committee is considering it because the standard of living of people during the fourth plan is going to be higher. If feasible, there will be more power-looms in India.

प्रशुल्क तथा व्यापार-सम्बन्धी सामान्य करार सम्मेलन

*361. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार सम्मेलन मे स्वीकृत संकल्प के अनुसरण मे किन किन औद्योगीकृत देशों ने विकसशील देशों के हित वाली विभिन्न निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्कों में छूट दी है और वह छूट किस सीमा तक दी गई है :

(ख) उन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाया गये हैं ; और

(ग) इन रियायतों के कारण इन देशों को भारतीय माल के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3543/64)**

(ख) भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए निरंतर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और गैट सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में आयात शुल्क में मिली रियायतें इन प्रयत्नों में सहायक सिद्ध होंगी।

(ग) उल्लिखित शुल्कों में छूट केवल थोड़े समय से ही लागू है और भारतीय व्यापार पर पड़ने वाले उनके लाभदायक प्रभावों के मात्रा के बारे में उचित अनुमान लगाने का प्रयत्न करना समय से पहले है। फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि इन चन्द एक महीनों में स्पष्ट लाभ हुए हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि गैट के उक्त नीति-संकल्प के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने अभी हाल में आयात पर अधिभार लगाया है; यदि हां तो भारत के निर्यात पर इस से क्या प्रभाव पड़ने की आशंका है और बुसेल्स में अभी हाल में हुई उनकी बैठक में गैट सम्मेलन मे भारत के विरोध पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ?

श्री मनुभाई शाह : श्रीमन्, ब्रिटिश सरकार द्वारा अभी हाल में लगाये गये उस अधिभार से हम चिंतित हैं। उनकी वैदेशिक मुद्रा राशि से इस समय उनपर जो प्रभाव पड़ा है और जिन कठिनाइयों का वे सामना कर रहें है उससे हम पूर्ण सहानुभूति है, फिर भी उस अधिभार से इस देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि वर्तमान अधिभार इसी प्रकार बना रहा तो हमें प्रति वर्ष अनुमानतः लगभग 10 करोड़ रुपये की हानि होगी। हमने उचित अभ्यावेदन दिये हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पहले ही अभ्यावेदन पर पूर्वी भारत के कप-उपकरणों और अर्द्ध-पक्व चमड़े का सामान इस अधिभार (शुल्क) से मुक्त किए गए, और नारियल-जल के उत्पाद, हथकरघा उत्पाद तथा हस्त-निर्मित कालीन—जिनसे देश को बहुत बड़ा रोजगार प्राप्त होता है—इस शुल्क मुक्ति के लिए ब्रिटीश सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्ण विचाराधीन है, और हर उत्पादों परसे, जैसा कि हम आशा करते हैं शीघ्रातिशीघ्र ये शुल्क हटाए जाएंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : गैट करार में यह नया अध्याय जुड जाने के परिणाम स्वरूप भारत के निर्यात का भविष्य कितना सुधर जायगा, और औद्योगीकृत देशों में अपने उन संरक्षण खण्डों को, जिन पर उन्होंने जोर दिया था, कहां तक छोड़ने की सहमति प्रकट की है ?

श्री मनुभाई शाह : श्रीमन्, ये प्रश्न काफ़ी विस्तारपूर्ण हैं, किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में जिन वस्तुओं की सूची है, यह एक विशद सूची है जिस में भारत के व्यापार की मुख्य वस्तुएं समिलित की गई हैं। उन सभी वस्तुओं से सहानुभूति पूर्ण रियायत बरती जा रही है। उन में से चाय एक ऐसी चीज़ है जिस में सभी लोग दिलचस्पी रखते हैं और न्यूनाधिक रूप में संसार के सभी देशों ने उस पर के शुल्क हटाये हैं।

श्री अल्वारिस : क्या सरकारने अन्य देशों से इस बारे में राय जान ली है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भुगतान संतुलन के कमी कों पूरे करने के लिये लगाये गये उस 15 प्रतिशत अधिभार के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये जायें ?

श्री मनुभाई शाह : हमने सभी प्रकार की कार्यवाही की है। हम संसार के सभी मित्र-देशों से व्यवहार कर रहे हैं और राजनायिक अथवा और किसी प्रकार के अभ्यावेदन जो इस सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं, हम दे रहे हैं। और, जैसा कि हर एक आदमी जानता है, संसार के सभी देशों ने, जिन में 'एफ-टी-ए' देश भी सम्मिलित हैं, अपनी ओर से ब्रिटिश सरकारी को अपने-अपने अभ्यावेदन दिए हैं।

निर्यातकर्ताओं के लिए गारंटी योजनाएं

+

*362. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात ऋण तथा गारंटी कारपोरेशन ने निर्यातकर्ताओं को बैंकों द्वारा माल के जहाज पर लदने के बाद दिए जाने वाले पेशगी धन के बचाव के लिये दो नई गारन्टी योजनाएं चालू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुछ अधिक आसान शर्तों पर निर्यात के लिये धन का प्रबन्ध करने में निर्यातकर्ताओं को इससे कितनी सुविधा मिलेगी ;

(ग) क्या यह निर्यात संवर्धन योजना निर्यात होने वाली कुछ विशिष्ट अनूसूचित वस्तुओं पर ही लागू होगी और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन किन विशेष वस्तुओं को शामिल किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। नयी गारंटी योजनाएं हैं : (1) बादलदान निर्यात साख गारंटी तथा (2) निर्यात वित्त गारंटी।

(ख) इन ओजनाओं से निर्यातकों को उदार रूप से ऋण मिल सकेगा और आशा की जाती है कि ब्याज की दरें आम दरों से थोड़ीसी कम होगी।

(ग) तथा (ख) बाद-लदान निर्यात साख गारंटी योजना में सभी निर्यात आ जायेंगे लेकिन निर्यात वित्त गारंटी योजना में केवल ऐसे निर्यात आयेंगे जो कि निर्यात संवर्धन योजना की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात की अन्य मदों पर भी उनके गुणानुसार विचार किया जायगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि वर्किंग ग्रुप (कार्यकारी दल) ने जहाज़ पर लदने से पहले और लदने के बाद की पेशगी पर लगाए गए ब्याज की दरों की उच्चतम सीमा की सिफारिश की है, और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक अत्याश्यक प्रश्न है। हमें इस बातका दुःख है कि हमारे अपने निर्यात के साख की दर संसार में सब से अधिक है। मुझे इस बात की खुशी है कि अध्ययन दल ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि पेशगियों पर बैंकों द्वारा लगाये गये ब्याज की दरों को यथा संभव शीघ्र कम कर दिया जाय।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि भारत में लदान-लागत साख संसार भर में सब से अधिक है ? यदि हां, तो सरकार ने इस को कम करने की क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, ऐतिहासिक दृष्टि से [हम अन्यचेतसः रुप से काम कर रहे थे। यही कारण है कि भूत काल में हमारे निर्यात व्यापार को इन सब त्रुटियों, कठिनाइओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब हम एक-एक करके इन त्रुटियों को दूर कर रहे हैं।

Shri Tulshidas Jadhav : Mr. Speaker, Sir, the press reports, in general, say that the exports from India are not in accordance with the samples sent therefor. The sample and the actual commodity differ. Whether the Government are making an effort in this direction to see that the goods exported are in accordance with the samples, because this anomaly hurts the prestige of our country ?

Shri Manubhai Shah : The hon. member may please change this opinion of his. We have taken many a step in connection with the sample adherence during the past years and such-like complaints have minimised. Two years back we passed the Export Inspection of India Act in this very House, under which over 65 per cent exports have been covered by this scheme and by 1965, 85 per cent of our exports will be covered. So forming such an opinion as this is not correct.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं समझती हूँ कि चपलानी समिति ने यह प्राक्कलन दिया है कि लदान से पहले का वित्त 150 करोड़ से 175 करोड़ रुपये तक का होगा। क्या यह सच है ? यदि हां तो इस सम्बंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : हम उस समिति से बहुत प्रभावित हैं। जहां तक उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का सम्बन्ध है, हम उन पर बहुत शीघ्र कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप ?

श्री मनुभाई शाह : समिति के दो उद्देश्य हैं। पर्याप्त वित्त एवं सस्ते ब्याज दर से वित्त की व्यवस्था करना। दोनों पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : यदि माननीय मंत्री को इस बात का पूरा विश्वास है कि निर्यात-व्यापार को सरकार के अनजानेपन से काफी कठिनाइयां पैदा हुईं तो.....

अध्यक्ष महोदय : यह उस बात की और ओर क्यों निर्देश कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री जी मैं भी अनजाने में यही बात कही।

श्रीमती सावित्री निगम : यदि भूतकाल में सरकार की अनजोनेपन की नीति से निर्यातकों को कोई कठिनाई पैदा हुई थी, तो सरकार अब उन निर्यातकों को तत्काल संहायता देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय महिला सदस्य जानती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हम कई प्रकार की कार्यवाही करते रहे हैं। किन्तु किये का फल पाने में सदा कुछ समय लगता है। क्योंकि ये सभी अर्थ नीति के मामले नाज़ुक होते हैं और किसी निश्चय पर पहुंचने से पहले उसकी पूरी-पूरी जाँच करनी पड़ती है।

कच्चे लोहे का उत्पादन

*363. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ह० चं० सोय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस महत्वपूर्ण कच्चे माल में हमारे कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता के लाइसेंस देने के अलावा, सरकार चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए अग्रिम कार्यवाही के रूप में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में एक-एक अतिरिक्त धमन भट्टी लगा रही है। सरकार भिलाई में 150 से 200 टन दैनिक क्षमता की एक लो-शैफ्ट भट्टी लगाने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए कुछ ब्लास्ट फर्नेस कम्पलेक्स लगाने के उद्देश्य से देश में आठ जगहों पर शक्यता-अध्ययन भी किये जा रहे हैं।

एक तकनीकी समिति बनाई गई है जो वर्तमान इस्पात कारखानों में प्रोद्योगिक सुधारों द्वारा धमन भट्टियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के बारे में सुझाव देगी जिससे इन कारखानों में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन उपायों से भी 1967 से पहले हमारे आत्म-निर्भर होने की आशा नहीं है परन्तु यह अनुमान है कि 1967 के पश्चात् देशीय उत्पादन से हमारी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

श्री दे० द० पुरी : ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस-प्राप्त क्षमता कुल कितनी है ? क्या सरकार को इस बात का संतोष है कि यह काम पूरी गति से हो रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमें 50 लाख टन कच्चा लोहा प्राप्त होने की आशा थी। किन्तु उसकी बहुत से मशीनी एककों ने उत्पादन का काम शुरू नहीं किया है, इसी लिए प्रगति धीमी है।

श्री दे० द० पुरी : प्रश्न यह था कि क्या उन्हें काम से संतोष प्राप्त है, और यदि यह काम संतोषजनक नहीं तो वे क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : हमें कोई संतोष प्राप्त नहीं; किन्तु हम कभी-कभी उन्हें बुलाया करते हैं, उनकी कठिनाइयों को देखने मीलने का यत्न करते हैं और उपाय करने का प्रयत्न करते हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Sir, what is the quantum of pig iron produced in the private sector by the blast furnaces set up, as per the estimate of the Government; the time since when that quantum is produced, and the Government's target of production ?

Shri P. C. Sethi : According to our estimate the production in 1965-66 will be to the tune of 1·7 million tons, falling short of about ·8 million tons. To make up this shortfall, additional blast-furnaces are being set up at Bhilai and Durgapur, and licences have been issued to 14 parties in the private sector.

श्रीमती सावित्री निगम : इस वर्ष अधिकतम कितना उत्पादन होगा, और बढ़े हुए उत्पादन से हमारी आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस वर्ष हमारा उत्पादन लगभग 1.2 मिलियन टन होगा, और ऐसा मैं बता चुका हूँ, 1965-66 में यह उत्पादन 1.57 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा।

श्री स० चं० सामन्त : किस समय तक इन सभी इस्पात के कारखानों का विस्तार होगा, और क्या सहयोग देने वालों से अब तक कोई परामर्श किया जा चुका है ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रश्न तो कच्चे लोहे के सम्बन्ध में है, इस्पात संयंत्रों के विस्तार के बारे में नहीं।

Shri Yashpal Singh : Whether the Government have gone into the reasons of the slow progress ; our present requirements and the quantum produced at present ?

Shri P. C. Sethi : I have mentioned the shortfall. The reason for the slow progress was that the installed capacity was of ·1 million ton only, which has been augmented by the Government now ; also, the capacity of the concerned parties has been raised to ·3 million tons now.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने का काम असंतोष जनक रहा है, क्या सरकार ने इस बात की वांच्छनीयता पर विचार किया है कि उस ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से ये कारखाने हथियाये जाँय और उन्हें सरकारी क्षेत्र में चलाया जाय ?

श्री प्र० चं० सेठी : ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से लेने का प्रश्न ही नहीं; हम अपने कारखाने स्थापित कर रहे हैं।

Shri A. S. Saigal : It is a fact that because of issuing an inadequate number of licences the production also is not adequate ?

Shri P. C. Sethi : Licences were cancelled at the last moment in case of three parties. Efforts are being made to see that progress is maintained by the 14 parties to whom the licences have been issued at present.

Shri Sarjoo Pandey : What are the names of the 14 parties, along with the States they belong to, to whom the licences have been issued ?

Shri P. C. Sethi : The list of names is a long one. But the licences have been issued to them in Goa, Bombay, Bhavanagar, Hissar, Bihar, and other places.

Shri Y. S. Chaudhary : The Hon. Minister mentioned the name of Hissar. Who got the licence; what is the cost involved, and by what time the work is going to begin ?

Shri P. C. Sethi : The plant at Hissar has been allocated to the Punjab State Government.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बंगाल और अन्य स्थानों में कच्चे लोहे के उत्पादन के हित एन-बी-सी संयंत्र स्थापित करने के लिए डी-एल-एफ ने कुछ ऋण दिया था। क्या यह सच है कि एन-बी-सी संयंत्रों के काम से कई संयंत्र स्थापित किये गये हैं जो बहुत सफल रहे हैं; यदि हां, तो इन छोटे संयंत्रों से अधिक कच्चा लोहा उत्पादित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जानकारी प्राप्त करें।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने लाइसेंस दिये हैं और उन्हें इस विषय में मालूम नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वे इस समय जानकारी नहीं दे सकते। मैं ने उनसे कहा है कि वे जानकारी प्राप्त करें।

श्री स० मो० बनर्जी : तब तो आप मुझे एक और प्रश्न पूछने की आज्ञा दें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह जानकारी दी है।

Shri Rameshwaranand : A mine has been found at Narnaul and the refinery therefor is being set up at Hissar. What is the reason therefor ? Does it mean that the people of that particular place should not be benefited ?

Shri P. C. Sethi : This plant has been allocated to the Punjab Government. We set it up at the place they asked for.

सीमेंट की कमी

+

*364. { **श्री यु० सिं० चौधरी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम राज :
श्री बादशाह गुप्त :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री पें० वेंकटासुब्बया : }

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या मांग को पूरा करने के लिये सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग और उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या-एल० टी० 3544/64]**

Shri Y. S. Chaudhary : The statement shows that a Cement Corporation of India is being set up by the Government. I would like to know by what time this Corporation will be set up ; also, whether the proposed Corporation would keep a vigil on the matters connected with the production of cement and the faulty system for its distribution ?

Shri T. N. Singh : The Corporation will not be responsible for distribution at this stage.

Shri Y. S. Chaudhary : The second part of the statement says that for augmenting an additional capacity some factories have been permitted to put up new units. I would like to know the names of those factories which got your blessings ?

Shri T. N. Singh : It is difficult for me to enumerate those factories off-hand at the moment. I shall require a separate notice for this question.

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में कहा गया है कि भारत का यह सीमेंट कार्पोरेशन एक फर्म के रूप में होगा। सरकार को यह कार्पोरेशन बनाने में कितना समय लगेगा, और क्या सरकार अनेक कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई कारखाने एक ही लिफ्ट में चलते हैं, उनकी वर्तमान उत्पादन-क्षमता को भी जाँचना चाहती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कदम उठाये जा रहे हैं, श्रीमान् ये दो प्रश्न हैं.....

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री त्रि० ना० सिंह : सीमेंट कार्पोरेशन को शीघ्र ही स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। सच तो यह है कि कुछ एक मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कार्यवाही की जा चुकी है।

Shri Rameshwaranand : There is such a shortage of cement at the moment that a small bag of cement is selling for Rs. 20·00 in villages. The reason therefor is the control imposed by the Government. Does the Government contemplate decontrolling cement so that it is easily available to people ?

Shri T. N. Singh : I do admit that there is a shortage of cement in villages, and all of us are feeling it. But, since the production of cement is short in our country at present, it would be a wrong policy to decontrol it.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट का एक अखिल भारतीय कार्पोरेशन बनने जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे कई राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि उन्हें सीमेंट तैयार करने की आज्ञा दी जाय और क्या सरकार उन राज्यों को सीमेंट-निर्माण की अनुमति दे रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम राज्य सरकारों को इस बात में प्रोत्साहन देते हैं कि वे, यदि सीमेंट के व्यापार में पदार्पण करना चाहते हों, तो सरकारी क्षेत्र में एक-एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करें।

Shri Bagri : What was the position of India amongst the Cement-producing countries during the British regime, and what is it now ?

Shri T. N. Singh : I require notice to ascertain the position.

डा० सरोजिनी महिषी : उत्पादन-सामर्थ्य का अधिकतम उपयोग करने के लिये उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य के रूप में जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसका उन्होंने इन सब वर्षों में कहां तक उपयोग किया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कुछ चुनी हुई मिलों ने इसका उपयोग किया है और गत वर्ष 5 लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I find that the controlled price of cement is Rs. 7—8 per bag and secondly its actual price is about Rs. 12—14 per bag and thirdly, at places like Siliguri where a great deal of Government construction work is going on its price is Rs. 4—5 per bag, whether Government are in a position to tell as to what percentage of the total production is consumed by the Government and the arrangements made for its proper utilisation ?

Shri T. N. Singh : I think more than 50 per cent is consumed by Government project. If he would require any further details I would collect those and supply him later on.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to submit that in Siliguri, Government works are going on. There the cement has [illegible] selling in the market for Rs. 4—5 per bag during the past four, five months. This means that the cement meant for Governmental works is being sold in the black-market in considerable quantity whether the Hon. Minister has devised any method to check this leakage into the black-market ?

Mr. Speaker : Hon. Member has given this information and now the Hon. Minister would find out some method to check it.

Dr. Ram Manohar Lohia : Hon. Minister knows more than myself.

श्री नम्बियार : इस बात को देखते हुए कि नई लाइसेंस योजना के अन्तर्गत सीमेंट का उत्पादन तेजी से नहीं होता, क्या इसका कारण यह है कि मशीनों की कमी है और यदि हां, तो क्या सरकार रुपया-भुगतान क्षेत्र से विदेशी मुद्रा की कठिनाई के बिना मशीनरी मंगा सकती है जिससे तेजी से उत्पादन की व्यवस्था हो सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र की सीमेंट परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मेरे खयाल में हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। कठिनाई यह रही है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के पास उतने आवश्यक संसाधन नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसमें विदेशी मुद्रा इतनी—थोड़ी-सी होगी—बाधक नहीं है। अब चूंकि सरकारी क्षेत्र की परियोजना बढ़ रही है इसलिये माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं हम उनका ध्यान रखेंगे।

Shri K. D. Malaviya : Whether Government are aware of the fact that in the vicinity of the arears where cement is being utilised in big Governmental construction works, the cement is available at very cheap rates in the black-market ?

Shri T. N. Singh : It may be so.

श्री पु० र० पटेल : राज्यों को सीमेंट का कोटा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है या जनसंख्या के आधार पर ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। वे अपनी मांग भी भेजते हैं। हम उसे भी ध्यान में रखते हैं तथा राज्य की पिछले वर्षों की खपत को भी देखते हैं। कोटा निर्धारित करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है।

Shri Tan Singh : Whether we would be able to meet the shortage by the new cement factories proposed to be set up and if not, the further efforts being made by Government to overcome the shortage ?

Shri T. N. Singh : I think the acute shortage of cement would continue during the next two, three years, however, we would be able to produce more or less according to our demands during the four, five years thereafter, *i.e.*, during the Fourth Plan.

श्री जी० भ० कृपलानी : सरकार चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ।

श्री शिव नारायण : उन्हें नियंत्रण हटा देना चाहिये।

लोहे तथा इस्पात का निर्यात

\+

* 365. { **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी : }

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश से लोहे और इस्पात के निर्यात को बढ़ाने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन निर्यात संवर्द्धन उपायों के फलस्वरूप निर्यात के द्वारा कितनी आय होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1963-64 और 1964-65 में प्रत्येक वर्ष के लिए छड़ों, डंडों, ढांचों और रेल की पटरी के निर्यात का 100,000 टन का कोटा निश्चित किया गया था।

लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक इस्पात निर्यातक संस्था स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इस संस्था का काम मंडियों का सर्वेक्षण करना, अध्ययन-दलों और शिष्ट-मण्डलों को बाहर भेजना और प्रचार करना आदि होगा। संस्था के शीघ्र ही संस्थापित करने की संभावना है।

(ग) 1964-65 में लगभग 4 करोड़ रुपये का माल निर्यात करने का अनुमान है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह निर्यात हमारे वास्तविक फालतू उत्पादन का द्योतक है अथवा घरेलू मांग का गला घोंट कर किया जाता है और अगर ऐसी बात है, तो ऐसा क्यों होता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम स्वदेशी मांग को दबा नहीं रहे हैं। सच तो यह है कि छड़े और निर्माण कालोहा, जो फालतू होता है, निर्यात किया जा रहा है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए राज्य सहायता प्राप्त अनाज की दुकानें

+

*366 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नम्बियार :
श्री राम हरख यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको **400,000** रेलवे कर्मचारियों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें राज्य सहायता प्राप्त अनाज की दुकानें फिर से खोलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सरकार को एक ज्ञापन मिला है जिस पर बहुत से कर्मचारियोंके हस्ताक्षर हैं।

(ख) सहायता-प्राप्त अनाज की दूकानों को फिर से खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति 18-9-1964 के अतारांकित प्रश्न 884 के भाग (ग) के उत्तर में बतायी जा चुकी है। उस प्रश्न के उत्तर की प्रति तत्काल हवाले के लिए सभापटल पर रख दी गयी है।

Shri Yashpal Singh : What the total number of such fair price shops required for this purpose and the number of those Government propose to set up at present ?

Dr. Ram Subhag Singh : There are about 13,00,000 railway employees. We propose to set up a Consumers' Co-operative Stores in each such colony where 300-400 people live. Government would welcome any number of Fair Price Shops to be opened by Consumers' Co-operative Stores and we would help them and encourage them through all possible means.

Shri Yashpal Singh : How much Government will have to spend over it ?

Dr. Ram Subhag Singh : The Government provides accommodation for the Consumers' Co-operative Stores and the Fair Price Shops run by them have to pay a nominal rent of Re 1 per month. In addition to that a part of the expenditure incurred on the establishment is also met by Government. Government assistance upto Rs. 2,500 is given in the Share Capital. Government provides them with whatever assistance they want and thus Government grants to each store loans amounting to Rs. 10,000.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Demolition of Jhuggis

+

S.N.Q. No. 2.
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Rameshwaranand :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bagri :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1500 *Jhuggis* adjacent to Ashoka Hotel and Vinay Marg have been demolished by Government ;

(b) whether it is also a fact that there is a Scheme to rehabilitate them at Madangir ;

(c) whether Government have made arrangements for providing basic amenities for these people in Madangir area ;

(d) whether Government had served notices before pulling down the *Jhuggis* and

(e) if not, the reasons for demolishing these *Jhuggis* without prior notice ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (e) : 1339 families squatting on Vinay Marg in Chanakyapuri were removed on the 25th, 26th and 27th November 1964. They were all offered alternative accommodation and 1194 families accepted the offer and were allotted plots in the colonies at Madangir, Wazirpur, Naraina and Najafgarh Road. All these colonies have been provided with basic amenities like latrines, baths, water-supply, roads, surface drains, street lighting, schools, medical facilities etc. This removal was carried out under the Jhuggi and Jhompri Removal Scheme which has been in operation for the last two years and has been the subject matter of interpellations in Parliament on several occasions. Under this Scheme, 12,497 families squatting on Government and public lands have been removed and provided with alternative accommodation in various colonies upto the 31st October, 1964.

Shri Hukum Chand Kachhiavaiya : Whether it is a fact that these people were living in Vinay Nagar before the Vinay Nagar market was constructed and they were displaced from there for constructing the market and they were assured that nobody would disturb them after their resettlement ? Whether Government can give a guarantee that these people would not be displaced from the place where they are being settled now ?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as I know Hon. Member's contention does not appear to be correct. We have had a census in this connection about four years back. Today fifty to sixty thousand families are squatting on the public. lands in Delhi. Under our present scheme we shift these people to other places.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether it is a fact that the notice was served on the 24th and the entire colony was cleared on the 25th ? Hon. Minister has stated that they have been provided with amenities at the place of their settlement. Whether it is a fact that they have not been provided with sufficient amenities ?

Shri Mehr Chand Khanna : I have submitted that we have provided accommodation to at least thirteen thousand families. I want to submit to the Hon. Member that these are unauthorised squatters and they have no right to be there. But in spite of this we are allotting such of these brothers as are eligible Plots of 80 sq. yds. each.

Shri Bade : Whether it is a fact that these Jhuggis are demolished while women and children are crying and the Police-men are standing on one side ? How many more Jhuggis and Jhonparies are proposed to be demolished ? Whether these people would be given some loans to settle themselves at the other place ?

Shri Mehr Chand Khanna : There might be about 40-45 thousand families and their number is increasing every day. Under this scheme we allot them land, but no financial assistance is given for putting up the Jhuggi there.

Shri Prakash Vir Shastri : This Jhuggi-Jhonpari problem has been coming up before the Parliament very often may I know whether Government have formulated any organised plan for this purpose so that this problem does not come up before the House so often.

Shri Mehr Chand Khanna : This question comes up before the House so often because Members feel interested in it. So far as Members from Delhi are concerned, they do not ask any question. So far as the members of the Corporation are concerned, they all agree with our policy. But if Hon. Members ask the questions I cannot deny them this right. I have stated that there are about fifty to sixty thousand families out of which fifteen thousand families have been shifted. We have a programme to shift two thousand families every month.

Shri Rameshwaranand : Whether Government would see to it that these poor people are not allowed to squat on the vacant and waste Government land so that this wasteful expenditure is stopped and Government are saved from this botheration ?

Shri Mehr Chand Khanna : This is not waste land, this land is useful. Schools, hospitals, colleges and houses would be constructed on this land. These people have taken possession of the land in an unauthorised manner and that is why we shift them from there so that this land could be better utilised.

Shri Rameshwaranand : Whether Government would stop them before they put up their Jhuggi-Jhanparies there, so that this expenditure on their removal could be avoided ?

Mr. Speaker : Government would take note of this suggestion.

Shri Onkarlal Berwa : Whether transport is provided to shift those people whose Jhuggis are demolished every day ? Whether it is a fact that their belongings remained lying there for three days, and if so, the reasons for not providing them with transport facilities ? How many trucks were provided for carrying their belongings from there ?

Shri Mehr Chand Khanna : Whenever we shift these people we arrange for the transport and I think there is not a single family to whom we have not provided with transport.

Shri Bagri : Whether Government propose to acquire large tracts of vacant land attached to the Ministers' bungalows and the Rashtrapati Bhawan in order to settle these people living in Jhuggis and Jhonparies ?

Shri Mehr Chand Khanna : We have a plan to construct multi-storeyed flats and buildings so as to make a better use of these big compounds under the Master Plan. So far as Jhuggi-Jhonparies are concerned we allot them 25 sq. yards at first and later on we allot them 80 sq. yds. Regular colonies are being developed and we provide them with alternative sites.

Shri S. M. Banerjee : The poor people around Delhi who are hungry and thirsty have raised this slogan of "Delhi Chalo" and that is why their number is swelling. What steps Government are taking to stop their influx and to resettle them before they are displaced ?

Shri Mehr Chand Khanna : We are trying our best to stop their influx and from squatting them on the Government land. Our policy is that those who have come already and whose names are included in the 1960 census should be shifted to other places as early as possible.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दस्तूर एण्ड कम्पनी

*367. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपनी परामर्शदात्री फर्म का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से विलय का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) सर्वश्री दस्तूर एण्ड कम्पनी से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में विलयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है यद्यपि सर्वश्री दस्तूर एण्ड कम्पनी ने यह कहा है कि यदि सरकार उनकी फर्म को संभाल ले और उसे सार्वजनिक क्षेत्र का एक यूनिट बना दे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

बेबी फुड

*368. { **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में गोदामों तथा दूकानों में छापे मारने पर हाल में ही बेबी

फूड की एक लाख बोतलें पकड़ी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में बड़ी मात्रा में छिपा दिये गये बेबी फूड का पता लगाने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है तथा उनके सामान को जब्त करके उसे सहकारी समितियों के द्वारा वितरित करने का इन्तजाम कर दिया है। आशा है कि इस कार्यवाही को देख कर अन्य लोग भी गैर कानूनी ढंग से संग्रह नहीं करेंगे।

बम्बई में विद्युत ट्रेन दुर्घटना

*369. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री कजरोलकर :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसवन्त :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्टूबर, 1964 को दोपहर के समय पश्चिम रेलवे की उपनगरीय विद्युत ट्रेन चारनी रोड स्टेशन पर खड़ी गाड़ी से टकराने के कारण चार व्यक्ति मर गये थे तथा 30 घायल हो गये थे ;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) क्या मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को कोई अनुग्रहात् भुगतान किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मर गये और 26 घायल हुए जिनमें से 13 को गहरी चोटें आयीं।

(ख) बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त (Additional Commissioner of Railway Safety, Bombay) ने दुर्घटना की सांविधिक जांच की है और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(ग) जी हां। अनुग्रह के रूप में 4,300 रुपये दिये गये हैं।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के बीच उद्योगों का बांटा जाना

*370. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के बीच उद्योगों के बांटे जाने के बारे में औद्योगिक नीति संकल्प में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के लिये नियत किये गये उद्योगों पर पुनरीक्षित नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय रेलों के लिये विश्व बैंक का ऋण

*371. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के द्वारा भारतीय रेलों को विकास के लिए 620 लाख डालर का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 620 लाख डालर (29.51 करोड़ रुपये) के बराबर एक ऋण के लिए विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ एक करार किया गया है जिस पर 26 अक्तूबर, 1964 को हस्ताक्षर हुए।

(ख) इस ऋण की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं : इस पर कोई सूद नहीं लगेगा लेकिन समय-समय पर ऋण से जो मूल रकम निकाली जायेगी और जो बाकी रहेगी, उस पर सालाना एक प्रतिशत के तीन बटा चार (1% के $\frac{3}{4}$) की दर से सेवा-प्रभार (Service charge) लिया जायेगा। यह ऋण 50 वर्षों में चुकाया जायेगा। ऋण की अदायगी 15 सितम्बर, 1974 को (अर्थात् दस वर्ष के बाद) शुरू होगी और 15 मार्च, 2014 को समाप्त होगी। ऋण लेने की अन्तिम तारीख 30-9-1965 है और 1-7-1964 से लेकर ऋण लेने की अन्तिम तारीख तक जितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, उसका भुगतान ऋण की रकम में से किया जा सकेगा।

(ग) विश्व बैंक के सदस्य देशों और स्विटजरलैंड से रेलवे के सामान और उपस्कर मंगाने में जितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, उसे पूरा करने के लिए इस ऋण का उपयोग किया जायेगा। इनमें मुख्य रूप से ये पुर्जे और सामान शामिल हैं : देश में जल-स्टाक जैसे बिजली और भाप के रेल इंजनों, बिजली गाड़ियों, सवारी और माल डिब्बों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात, सिगनल और दूर-संचार के उपस्कर, बिजली योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए सामान, रेल-पथ और रेलवे के दूसरे सामान और उपस्कर।

चाय के मूल्य

*372. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चाय के मूल्य बढ़ जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ; और

(ग) बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) देश में उपभोक्ताओं के लिये चाय की थोक तथा खुदरा कीमतें, मौसमी घट-बढ़ को छोड़कर, लगभग स्थिर रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयात के लाइसेंस

*373. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाली वर्तमान लाइसेंसों की अवधि के उत्तरार्द्ध में पुराने आयातकर्त्ताओं को जितना आयात करने का अधिकार है उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी ;

(ख) वास्तविक प्रयोक्ताओं के बारे में आधे वर्ष के लिए निश्चित की गई नीति में यदि कोई परिवर्तन करने हैं तो क्या सरकार उनकी अलग से घोषणा करेगी ; और

(ग) क्या वर्ष के पूर्वार्द्ध के लिये जारी किए गए आयात लाइसेंस स्वतः वर्ष के उत्तरार्द्ध के लिये वैध हो जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पुराने आयातकों को दिये गये आयात लाइसेंस चालू वर्ष के उत्तरार्द्ध के लिये स्वतः वैध बना दिये गये हैं। जहां तक वास्तविक प्रयोक्ताओं को दिये गये आयात लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण का सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जा रहा है।

कपड़े की उत्पादन लागत

*374. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़े विदेशी बाजारों में मूल्य अधिक होने के कारण नहीं बिक रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़े की उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : भारत को अन्य निर्यातक देशों से कपड़े के मूल्य तथा किस्म दोनों के सम्बन्ध में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़ों का अधिक मूल्य न हो ; इसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। सूती कपड़ा मिलों को कच्ची रुई, जो कि उत्पादन की लागत का प्रमुख भाग होती है, पर्याप्त मात्राओं में उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाती है। सूती कपड़े के निर्यात करने वाली मिलों को, उनके निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से, कुछ सहायता भी दी जाती है। उनको, देश में उपलब्ध न होने वाली मशीनों की मदों को आयात करने की अनुमति भी दी जाती है, ताकि कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुन: स्थापन की गति बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप वे अच्छी किस्म के कपड़े प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर उत्पादन कर सकेंगी। सरकार ने कपड़ों की किस्म बनाये रखने तथा उसमें सुधार करने के लिये भी अनेक कदम उठाये हैं। एक कपड़ा समिति वैधानिक रूप से स्थापित कर दी गई है, जिसके कार्यों में यह शामिल है कि कपड़ों का आन्तरिक खपत तथा निर्यात दोनों के लिये किस्म के मानक निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त, देश में प्रत्येक प्रसिद्ध मिल ने अच्छी किस्म के कपड़ों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये एक किस्म नियन्त्रण विभाग खोला हुआ है। निर्यात किये जाने वाले कपड़ों का जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण किया रहा है। लगभग 10,000 स्वचालित करघों के लाइसेंस भी विभिन्न मिलों को, जिन पर निर्यात का दायित्व होगा, दिये गये हैं, ताकि दोषरहित कपड़े का निर्यात किया जा सके।

माल को कपटता से छुड़ाकर चोरी

*375. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे सुरक्षा दल की गुप्तचर शाखा ने रेलवे द्वारा बुक किए गए अधिकांशत: लोहा, इस्पात तथा कपड़े के एक करोड़ रुपये के माल को कपटता से छुड़ा कर चोरी किये जाने के मामले पकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) जी हां। धोखेधड़ी से माल छुड़ाकर अब तक जिन माल डिब्बों से माल हटाया गया है उनमें केवल लोहे और इस्पात का सामान था। इस तरह के अपराध से जो नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन जांच पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। अब तक केवल 30 हजार रुपये का माल बरामद हुआ है।

(ख) पंजाब और उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस ने अब तक 7 आपराधिक मामले दर्ज किये हैं और इन सभी मामलों की जांच हो रही है।

सैन्य ट्रेलर्स

932. **श्री हेम राज :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक टन वाले सैन्य ट्रेलरों के लिए टेंडर मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या टेंडर प्राप्त हो गए हैं तथा उन पर क्या निर्णय हुआ है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) जी हां।

(ख) टेंडर आ गए हैं और उनकी जांच पड़ताल हो रही है।

पंजाब में रेशम-कीट पालन उद्योग

933. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 अक्तूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में रेशम-कीट पालन के विकास के बारे में नई योजना प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसे कब शुरू किया जायेगा ; और

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) पंजाब के पहाड़ी इलाकों में रेशम-कीट उद्योग के विकास के लिये नई योजना अभी तक पंजाब सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

रेलवे फाटकों पर होनेवाली दुर्घटनाएं

934. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में अब तक दक्षिण-पूर्वी रेलवे के फाटकों पर कितनी दुर्घटनायें हो चुकी हैं ;

(ख) उनमें जनजीवन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है ; और

(ग) लोगों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1963–64 और 1964–65 (अक्तूबर 1964 तक) में इस प्रकार की क्रमशः 12 तथा 9 दुर्घटनायें हुई हैं।

(ख)

वर्ष	मृतकों की संख्या	रेलवे की सम्पत्ति को हुई हानि की अनुमानित लागत
1963–64 . .	2	118.00 रुपये
1964–65 . . (अक्तूबर, 1964 तक)	6	1,542.00 रुपये
कुल	8	1,660.00 रुपये

(ग) दो दावे प्राप्त हुए हैं। एक मामले में 200 रुपये के अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के इलावा प्रतिकर के रूप में 575 रुपये दे दिए गए हैं और दूसरे मामले की जांच हो रही है।

हाथियों का निर्यात

935. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में भारत से हाथियों का निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने हाथियों का निर्यात हुआ है और किन किन देशों को ;

(ग) कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ;

(घ) क्या 1964–65 में और हाथी निर्यात करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1960–61 से 1964–65 (अगस्त, 1964 तक) के वर्षों में निर्यात किये गये हाथियों की संख्या और मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3545/64]**

(घ) और (ङ) हाथियों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। 1964–65 में कितने हाथियों का निर्यात होगा यह तो विदेशों में उनकी मांग पर निर्भर करेगा।

स्वीडन में प्रदर्शनी

936. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में स्वीडन में होने वाले व्यापार मेले में भाग लेने का भारत ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो मेले में भारत की कौन सी वस्तुयें प्रदर्शित की जायेंगी ; और

(ग) मेला कब होने वाला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) सरकार की तदर्थ प्रदर्शनी परामर्शदात्री समिति ने 7 से 16 मई, 1965 तक गोटनबर्ग (स्वीडन) में होने वाले स्वीडन के व्यापार मेले में भाग लेने के प्रस्ताव की सिफारिश कर दी है। प्रस्ताव विचाराधीन है इसलिये इस समय यह कहना कठिन है कि इस मेले में किस तरह की वस्तुयें प्रदर्शित की जायेंगी।

डाक के डिब्बे

937. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं में डाकीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये डाक के डिब्बों को गाड़ियों के मध्य या पिछले भाग में लगाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) डाक तथा तार बोर्ड से एक शासकीय निर्देश 1962 में प्राप्त हुआ था जिसमें अनुरोध किया गया था कि डाक के डिब्बों में गाड़ियों के मध्य में या पिछले भाग में लगाया जाए।

(ख) इस निर्देश के प्राप्त होने से पहले भी रेलवे में यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया थी कि गाड़ी संचालन की परिसीमाओं तथा डाक उतारने-चढ़ाने की सुविधा को देखते हुए डाक के डिब्बों को यात्री गाड़ियों में यथासंभव सुविधाजनक स्थानों पर लगाया जाए। रेलवे प्रशासनों को पुनः हिदायतें भेज दी गई हैं कि संचालनात्मक तथा अन्य परिसीमाओं को ध्यान में रखते हुए डाक के डिब्बों को यात्री गाड़ियों में यथासंभव सुविधापूर्ण स्थान पर लगाया जाए।

ईराक के साथ व्यापार

938. **श्री राम हरख यादव :**
श्री बसवन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक के साथ व्यापार सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने के लिए हाल ही में एक दल बगदाद गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्य कौन थे ;

(ग) जो समझौता हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कौन कौन सी वस्तुओं का कितना कितना आयात तथा निर्यात होगा और उनकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) दल में वाणिज्य मंत्रालय तथा आर्थिक-कार्य विभाग का एक एक प्रतिनिधि था और ईराक में हमारे दूतावास के दो अधिकारी थे।

(ग) 22 नवम्बर, 1964 को बगदाद में हुई सन्धि के अन्तर्गत भारत-ईराक व्यापार समझौते की अवधि को (जो 3 जुलाई, 1965 को समाप्त होनी थी) 30 सितम्बर, 1966 तक बढ़ा दिया गया है। आपसी लाभ तथा आर्थिक विकास के लिये, जिसमें संयुक्त उपक्रम आरंभ करना और व्यापार को बढ़ावा देना सम्मिलित है, दोनों देश तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे को यथासंभव अधिकतम सहयोग देने के लिये भी सहमत हो गए हैं।

(घ) अगले दो वर्षों में भारत ईराक से खजूरों का आयात करेगा और उस देश को, चाय, पटसन की वस्तुओं, कपड़े, इंजीनियरिंग तथा रसायनिक उत्पादों का निर्यात करेगा। ईराक के साथ होने वाले व्यापार के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3546/64]

गया-मुगलसराय यात्री गाड़ी की दुर्घटना

939. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 नवम्बर, 1964 को एक गंभीर दुर्घटना में 349 अप गया-मुगलसराय यात्री गाड़ी के दो डिब्बे वाराणसी से 22 मील दूर पटरी पर से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कोई हताहत भी हुआ था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 349 अप गया-मुगलसराय यात्री गाड़ी के दो डिब्बे 20 नवम्बर, 1964 को सैदराजा और चन्दरौली मझवार स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए थे परन्तु दुर्घटना गंभीर नहीं थी।

(ख) 20 नवम्बर, 1964 को लगभग 12-35 बजे जब 349 अप गया-मुगलसराय यात्री गाड़ी सैदराजा-चन्दरौली मझवार खंड में जा रही थी तो दो डिब्बे—इंजन से चौथा और पांचवां—पटरी से उतर गए जिससे अप मेन लाइन रुक गई थी। यह दुर्घटना स्थायी मार्ग के विफल हो जाने के कारण हुई थी।

(ग) जी नहीं।

गोआ में छरें बनाने का संयंत्र

940. श्री राम हरख यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारीक लौह अयस्क को छरों में बदलने के लिए गोआ में एक संयंत्र खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें उत्पादन कब आरंभ हो जायेगा ; और

(ग) संयंत्र में वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) जून 1965 तक।

(ग) 5,00,000 टन छरें प्रति वर्ष।

गोआ में लौह अयस्क संयंत्र

941. श्री राम हरख यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ लौह अयस्क संयंत्र में काम आरंभ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र में काम की क्षमता क्या है ;

(ग) क्या गोआ के आसपास लौह अयस्क के निक्षेपों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो वार्षिक अनुमानित उत्पादन क्या होगा ; और

(घ) संयंत्र पर लगभग क्या खर्च आयेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) एक दिन में एक पारी होने से संयंत्र की क्षमता लगभग 3,00,000 टन लौह अयस्क प्रति वर्ष के उत्पादन की और दो पारी होने पर प्रति वर्ष 5,00,000 टन लौह अयस्क के उत्पादन की बताई जाती है।

(ग) भारत का भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग 1962 से गोआ में लौह अयस्क के निक्षेपों की विस्तृत छानबीन कर रहा है। छानबीन अभी तक हो रही है। तथापि भारतीय खान ब्युरो ने अनुमान लगाया है कि गोआ में लौह अयस्क के निक्षेप 5,250 लाख टन के लगभग हैं। गोआ में लौह अयस्क का उत्पादन इस प्रकार था :—

(लाख मीट्रिक टनों में)

खनिज	1961	1962	1963	1964 (जनवरी–सितम्बर)
लौह अयस्क . . .	64	61.3	54.7	39.8

सब्जी विक्रेता संघ, भोपाल

942. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फल तथा सब्जी विक्रेता संघ, भोपाल से रेलवे अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, 4 अक्तूबर, 1964 को मध्य प्रदेश क्रानिकल में सब्जियों तथा फलों के पार्सलों के मिलने में विलम्ब तथा भोपाल के व्यापारियों को होने वाली परेशानी के बारे में एक समाचार छपा था।

(ख) खराब हो जाने वाली वस्तुओं के मिलने में अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिये रेलवे द्वारा भोपाल के पार्सल आफिस के कर्मचारियों के काम के समय में कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं।

वेतन आयोग की सिफारीश

943. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड तथा अखिल भारतीय रेलवे संघ के बीच वेतन आयोग की क्रियान्विति में अनियमितपताओं के बारे में बातचीत होने के बाद अनेक बातों पर समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौता किस प्रकार का है ; और

(ग) इससे रेलवे कर्मचारियों को कहां तक लाभ पहुंचेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3547/64]**

(ग) प्रत्येक निर्णय से कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है इस बारें में विस्तृत जानकारी प्राप्त न होने के कारण इससे होने वाले लाभों के वित्तीय प्रभाव का तत्काल ही या ठीक ठीक कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

कोयला धोनेवाले कारखाने

944. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्राइवेट कम्पनियों को कोयला धोने वाली मशीनें बनाने के लिये लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा बाहर की किन्हीं कम्पनियों से यदि उन्हें सहयोग मिल रहा हो तो उनका क्या नाम है ;

(ग) क्या उनमें से किसी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र में इस समय कितना उत्पादन होता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) चार कम्पनियों को विदेशी सहकार के साथ कोयला धोने की मशीन बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

कम्पनी का नाम	विदेशी सहकारकर्ताओं का नाम
(1) मैसर्स मेकनली बर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता।	मैसर्स मेकनली पिट्सबर्ग कारपोरेशन, अमरीका।
(2) मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग लि०, कलकत्ता।	मैसर्स साइमन कारवस लि०, इंग्लैंड।
(3) मैसर्स टाटा राबिन्स फ्रेजर लि०, जमशेदपुर।	मैसर्स हैविट राबिन्स इन्कारपोरेटिड, अमरीका तथा फ्रेजर एण्ड चालमर्स इंजीनियरिंग वर्क्स आफ जी० ई० सी०, इंग्लैंड।
(4) मैसर्स आरजेंट इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता	मैसर्स राबर्टस् एण्ड स्कैफर कम्पनी, अमरीका।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चार पहिये वाले वैगनों का निर्यात

945. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पहिये वाले वैगनों के निर्यात का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी मंडी का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) दक्षिण-पूर्व, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देशों में भारतीय वैगनों की खपत हो सकती है। हो सकता है कि पूर्वी यूरोप के देशों को भी वैगनों का निर्यात हो सके। दक्षिण-पूर्व तथा पश्चिम एशिया के कुछ देशों का दौरा करने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल का विचार है कि विदेशों में भारत के प्रति बड़ा सद्भाव है और यदि माल को भेजने का तरीका तथा मूल्य आदि प्रतिस्पर्धी हो तो भारतीय वैगनों तथा रेलवे के अन्य सामान के लिये विदेशी मंडियों का विकास संभव हो सकता है।

भारत का वैगन तैयार करने का उद्योग अब काफी विकसित है तथा बोगियां और चार पहिये वाले डिब्बे दोनों ही तैयार किये जाते हैं। जब कभी विदेशों में भारतीय दूतावासों को विदेशी टेंडर प्राप्त होते हैं, उन्हें भारत के वैगन निर्माताओं के पास भेज दिया जाता है और पीछे कुछ कम्पनियों ने इन टेंडरों के उत्तर में अपनी मूल्य-सूचियां भी भेजी हैं। तथापि, अभी तक वैगनों के निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है।

माल ढोने वाले वैगनों का निर्यात बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण

946. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कम्पनी को ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की संख्या क्या है जो ऐसे रेडियो के निर्माण का काम कर रही हैं ;

(ग) क्या ये कम्पनियां पूरे का पूरा सेट तैयार करती हैं या अलग-अलग पुर्जों को केवल जोड़ती ही हैं ;

(घ) क्या इन कम्पनियों को विदेशी सहयोग भी मिल रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सहयोगी कम्पनियों का क्या नाम है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंन्द्र मिश्र) : (क) वर्तमान रेडियो निर्माताओं को अपनी पूरी क्षमता के अन्दर ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने की अनुमति दी जाती है। ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने के लिये अलग से कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

(ख) ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने वाले एककों की कुल संख्या 19 है।

(ग) ये एकक कुछेक पुर्जे स्वयं बना कर तथा/अथवा देश के अन्दर से ही अन्य निर्माताओं से कुछ पर्जे ले कर और आंशिक रूप में आयात द्वारा ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण कर रहे हैं।

(घ) इनमें से आठ कम्पनियों को विदेशी सहयोग मिल रहा है।

(ङ)

भारतीय कम्पनी	विदेशी सहकारी
(1) मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लि०, कलकत्ता	मैसर्स एन० वी० फिलिप्स, हालैंड
(2) मैसर्स जी० ई० सी० आफ इंडिया लि०, कलकत्ता।	मैसर्स जी० ई० सी० आफ यू० के०
(3) मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी, कलकत्ता	मैसर्स ई० एम० आई०, इंग्लैंड।
(4) मैसर्स मूलचन्दानी इलेक्ट्रिक एण्ड रेडियो इंडिया लि०, बम्बई।	मैसर्स रैंक-बुश-मर्फी, इंगलैंड।
(5) मैसर्स एम० आर० इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई।	
(6) मैसर्स नैशनल एक्को रेडियो एण्ड इंजीनियरिंग लि०, बम्बई।	मैसर्स ई० के० कोले एण्ड कम्पनी लि०, इंग्लैंड।
(7) मैसर्स इंडियन प्लास्टिक्स लि०, बम्बई	मैसर्स हयाकवा, जापान।
(8) मैसर्स रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, बंगलौर।	मैसर्स तोशीबा, जापान।

साफ्ट कोक बोर्ड

947. **श्री यशपाल सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोक उत्पादक खान संघ ने साफ्ट कोक बोर्ड बनाने की मांग की है ताकि साफ्ट कोक का प्रयोग बढ़ाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई सरकारी संगठन स्थापित करना जरूरी नहीं समझती। संघ को सलाह दी गई है कि साफ्ट कोक के उत्पादक तथा विक्रेता होने के नाते वे तेजी से प्रचार करें। सरकार ने राज्य सरकारों को भी पत्र लिखे हैं जिनमें इस बात पर बल दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ्ट कोक के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है तथा यह कि राज्यों में साफ्ट कोक के डिपों और डम्प खोलने के लिये उदारता से अनुमति दी जाए।

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

948. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस्तकारी के लिये निर्यात सलाहकार समिति ने 1970-71 तक प्रति वर्ष 41 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य का अनुमोदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्रमगत कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह : (क) जी हां।

(ख) पांच वर्षों के लिये मद-वार लक्ष्य बताने के अतिरिक्त इस योजना का क्रमगत कार्यक्रम बताना संभव नहीं है।

रेलवे हस्पताल

949. { **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री बागडी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष प्रत्येक जोनल रेलवे के रेलवे हस्पतालों में (1) अफसरों, (2) श्रेणी तीन के कर्मचारियों तथा (3) श्रेणी चार के कर्मचारियों को दी गई दवाइयों और विशेष चिकित्सा की लागत क्या थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 1963-64 में प्रत्येक जोनल रेलवे के रेलवे हस्पतालों में दी गई दवाइयों तथा विशेष चिकित्सा की लागत इस प्रकार है :—

रेलवे का नाम	राशि
	(रुपये)
मध्य	27,86,722
पूर्व	18,92,109
उत्तर	38,46,443
उत्तर-पूर्व	9,94,000
उत्तर-पूर्व सीमान्त	9,04,945
दक्षिण	18,89,000
दक्षिण-पूर्व	15,37,400
पश्चिम	26,83,000

रेलवे में (1) अफसरों, (2) श्रणी तीन के कमचारियों तथा (3) श्रणी चार के कर्मचारियों पर आई इस तरह की लागत का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

950. { **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री बामड़ी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली क्षेत्र में कितने प्रतिशत (1) अफसरों, (2) तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों तथा (3) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को आवास स्थान दिया गया है ; और

(ख) यदि कोई असमानता हो तो उसे दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) (1) अफसर 76.%

(2) **तृतीय श्रेणी :**

आवश्यक 84.5%

गैर-आवश्यक 11.23%

(3) **चतुर्थ श्रेणी :**

आवश्यक 96.37%

गैर-आवश्यक 23.73%

(ख) धन की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए प्रति वर्ष अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था की जाती है।

उत्तर भारत प्रादेशिक निर्यात सलाहकार समिति

951. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत प्रादेशिक निर्यात सलाहकार समिति की बैठक इस वर्ष अक्तूबर में नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात के संवधन के लिये इस बैठक में कौन सी योजनायें तैयार की गई थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3548/64]**

उदयपुर में जस्ता संयंत्र परियोजना

952. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 18 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदयपुर के जस्ता संयंत्र परियोजना को सरकारी क्षेत्र में लेने की व्यवहार्यता पर विचार कर लिया है : और

(ख) यदि हां, तो इसे सरकार क्यों सरकारी क्षेत्र में ले रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) मामले पर सरकार विचार कर रही है।

Spurious Motor Parts

953. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) Whether it has come to the notice of Government that spurious motor-parts are being sold in Delhi ; and

(b) if so, the steps taken by the Government in this respect ?

Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) No.

(b) Does not arise.

जापान को चाय का निर्यात

954. { श्री दलजीत सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री 29 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टोकियों में 1964 के ओलम्पिक खेलों में भारतीय चाय पिलाने की व्यवस्था और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किये गये उनका क्या प्रभाव रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): टोकियों में ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए जो लोग आये थे उनके सामने और स्थानीय लोगों के सामने भारतीय चाय की कल्पना सफलतापूर्वक रखी गयी। आखबारों में भी भारतीय चाय का अच्छा प्रचार हुआ।

चाय बोर्ड के निमंत्रण पर ऑल जापान ब्लैक टी एसोसियेशन के चेयरमैन, श्री के० इवाकुरा और जापान की एक प्रमुख चाय संस्था के प्रेसीडेण्ट ने हाल में ही भारत का दौरा किया चाय बोर्ड और चाय निर्यात करने वाले मुख्य लोगों ने उनके साथ चर्चा की। आशा है कि उनकी यात्रा से जापान को भारतीय चाय के निर्यात में काफी वृद्धि होगी।

पंजाब में औद्योगिक इकाइयां

955. **श्री दलजीत सिंह :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में अब तक पंजाब में कितनी नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई : और

(ख) शेष अवधि में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तीसरी योजना काल में अब तक पंजाब राज्य में बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में लगभग 40 नये औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। चूंकि छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिये जाते, अतः इस क्षेत्र में कितना नया विकास हुआ, यह निर्धारण कर ना संभव नहीं है।

(ख) शेषकाल में कितनी नई इकाइयां स्थापित की जायेगी इस बारे में इस समय कोई निर्धारण कर पाना संभव नहीं है।

नंगल बांध में पर्यटकों के लिये सुविधायें

956. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में नंगल और भाखड़ा बांध देखने के लिए बहुत अधिक संख्या में पर्यटक जाते है और ये स्थान उत्तर रेलवे पर पड़ते हैं ;

(ख) यात्रियों के इतने अधिक आवागमन के बावजूद भी नंगल बाँध रेलवे स्टेशन पर यात्रियों तथा पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यहां यात्रियों को प्लेटफार्म पर अपना भोजन बनाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो मंगल बांध में किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इस समय निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध है :—

(एक) ऊंचा प्लेटफार्म

(दो) पहले और दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय (सामान्य) और स्त्रियों के लिए एक मिलाजुला प्रतीक्षालय ।

(तीन) तीसरे दर्जे का एक प्रतीक्षा हॉल

(चार) पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था

(पांच) बिजली का प्रकाश

(छ) चाय की दुकान

(सात) प्लेटफार्म पर बेंचें

(आठ) परवाने ।

रेलवे खाना पकाने की सुविधायें नहीं प्रदान करती।

(ग) निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है :—

(एक) प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए शेड।

(दो) एक और यात्री प्लेटफार्म

(तीन) दो शेडवाला विश्रामालय और 8 खाटोंवाली एक डारमेटरी

(चार) तीसरे दर्जे के विश्रामालय को बढ़ाना

(पांच) पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में फ्लश परवाने।

(छ) स्वच्छ पाखानो, पेशाबघरों और स्नानागारों की सुविधायें।

बैलाडिल्ला लौह अयस्क परियोजना

957. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिल्ला लोह अयस्क परियोजना और तत्संबंधी अन्य रेलवे तथा पतन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है : और

(ख) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे इण्टर मीडियेट कालेज

958. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे इण्टरमीडियट कालेजों के कुछ अध्यापकों को पास नियमों के अधीन विशेष पास और पी०टी०ओ० के अलावा छुट्टी ड्यूटी पास की रियायत (दशहरा और गर्मी की छुट्टियों के दौरान) भी मिलती है जब की अन्य लोगों को यह रियायत नहीं मिलती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर 1956 में सम्बन्धित रेलवे को यह हिदायत दी गई थी कि छुट्टी के पास व्यक्तिगत सुविधा के रुप में केवल उन्हीं लोगों को दिये जाये जिन्हें इस समय दिये जाते हैं और भविष्य में नौकरी में आनेवाले लोगों को ऐसे पास न दिये जायें।

खनन इंजीनियर

959. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री कजरोलकर :
श्री ओझा :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन संस्थाओं से पास होकर प्रतिवर्ष निकलने वाले इंजीनियरों की नौकरी के अवसरों की कमी के संबंध में छानबीन करने के लिए कोई बोर्ड बनाया है ;

(ख) यदि हां, इस बोर्ड में कौन-कौन लोग हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) बोर्ड अपनी रिपोर्ट कब देगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) खनन इजीनियरिंग शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक संयुक्त बोर्ड बना दिया गया है। यद्यपि इस बोर्ड का मुख्य कार्य खनन इजीनियरिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण के सामान्य प्रश्न पर विचार करना है, लेकिन उसने खनन इंजीनियरें की नौकरी की संभावना की कमी से उत्पन्न समस्या पर भी विचार सुरू कर दिया है।

(ख) खनन इंजीनियरिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण संबंधी संयुक्त बोर्ड के सदस्यों तथा उनके कार्यों का एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिए संख्या एल० डी० 3549/64]**

(ग) इस समस्या के सब पहलुओं पर विचार करने के लिए जल्दी ही बोर्ड की बैठक होने वाली है। अवश्य है वह इस विषय पर अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे देगा।

काली मिर्च की कीमत

960. **श्री वारियर** :
श्री दाजी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलेप्पी ऑयल मिल्स एण्ड मर्चेन्ट्स एसोसियेशन के तत्वावधान में काली मिर्च का वायदा बाजार शुरू हो गया है : और

(ख) यदि हां, तो काली मिर्च की कीमतों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं। अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अदन को पुस्तकों का निर्यात

962. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू और हिन्दी में साहित्य का निर्यात करने के लिए, जिसकी अदन में बहुत मांग है, क्या उपाय किये गये है ?

वाणिज्यमंत्री (श्री मनभाई शाह): वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निकाले जाने वाले इण्डियन ट्रेड जनरल और कमर्शियल इनफार्मेशन सर्कुलर के द्वारा सम्बन्धित व्यापारियों को सूचित कर दिया गया है कि अदन में गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी साहित्य की बड़ी मांग है। निर्यात के लिए पुस्तकों के प्रकाशन हेतु कागज और अन्य कच्चा माल आयात करने की सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गयी है।

हाथ से चलाये जाने वाले बिजली के हलों का निर्माण

963. **महाराजकुमार विजय आनन्द**: क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी फर्म की मदद से हाथ से चलाये जाने वाले बिजली के हलों के निर्माण हेतु मद्रास में एक कारखाना खोलने की योजना का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में कितनी टेकनिकल और वित्तीय सहायता मिलेगी ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) बिजली के हलों के निर्माण के संबंध में जो योजनायें आई हैं, उन पर अभी विचार हो रहा है।

पोलैण्ड के साथ व्यापार

964. **श्री पु०चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड के साथ भारत का व्यापार संतुलन 1963-64 में घाटे का हो गया है जब कि 1962-63 में वह लगभग 3.83 करोड़ लाभ का था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। 1962-63 में निर्यात 11.55 करोड़ का था और 1963-64 में वह घट कर 9.6 करोड़ हो गया और आयात 8.13 करोड़ से बढ़कर 10.36 करोड़ हो गया।

(ख) पोलैण्ड सरकार ने जो दीर्घ कालीन ऋण की पेशकश की है, उसके अधीन आयात की गई मशीनरी आदि भी प्रत्यक्ष आयात में सम्मिलित मानी जाती है। 1963-64 में 1962-63 की अपेक्षा चमड़ा, खाल, काफी और जूट के सामान का निर्यात भी घट गया।

चन्दन की लकड़ी का तेल

965. **श्री ब्रजराज सिंह-कोटा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि मैसूर राज्य और चन्दन की लकड़ी के निजी कारखाने के मालिको के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता होने के कारण चन्दन की लकड़ी के तेल की कीमते बहुत बढ़ गई है और इस कारण कन्नौज के इत्र के मशहूर कारखाने के लिए संकट पैदा हो गया है : और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

साहेबपुर-कमाल स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतरना

966. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री बड़े :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार-बरौनी सेक्शन पर साहेबपुर-कमाल स्टेशन पर 14 अक्टूबर, 1964 को इलाहाबाद-जोगबानी यात्री गाड़ी पटरी से उतर गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे और सरकारी सम्पत्ति की कितनी हानी हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 14-10-64 को साहेबपुर-कमाल स्टेशन पर जो गाडी पटरी से उतर गई थी, वह इलाहाबाद-जोगबानी यात्री गाड़ी नहीं थी बल्कि वह 3-5 अप जोगबानीबरौनी जनता यात्री गाड़ी थी ।

(ख) इस दुर्घटना के फलस्वरूप न कोई मरा न कोई घायल हुआ ।

रेलवे सम्पत्ति को 750 रु० की हानि हुई ।

स्थानीय रोरो सिंचाई योजना का चैनल

967. **श्री ह० च० सोय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक साल से भी पहले बिहार सरकार (सिंचाई विभाग) ने रेलवे को धन दिया था कि वह पूर्वोत्तर रेलवे की राज खर्तवान लाइन पर पन्डरा-साली स्टेशन से स्थानीय रोरो सिंचाई योजना के मुख्य चैनल तक एक रास्ता बनवा दे लेकिन रेलवे अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवही नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को जल्दी करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख) जी नहीं । मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

पोलीथिलीन का आयात

968. { **श्री उइके :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम घनत्व वाली पोलीथिलीन का आयात करने के लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ताओं को नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में जो कम घनत्व वाली पोलीथिलीन बनाने वाले कारखाने हैं, वे देश के भीतर इसकी मांग पूरी नहीं कर पाते ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वास्तविक प्रयोक्ताओं को इस कच्ची सामग्री के आयात के लिए लाइसेंस देने का विचार कर रही है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम इसका आयात कर रहा और, उन भारतीय निर्माताओं के माध्यम से वितरित कर रहा है, जिन्होंने नये ग्राहकों को यह सामग्री सप्लाई करने में असमर्थता प्रकट कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कम घनत्व वाली पोलीथिलीन देश के भीतर साधनों से खूब मिल जाती है और इसके आयात की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) से (घ) मद्यसार की कमी के कारण सितम्बर, 1964 में पोलीथिलीन के उत्पादन में कमी हो गई थी और इससे सम्बन्धित उद्योग की जरूरत पूरी करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने कुछ मात्रा में पोलीथिलीन का आयात किया था। अगस्त 1964 के बाद देश में कम घनत्व वाली पोलीथिलीन का उत्पादन फिर बढ़ गया है और अब सम्बन्धित उद्योग की जरुरत पूरी कर पाना और नये ग्राहकों को भी दे पाना संभव हो गया है।

Manufacture of Soap

969. { **Shri Uikey** :
Shri Vidya Charan Shukla :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that restrictions have been imposed on the import of coconut oil, raw coconut and palm oil by actual users, which are used as a material by soap manufacturers ;

(b) whether it is also a fact that such raw material is not imported through the State Trading Corporation; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to meet the quirements of the small soap manufacturers in the country ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c) : Import of copra/palm oil is allowed against export of vegetable oils and oil cakes by all shippers including actual users of copra/palm oil. To avoid the shortfall in imports of copra as a result of ban on exports of edible vegetable oils imposed in July, 1964, State Trading Corporation has been asked to import a sizable quantity of copra and to distribute the same amongst actual users including the small soap manufacturers at suitable ruling prices.

काफी का उत्पादन और निर्यात

970. { **श्री प० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 के मौसम में काफी की फसल का उत्पादन सबसे अधिक रहा है, यदि हां, तो कितना; और मौसम संबंधी वर्तमान रिपोर्टों के आधार पर अगली फसल का अनुमान इसकी तुलना में कितना है ; और

(ख) क्या फसलें बहुत अच्छी होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अधीन काफी निर्यात के लिए अपेक्षाकृत अधिक कोटा प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। 31-10-64 तक 1963-64 के संग्रह में 68,620 टन की आगत हुई। वर्तमान मौसम के अनुसार आशा है कि 1964-65 की फसल 60,000 टन होगी।

(ख) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार 1962 के अधीन भारत के लिए निर्यात का मूल कोटा 21,600 टन है। वर्तमान कोटे को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विकास परिषदें

971. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उद्योगों संबंधी विकास परिषदें उन उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाने का साधन न रह कर केवल शिकायत संबंधी परिषदें बन गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन के गठन तथा कार्यप्रणालि का पुनर्गठन किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) जी नहीं। माननीय सदस्य का ध्यान इन विकास परिषदों की वार्षिक रिपोर्टों की ओर दिलाया जाता है, जिनमें उनके द्वारा किये गये काम का ब्यौरा दिया होता है और जिन्हें नियमित रूप से संसद के सामने रखा जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर भी अभी हात में किये गए एक पुनरीक्षण के फलस्वरूप पांच विकास परिषदों को भंग कर दिया जाये और उनमें से कुछ के स्थान पर कम सदस्यों का पेनल बना दिया जाये।

सांभर में नमक का निर्माण

972. **महाराज कुमार विजय आनन्द :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसार में साधारण और पशुओं को चटाने के लिए खनिज युक्त नमक के पिण्ड बनाने की मशीनें खरीदने के लिए योजना का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों की खरीद में कुल कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) पिछले छः महीनो में इन मशीनों से कितना उत्पादन किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दुर्लभ अलौह धातुओं के स्थान पर काम आने वाली अन्य धातुयें

973. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तांबा, जस्ता और सीसा जैसी उत्तम धातुओं के स्थान पर अलम्यूनियम तथा अन्य देशी धातुयें काम में लाये जाने के लिए कोई प्रयत्न किये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी सफलता मिली है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) नीचे उन मदों के नाम दिये जा रहे हैं जिनमें आयात किये जाने वाले तांबे और अन्य शुद्ध अलौह धातुओं के स्थान पर देशी अलम्युनियम इस्तेमाल कर पाना संभव हो सका है :

इलेक्ट्रिकल कन्डक्टस और कैबल, इलेक्ट्रिकल उपकरण और फिटिंग का सामान, बर्तन तथा घरों में काम आने वाला अन्य सामान।

साइकिल के टायरो में कालाबाजार

974. { **श्री फ० गो सेन :**
श्री राम सेवक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 899 के उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में देश भर में साइकिल के टायरों का कालाबाजार करने के लिए कितने व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया; और

(ख) क्या केवल कोटा बन्द करना ही ऐसे काले-बाजार को रोकने के लिए पर्याप्त प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है, विशेषकर आसाम में, और यदि हां, तो इस काले बाजार को रोकने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) साइकिल के टायरों और ट्यूबों की कीमत अधिक लेने की विशेष शिकायतो की जांच करने के बाद साइकिल टायर की दो कम्पनियों ने तीन व्यापारियों का कोटा बन्द कर दिया है।

(ख) जी नहीं। अन्य देश में इन वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ता अधिकाधिक संख्या में कम्पनियों-द्वारा निर्धारित मूल्य पर साइकिल के टायर और ट्यूब खरीद रहे हैं।

Railway line near Murshadpur

975. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bolts of a railway line between Najibabad and Murshadpur railway Stations were found missing on or about 22nd October 1964;

(b) weather Government have investigated in to this matter and if so the result thereof ;

(c) whether it is also a fact that similar incidents took place in the district of Bijnor also ; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, but the incident occurred on 27th October 1964, and not on 22nd October, 1964 within the station limits of Maurshadpur.

(b) A case U/s 128 Indian Railways Act is under investigation by the C.I.D. branch of the Uttar Pradesh Police, assisted by the Government Railway Police.

(c) Yes, only one.

(d) Security measures have been intensified in the area.

कोयला खनन मशीन परियोजना

976. **श्री ओझा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खनन मशीन परियोजना और सरकारी क्षेत्र के कोयला शोधनशालाओं को चलाने के लिए एक निगम बनाना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंगा नदी पर नाव सेवा

977. **श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब तक फरक्का पुल बन कर तैयार न हो जाये तब तक गंगा नदी पर धुलियां-खजुरियाघाट नाव सेवा को सरकार रेल-सह-नाव सेवा के रूप में अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ;

(ख) वर्तमान अवस्था में परिवहन वालों को जो कठिनाइयां होती हैं, उनकी ओर क्या सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है ; और

(ग) यह महत्वपूर्ण नाव सेवा को नीलम पर गैर-सरकारी लोगों को क्या दिया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) धुलियां-खजुरियाघाट नाव सेवा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं। फरक्का से खजुरिया घाट के बीच यात्री, माल-सामान और पार्सल बुक करने की एक नाव सेवा है जो उत्तर सीमांत रेलवे से और उसके लिए सामान लाती ले जाती है, पूर्वी रेलवे द्वारा चलाई जाती है।

(ग) धुलियां-खजुरिया घाट नाव सेवा को पश्चिम बंगाल सरकार नीलाम करके ठेके पर उठाती है और इसलिए इस मामले में इस मंत्रालय को कुछ नहीं कहना है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर धोखाघड़ी

978. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1962 से 31 अक्टूबर, 1964 तक (i) इन्सपेक्टर्स आफ कोचिंग गुड्स (ii) इन्सपेक्टर्स आफ स्टेशन अकाउन्टस और (iii) इन्सपेक्टर्स आफ स्टोर्स एकाउन्ट्स द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे पर धोखेघड़ी के कुल कितने मामले पकड़े गये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : एक स्टेशन के गुड्स के हिसाब-किताब में एरिया ट्रेवेलिंग इन्सपेक्टर आफ एकाउण्ट्स द्वारा धोखाघड़ी का एक मामला पकड़ा गया। इन्सपेक्टर आफ स्टोर्स एकाउण्ट्स या कोचिंग अथवा गुड्स के किसी अन्य इन्सपेक्टर द्वारा धोखेघड़ी का कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

पूर्वोत्तर रेलवे पर टी० टी० ई०

979. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में 1962-63 और 1963-64 में कितने अतिरिक्त ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनर नियुक्त किये गये ; और

(ख) इन ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनरों ने इसी अवधि में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने के रूप में कुल कितनी राशि इकट्ठी की ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :

(क) 1962-63--एक भी नहीं
1963-64--14

(ख) 1962-63--एक भी नहीं
1963-64--3911 रु०

Mysore Iron and Steel Company

980. **Shri Vishwa Nath Pande :**
Shri T. Subramanyam :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been reached between the Mysore Iron and Steel Company Ltd., Bhadravati and the West German Development Bank ;

(b) if so, the terms of the agreement ; and

(c) when the agreement shall be implemented ?

The Minister of Steel and Mines (Sri N. Sanjiv Reddy) : (a) to (c) : A loan agreement between Mysore Iron & Steel Ltd. and Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Frankfurt/Main was signed on the 22nd October, 1964 for DM 60 million. The loan amounting to DM 60 million would be used exclusively for meeting the foreign exchange cost of the equipment for the conversion of the Mysore Iron & Steel Ltd., into an Alloy and Special Steels Plant. The loan which would carry an interest of 5½% per annum would be repaid in thirty half-yearly instalments commencing from December 31, 1969.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियां

981. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या इस्पात तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां काम कर रही हैं ; और

(ख) वे किस प्रकार का काम कर रही है ?

उद्योग तथा संभारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 30 जून, 1963 को उत्तर प्रदेश में 4717 औद्योगिक सहकारी समितियां काम कर रही थीं।

(ख) ये समितियां निम्नलिखित उद्योगों के संबंध में उत्पादन और क्रय-विक्रय आदि का काम कर रही है :—

(1) हथकरघा
(2) छोटे पैमाने के उद्योग
(3) औद्योगिक बस्तियां
(4) दस्तकारी
(5) रेशम कीट पालन
(6) खादी तथा ग्रामोद्योग

औद्योगिक उत्पादन

982. { **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 की तुलना में जनवरी-जून 1964 में औद्योगिक उत्पादन की दर कम रही; और

(ख) यदि हां, तो गिरावट की दर कितनी रही और इसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी-जून 1964 में औद्योगिक उत्पादन का देशनांक 1963 में इसी अवधि के देशनांक की तुलना में 6.8 प्रतिशत बढ गया। 1963 का देशनांक 1962 के देशनांक की तुलना में 9.2 प्रतिशत बढ़ा। गिरावट के कारण नीचे दिये जाते हैं :—

(एक) वर्ष के प्रथमार्द्ध में सामान्यत: औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर कम होती है। वर्ष के उत्तरार्द्ध में उत्पादन बढ़ जाता है इसका आंशिक कारण यह है कि चाय जैसे कुछ उद्योग जिन्हें देशनांक में सम्मिलित किया जाता है, मौसमी प्रकार के हैं।

(दो) ऊनी कपड़े जैसे कुछ उद्योगों में पहले प्रतिरक्षा संबंधी मांग की जो कमी थी, 1963 में उनमें वृद्धि हुई। कुछ उद्योगों में खास तौर अल्युमिनियम उत्पादन संबंधी उद्योग में 1963 में काफी वृद्धि हुई क्योंकि नई परियोजनाओं में पूर्णत: उत्पादन आरंभ हो गया। और

(तीन) विदेशी मुद्रा की कमी अभी भी एक बड़ा कारण है जो औद्योगिक उत्पादन के मार्ग में बाधक है और इसी कारण विद्यमान मशीनरी का कोई वैकल्पिक उपयोग भी नहीं किया जा सकता।

संभरण तथा निबटान का उप-महा निदेशक

983. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संभरण तथा निबटान के उपमहानिदेशक श्री के० सी० खोसला के विरुद्ध जो आरोप थे उनकी जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच से क्या पता लगा ; और

(ग) जांच से पता लगने वाली बातों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह आरोप सही सिद्ध हो गया कि उस अधिकारी के पास उसकी आय के विदित साधनों से अधिक सम्पत्ति थी और 9 सितम्बर, 1964 को उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

रेलवे मंत्री का सहायता तथा कल्याण कोष

984. **श्री नम्बीयार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्री के सहायता तथा कल्याण कोष में से पात्र कर्मचारियों को सहायता देने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रणाली बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) रेलवे मंत्री के सहायता तथा कल्याण कोष से सहायता लेने के लिए जो आवेदन पत्र आते हैं, उन पर एक प्रबन्ध समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(1) एडिशनल मेम्बर स्टाफ, पदेन सभापति के रूप में ।

(2) डाइरेक्टर फाइनेंस डाइरेक्टर इस्टेबलिशमेंट और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ।

(3) ज्वाइंट डाइरेक्टर फाइनेंस (इस्टेबलिशमेंट), पदेन कोषाध्यक्ष के रूप में ।

(4) डिप्टी डाइरेक्टर इस्टेबलिशमेंट (एल०), पदेन सचिव के रूप में ।

प्रत्येक मामले पर विचार करने के बाद यह प्रबन्ध समिति सहायता देती है ।

टांके लगाने वाला इस्पात

985. **श्री राम सेवक** :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टांके लगाने वाला इस्पात देश में बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस थोक और फुटकल दर पर बेचने के लिए इसे दिया जाता है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य इलेक्ट्रोड किस्म की छड़ों के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे एलेक्ट्रोड किस्म के तार निकाले जाते हैं जो एलेक्ट्रोड में टांके लगाने के लिए काम में लाये जाते हैं । ये छड़ें भारत में ढाली जाती हैं । एलेक्ट्रोड किस्म के इस्पात पर कन्ट्रोल है और संयुक्त संयत्र समिति इसकी कीमत निर्धारित करती है । इन छड़ों की वर्तमान कीमतें इस प्रकार हैं :—

(i)	0.3 प्रतिशत अधिकतम सल्फर और फासफोरस वाली ।	रेल के अन्तिम स्टेशन तक निःशुल्क 775 रु० प्रति टन ।
(ii)	0.03 प्रतिशत अधिकतम सल्फर और फासफोरस वाली लेकिन साथ में 0.035 प्रतिशत अधिकतम सल्फर और फासफोरस वाली 15 प्रतिशत लेन पर ।	रेल के अन्तिम स्टेशन तक निःशुल्क 750 रु० प्रति टन ।
(iii)	0.035 प्रतिशत अधिकतम सल्फर और फासफोरस वाली ।	रेल के अन्तिम स्टेशन तक निःशुल्क 725 रु० प्रति टन ।

बिलेट के बाद अन्य किसी स्तर पर संयुक्त संयम समिति कीमत निर्धारित नहीं करती ।

उत्तर प्रदेश में बेबीफूड कारखाना

986. { **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 60,00,000 रु० की लागत का एक बेबी फूड कारखाना खोला जाने वाला है ; और

(ख) क्या सरकार इस उद्योग में हाथ बटाना चाहती है और यदि हां, तो किस हद तक ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) ऐक्ट, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिए एक आवेदन पत्र आया है, जो उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में चन्दौसी में छोटे शिशुओं के लिए दूधवाला भोजन बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए है और प्रादेशिक कोऑपरेटिव्ह डेरी फेडरेशन लिमिटड, लखनाऊ के प्रेसीडेण्ट श्री मंगला प्रसाद ने यह आवेदन पत्र दिया है। इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

कागज बनाने और छपाई की मशीन

987. { **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज बनाने और छपाई की मशीनें बनाने के लिए दस फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) 1963 में उत्पादन कितना था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) अभी तक कागज और कागज की लुगदी बनाने की मशीनों के निर्माण के लिए बाइस लाइसेंस दिये जा चुके हैं। इनमें से एक्वीस लाइसेंस 1961 में और इससे पूर्व दिये गये थे। एक लाइसेंस 1962 में दिया गया। इसके अलावा जून 1964 में औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिए एक इच्छा-पत्र जारी कर दिया गया है.

छपाई की मशीन बनाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) ऐक्ट, 1951 के अधीन लाइसेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उद्योग इस ऐक्ट के अधीन नहीं आता। फिर भी, सरकार अब तक छपाई की मशीनें बनाने की चौदह योजनाओं की स्वीकृति दे चुकी है।

(ख) 1963 में देश में कागज तथा कागज की लुगदी बनाने का उत्पादन 134 लाख रु० का था और छपाई मशीनों का उत्पादन 4.34 लाख रु० का था।

दिल्ली में औद्योगिक बस्ती

988. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री एम० हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी क्षेत्र में एक और औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और किस प्रकार के उद्योग उसमें चलाये जायेंगे ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) दो सहकारी औद्योगिक बस्तियों के लिए भूमि आवण्टित कर दी गयी है——एक मथुरा रोड पर और दूसरी अम्बाला जाने वाली जी० टी० रोड पर। ये सरकारी संस्थायें इस भूमि का विकास करेंगी और अपने सदस्यों के लिए उस पर शेड बनायेंगी। मथुरा रोड वाली औद्योगिक बस्ती की सहकारी संस्था के अधिकांश सदस्य वे औद्योगिक कारखाने हैं जो इस समय उचित स्थानों पर नहीं हैं और दिल्ली बृहद् योजना के अधीन जिन्हें अपनी वर्तमान जगह से हटना पड़ेगा। इन औद्योगिक बस्तियों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे, इस संबंध में कोई रोक नहीं है, शर्त केवल यही है कि वे छोटे पैमाने के उद्योग हों।

Issue of passes to Political Organisations

989. Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway passes have been issued to the Chiefs of some political organisations for undertaking railway journeys ; and

(b) if so, the names of those organisations and their Chiefs ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Heavy Electrical (India) Ltd.

990. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether the production in Heavy Electricals (India) Limited is taking place according to schedule ;

(b) If not, the present position of production and the reasons for the shortfall, if any, in the production ;

(c) the steps being taken by Government to achieve the production target in future ?

The deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) & (b) During 1963-64, the Heavy Electricals Plant, Bhopal achieved saleable output valued at Rs. 450 lakhs against the Consultants' estimate of Rs. 404·81 lakhs for 1963 as laid down in their Detailed Project Report. In view of the modified and expanded manufacturing programme, however, the plant authorities had set their own target for 1963-64 at Rs. 530 lakhs which was not reached. During 1964-65 upto end of October the saleable output is Rs. 239 lakhs against the Plant's own target of Rs. 434 lakhs for the same period. The reasons for the shortfall are low productivity and labour trouble.

(c) Introduction of an incentive scheme to step up production is under active consideration. Labour problems are also being tackled as far as possible on a long term basis.

Import of Liquor

991. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of liquor manufactured in India in 1962-63 and 1963-64 ;

(b) the value of liquor imported during these two years ;

(c) whether Government propose to take any action to ban the import of liquor ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b) A statement is laid on the table of the House (**Placed in the library.** *See No. L. T.* 3550/64)

(c) & (d) The import of liquor is already restricted.

उमरेर कोयला खान

992. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शुरू की गई उमरेर कोयला खान में उत्पादन-कार्य बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) इस खान में अभी वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। अतः इस समय यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि वहां उत्पादन बन्द कर दिया गया है.।

उमरेर-बूटीबोरी रेलवे लाइन

993. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उमरेर-बूटीबोरी रेलवे लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के निर्माण का काम धीमा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेलवे मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) कोयला संबंधी योजना दल की रिपोर्ट के अनुसार उमरेर खान से उत्पादन का कार्यक्रम संशोधित करके कम कर दिया गया है। इस कारण और धन की कमी के कारण इस लाइन के निर्माण का कार्य कोयला खान के विकास की प्रगति के अनुसार ही किये जाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इस कोयला खान के विकसित होने तक यह लाइन बन कर तयार हो जायेगी।

इम्फाल और ऐजल के बीच लिंक लाइन

994. **श्रीमति ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की संभावना का पता लगायेगी कि मनीपुर में इम्फाल से मियो जिले में ऐजल तक सिलचर होकर एक लिंक लाइन बनाई जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) यह क्षेत्र बड़ा कठिनाई पूर्ण है और इस क्षेत्र में बनाई जाने वाली रेलवे लाइन को ऊंची नीची पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ेगा और ढालों और टेढ़े-मेढ़े रास्तों के कारण इस रेलवे की परिवहन क्षमता बहुत सीमित होगी। इसके अलावा इसके बनाने तथा बाद में इसके रख-रखाव पर बहुत अधिक धन खर्च करना होगा। यह अधिक अच्छा होगा कि परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में सड़कको सुधारा जाये।

भूरा लोहा कारखाना

995. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार जेकोस्लेवाकिया के सहयोग से भूरे लोहे का एक कारखाना स्थापित करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इसका कार्य कब आरंभ होगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जबलपुर में।

(ग) आशा है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रविधिक सहायता तैयार करने के लिए निकट भविष्य में जेकोस्लोवाकिया के साथ एक करार सम्पन्न हो जायेगा। परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही इस परियोजना की कार्यान्वित संबंधी कार्यक्रम उपलब्ध हो सकेगा।

टेपिओका का निर्यात

996. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेपिओका के निर्यातकों को दी जा रही आर्थिक सहायता बन्द करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में केरल से कितनी मात्रा में टेपिओका का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) टेपिओका के निर्यातकों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) टेपिओका के निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते। पिछले पांच वर्षों में टेपिओका और टेपिओका उत्पाद के निर्यात का बोध कराने वाला एक विवरण संलग्न है। सभा पटल पर रखा गया। [**पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० सी० 3551/64**]

Registration of Contractors

997. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yeshpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the latest instructions issued by the Railway Board, all the contractors are required to get themselves registered in various Railway zones yearly and the work awarded on the basis of tenders ; and

(b) if so, the broad details of the new system ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No instructions have been issued to the zonal Railways for registration of contractors annually. Contracts are generally awarded on the basis of tenders.

(b) Does not arise.

इंजीनियरिंग क्षमता

998. **श्री तन सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिश्रित और विशेष इस्पात की सप्लाई पर्याप्त न होने के कारण हमारे देश की काफी इंजीनियरिंग क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता ; और

(ख) यदि हां, तो एसी स्थिति का सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) वस्त्र मशीनरी, छोटे औजार, बिजली सामान जैसे कुछ उद्योगों में कुछ क्षमता अप्रयुक्त अवश्य है। कुछ छोटे उद्योगों जैसे ब्लेड, क्राउन कार्क, शौचालय आदि का सामान, छतरी के तार और फिटिंग आदि में भी कुछ अप्रयुक्त क्षमता है। इस अप्रयुक्त क्षमता का कारण पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि पर्याप्त मात्रा में मिश्रित और विशेष इस्पात की सप्लाई नहीं होती। यह तो अनेक कारणों में से केवल एक कारण है। इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे कच्चा लोहा व पक्का कोयला की कमी आयात किये जाने वाले सामान की सप्लाई की कमी, कुछ क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की कमी आदि। परन्तु यह कहा जा सकता है कि इस क्षमता के अप्रयुक्त रहने का मुख्य कारण यह है कि मिश्रित तथा विशेष इस्पात सहित विदेशी पुर्जे और कच्चा माल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी है।

(ख) सरकार कोशिश करती रही है कि विदेशी मुद्रा के सीमित साधनों के भीतर रहते हुये जहां तक संभव हो इंजीनियरिंग उद्योगों की जरूरतें पूरी की जायें। विदेशी मुद्रा देने के संबंध में कुछ उद्योगों को, जो देश की अर्थ व्यवस्था के लिए बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कच्चे लोहे, पक्के कोयले, मिश्रित और विशेष इस्पात आदि जैसे कच्चे माल की सप्लाई देश के भीतरी साधनों से बढा दी जाये। योजना बनाई गई है कि 1965-66 तक अनुमानतः 6 लाख टन मिश्रित और विशेष इस्पात निर्माण की क्षमता स्थापित की जाये जब कि आशा है कि इसकी मांग 461,000 टन होगी। मिश्रित और विशेष इस्पात बनाने के लिए जिन कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनमें शीघ्र से शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

कुवैत से शिष्ट मंडल

999. **श्रीमति रेणुका बडकटकी :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत और भारत के बीच आर्थिक सहयोग की परियोजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए क्या हाल में ही कुवैत से एक शिष्टमंडल निकट भविष्य में भारत आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके भारत आने पर किन मुख्यमुख्य परियोजनाओं के बारे में चर्चा होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) आशा है कि पहले जो चर्चा हो गई है उसी को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की कुछ परियोजनाओं के संबंध में बातचीत करने हेतु भारत और कुवैत के बीच कुछ शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान होगा। यात्रा का अभी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

आसाम में बुनकर-सेवा केन्द्र

1000. श्रीमति रेणुका बडकटकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने सिफारिश की है कि आसाम में एक बनकर सेवा केन्द्र स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

कटिहार जंक्शन पर गाडी बदलने की कठिनाइयां

1001. श्रीमति ज्योत्स्ना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कटिहार जंक्शन पर बड़ी लाइन से छोटी लाइन और छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर आने-जाने में यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कटिहार जंक्शन तक बड़ी लाइन बढ़ाने का कोई विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) छोटी लाइन और बड़ी लाइन के स्टेशनों के आधे मील की दूरी पर होने के कारण सीधे जाने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों व असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से 1962 में इस बात पर विचार किया गया था कि बड़ी लाइन को बढ़ा कर छोटी लाइन के स्टेशन तक पहुंचा दिया जाये। इस प्रकार का मेल तभी संभव हो सकता है जब छोटी लाइन की पटरियों को पार किया जाये और छोटी लाइन पर होने वाली भीड़-भाड़ के कारण लाइनों को ऊपर से पार कर पाना कठिन है। इसके लिए एक विकल्प यही था कि बड़ी लाइन के ऊपर एक पुल बनाकर छोटी लाइन के ऊपर से उस पर से जाने की व्यवस्था की जाये। इस प्रकार इसकी लागत 57 लाख रु० आने वाली थी।

अनुमानतः 200 यात्री प्रतिदिन वहां से सीधे जाने वाले गुजरते हैं। इतने थोड़े से यात्रियों की यह मामुली सी कठिनाई दूर करने के लिए इतनी अधिक धन राशि खर्च करना ठीक नहीं समझा गया और इसलिए इस विचार को कार्यरूप में परिणित नहीं किया गया।

लेकिन यदि भविष्य में कटिहार-बरौली सेक्शन को बड़ी लाइन में बदला गया, तो इन लाइनों के बारे में भी ध्यान रखा जायेगा। परन्तु इस समय परिचालन संबंधी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये इस लाइन को बढ़ा पाना संभव नहीं है।

Consumption of Coal

1002. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that consumption of coal is going down continuously ;

(b) if so, the consumption in 1963 and 1964 ; and

(c) the steps under consideration of Government in the matter ?

Minister for Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) No Sir. The overall consumption of coal in the country is not "going down continuously". The total demand for coal has however not developed as anticipated, and is at present almost static.

(b) The total despatches of coal to all categories of consumers in 1963 amounted to 58·75 million tonnes. According to present indications, the overall despatches in 1964 may be of about the same order.

(c) To increase the consumption of coal, Government have taken several measures such as :—

(i) Relaxation of distribution control over to lower grades of coal and soft coke.

(ii) Liberalisation of the licensing policy with regard to opening of brick kilns and soft coke depots.

(iii) The State Governments have been advised to encourage the growth of coal based industries and restrict the use of fire wood and charcoal in industrial furnaces.

(iv) Permission to consumers to draw supplies over and above their quotas.

तोरिया और तोरिया के तेल का वायदा व्यापार

1003. **श्री यु० सि० चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तोरिया और तोरिया के तेल के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) कीमतों को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए और तोरिया की आड़ में चना, मटर आदि का अवैध वायदा व्यापार रोकने की दृष्टि से तोरिया पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, तोरिया के तेल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

रायल्टी के बकाया की वसूली

1004. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 3 अक्टूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1753 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के नौ खान मालिकों को, जिन्होंने नियम का उल्लंघन करके रायल्टी का निर्धारण किये जाने के विरुद्ध खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन केन्द्रीय सरकार के सामने पुनरीक्षण याचिका पेश की है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 1962 में दिये गये आदेश के अनुसरण में तिमाही किमतों में कुछ राशि करने के लिए कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के खान मालिकों ने अभी तक कुल कितनी राशि उड़ीसा की सरकार के पास जमा किया है ;

(ग) 1962 में उन्होंने जो याचिका दी थी क्या वह अभी तक अनिर्णित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि खनिजों पर रायल्टी इकट्ठा करने का कार्य राज्य सरकार का है, अतः मांगी गई जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है। जानकारी उड़ीसा सरकार से मांगी गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है। पुनरीक्षण आवेदन पत्रों की जल्दी छानबीन करने के लिए विशेष कर्मचारी वर्ग नियुक्त कर दिया गया है।

मैंगनीज की उत्पादन लागत

1005. **मोहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी खानों से मैंगनीज, लोहा और क्रोमाइट की खनिज निकाली जा रही है, उनकी प्रति टन उत्पादन लागत राज्य वार कितनी है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जो जानकारी मांगी गई है वह व्यापार के रहस्य से सम्बन्धित है और कोई भी गैर-सरकारी खान मालिक इसे बताना पसंद नहीं करेगा। जहां तक सरकारी क्षेत्र में इस समय निकाली जाने वाली लोहे और मैंगनीज की खनिज का संबध है, उसकी उत्पादन लागत बताना लोक हित में नहीं है।

रूरकेला में लोह अयस्क की जरूरत

1006. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के इस्पात कारखाने में प्रति वर्ष कितने लौह अयस्क की जरूरत होती है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन जो बरसुआ लौह अयस्क खानें हैं क्या वे रूरकेला संयंत्र को आवश्यक मात्रा में लौह अयस्क की सप्लाई करने की स्थिति में हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष लौह अयस्क कहां से मिलता है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) रूरकेला इस्पात संयंत्र को प्रति वर्ष 15 लाख टन लौह अयस्क की जरूरत होती है। बरसुआ लौह अयस्क खान इतना लौह अयस्क दे सकती है। चूंकि बरसुआ के लौह अयस्क में लोहे का प्रतिशत कम होता है और फाइन का प्रतिशत अधिक होता है, अतः अच्छे किस्म का 30 प्रतिशत लौह अयस्क राज्य व्यापार निगम की मार्फत खरीदा जाता है, ताकि उत्पादन की अर्थ व्यवस्था ठीक बनी रहे। बरसुआ में जब कोयला साफ करने का संयंत्र लगा दिया जायेगा और सिंट्रिंग संयंत्र अपना कार्य आरंभ कर देगा, तब आशा है कि बरसुआ लौह अयस्क खान इस इस्पात संयंत्र की सारी जरूरत पूरी करने की स्थिति में हो जायेगा।

पश्चिम रेलवे पर रेल-लारी टक्कर

1007. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 सितम्बर, 1964 को पश्चिम रेलवे पर परानजित और सोनासन के बीच एक रेल फाटक पर एक भरी हुई मोटर लारी और एक रेलगाड़ी की टक्कर हो गई ;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों की छानबीन कर ली गई है ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनायें फिर न हों, इसके लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) यह दुर्घटना 22 सितम्बर, 1964 को नहीं बल्कि 27 सितम्बर, 1964 को हुई थी।

(ख) जी हां। यह दुर्घटना मोटर ट्रक के ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई थी।

(ग) प्रचार के अनेक साधनों से सड़क इस्तेमाल करने वालों को अक्सर आगाह किया जाता है कि वे रेलवे के फाटकों के पास पहुंचते समय वे बेपरवाही और तेजी से गाड़ी न चलायें क्योंकि इससे खतरा रहता है। इसके अलावा 1962 में रेलवे दुर्घटना समिति ने जो सिफारिशें की थीं दुर्घटनायें रोकने के लिये उनकी कार्यान्वित के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

टेल्को को ऋण

1008. **श्री ह० च० सोय :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने टेल्को, जमशेदपुर को कितनी राशि का ऋण और वित्तीय गारंटी दी हैं, कैसे उनका उपयोग किया गया है और कैसे सरकार उन्हें वापस ले रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वधेन्द्र मिश्र) : मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर को सरकार ने न कोई ऋण दिया है और न कोई वित्तीय गारंटी दी है।

जोर्डन के साथ व्यापार करार

1009. { **श्रीमति रेणुका बडकटकी :**
श्री ओंकर लाल बरेवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जोर्डन ने अभी हाल में कोई दीर्घकालीन व्यापार करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) 15 नवम्बर 1964 को अमान (जोर्डन) में कागजातों पर हस्ताक्षर करके वर्तमान भारत-जोर्डन व्यापार करार को 3 वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया जो अब 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होगा।

2. कागजातों में यह भी कहा गया है कि (i) दोनों सरकारों की एक संयुक्त समिति समय-समय पर बैठक करेंगी हर साल और यह व्यवस्था करेंगी कि करार और कागजातों के उपबन्धों का पूरा-पूरा पालन किया जाये, और (ii) दोनों सरकारों प्रविधिक क्षेत्रों में और आर्थिक विकास के प्रयोजन के लिये जिसमें संयुक्त उपक्रम खोलना और व्यापार बढ़ाना भी सम्मिलित है—अधिक से अधिक सहयोग करेंगी।

तिरुर में ऊपरी पुल

1010. **श्री कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री 11 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरुर (केरल) में रेलवे का ऊपरी पुल बनाने का काम शुरू करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : तिरूर (केरल) में ऊपरी पुल बनाने का कार्य जो वर्ष 1963–64 में बनाया जाना था, उसे 1965–66 के लिये स्थगित कर दिया गया है क्योंकि केरल सरकार ने इस कार्य के लिये उसी वर्ष में धन का उपबन्ध किया है।

केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

1011. **श्री कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेलवे लाइन के किसी सेक्शन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गाड़ियों को रोका जाना

1012. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 नवम्बर, 1964 को दिल्ली और मेरठ के बीच रेलगाड़ियों का आवागमन पांच घंटे तक रुका रहा क्योंकि यात्रियों ने गाजियाबाद और हिण्डन पुल पर गाड़ी रोक ली थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिकी मेले में आवागमन की भीड़भाड़ के लिए 1 जी० एन० डी० गाजियाबाद—नई दिल्ली शटल का एक रेक, जो 18.25 से अगले दिन 8.35 तक गाजियाबाद में रुका रहता है, 16/17 नवम्बर, 1964 की रात को मेला/एक्सप्रेस चलाने के लिए काम में लाया गया। आशा थी कि यह रेक समय से गाजियाबाद वापस आ जायेगा ताकि उसे 8.35 बजे उसे 1 जी० एन० डी० में लगा दिया जाये लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से 17 नवम्बर, 1964 को यह रेक 8.58 बजे यानी 23 मिनट देर से आ पाया। इसी बीच 2 एन० एम० मेरठ-सिटी—नई दिल्ली शटल, जो गाजियाबाद पहुंच गई थी, वहां से ठीक समय पर—8.54 बजे रवाना हो गई, लेकिन यात्रियों ने बार-बार उसकी खतरे की जंजीर खींची, ये यात्री सामान्य तया दिल्ली/नई दिल्ली आने के लिए 1जी० एन० डी० शटल का इस्तेमाल करते थे और गाजियाबाद—नई दिल्ली शटल के देर से रवाना होने के कारण वे नाराज हो गये। लोगों ने दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाली गाड़ियों के मामले में हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप साहिबाबाद और गाजियाबाद के बीच 14.10 बजे तक गाड़ियों का आना-जाना रुका रहा। इस कारण 14 यात्री गाड़ियां डेढ़ घंटे से 6 घंटे 14 मिनट तक लेट हो गई और इसके अलावा कुछ मालगाड़ियों के आने-जाने में भी गड़बड़ी हुई।

(ग) पहले से भी हिदायतें हैं और फिर से भी हिदायतें दे दी गई हैं कि उपनगरीय गाड़ियों के आने-जाने के समय का ठीक ढंग से पालन किया जाये और अन्य गाड़ियों के कारण उनके समय में गड़बड़ी न पैदा होने दी जाये और इस बात का यथासंभव पूरी तरह से पालन किया जाता है।

आस्ट्रेलिया को निर्यात

1013. **श्रीमति रेणुका बडकटकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से भारतीय दस्तकारी की जो वस्तुयें आस्ट्रेलिया भेजी गई हैं, उनके संबंध में वहां के आयातकर्त्ताओं ने उनकी किस्म के बारे में असंतोष व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार हमारे निर्यात की वस्तुओं की किस्म की गारंटी लेने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्व रेलवे पर राजेंद्र पुल

1014. **श्रीमति राम दुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी के कटाव के कारण पूर्व रेलवे पर बने राजेन्द्रपुल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खतरे को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में स्टेशनों को नया रुप देना

1015. **श्री ई० मधसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में दोरनाकल और महबूबाबाद स्टेशनों के विकास और उनको नया रूप देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है और उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। दोरनाकल या महबूबाबाद स्टेशन की रेलवे की वर्तमान इमारतों में कोई सुधार करने या उनको नया रूप देने की कोई योजना नहीं है। लेकिन दोरनाकल में स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में कुछ सुधार करने की बात, जिसकी लागत 10,000 रु० होगी, रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद 1965–66 के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इण्डियन टेलिफोन इन्डीस्ट्रीज, बंगलौर में कथित हड़ताल

श्री यशपाल सिंह (कैरानो) : मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और निवेदन करता हू कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें ––

"इंडियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर में 10,500 कर्मचारियों की हड़ताल का समाचार।

संचार और संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : 1 अक्तूबर, 1963 को इंडियन टेलिफोन इडस्ट्रीज़ एम्प्लाइज़ युनियन ने 13 मांगों वाला एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था। बाद में 29 फरवरी 1964 को उन्होने अपनेमांग-पत्र में दो और मांगें जोड़ दीं। मांगें मुख्य-रूप से वेतन के ढ़ांचे के पुनरीक्षण सेवाकाल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मंजूरी, मकान-किराया भत्ते की मंजूरी, छुट्टी की रियायतों आदिके सम्बन्ध में थीं। इंडियन टेलीफोन इडस्ट्रीजके निदेशक-मण्डल ने कुछ मांगें मंजूर कर लीं और कुछ मांगें ना मंजूर कर दीं तथा प्रबन्ध-निदेशक को युनियन से वार्ता का अधिकार दे दिया। युनियन की प्रत्येक मांग की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3535/64।**]

प्रबंधकों ने युनियन के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं जिनमें मांगों पर विचार हुआ और निदेशक-मण्डल के निर्णय उन्हें बताये गये। किन्तु शेष मांगों पर कोई समझौता नहीं हो पाया।

प्रबंधकों और युनियन के प्रतिनिधियों से सलाह करके विवाद को तय करा देने के लिये मैसूर सरकारने एक समझौता-अधिकारी नियुक्त किया। समझौता अधिकारी, समझौता-कार्यवाही को निम्नलिखित शेष मांगों तक सीमित करने के लिये राजी हो गया :

1. अग्रिम वेतन-वृद्धियों की मंजूरी ; और
2. कुल वेतन के $7\frac{1}{2}\%$ तक मकान किराया भत्ते की मंजूरी।

प्रबंधकों ने समझौता अधिकारी को बतलाया कि वेतन-ढ़ांचे के पुनरीक्षण के प्रश्न पर "इंजीनियरी उद्योगों का वेतन -मण्डल" विचार करेगा, जिसकी नियुक्ति सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने इस बात की और भी संकेत किया कि यदि अग्रिम-वेतन-वृत्तियों विषयक पहली मांग स्वीकार कर ली गयी तो वेतन-मण्डल के निर्णय पर उसका अवांकित प्रभाव पड़ेगा। किन्तु अन्तरिम-सहायता के रूप में उन्होंने प्रोत्साहन-भुगतान में 5 रुपये प्रतिमास की वृद्धि कर देने का प्रस्ताव रखा बशर्ते कि उत्पादन का वर्तमान स्तर बना रहे। युनियन ने अन्तरिम सहायता 20 रुपये प्रतिमास तक बढ़ा देने की मांग की। 26 नवम्बर, को हुई अन्तिम समझौता बैठक में प्रबंधकों की ओर से 5 रुपये प्रतिमास वाला प्रस्ताव फिर दुहराया गया किन्तु युनियन ने इसे पूरी तरह नामंजूर कर दिया।

समझौता-कार्यवाही की असफलता के बाद 26 नवम्बर की रात को यूनियन ने एक बैठक की और उसमें, अपनी मांगों मनवाने के लिये, 27 नवम्बर को, बिना-सूचना दिये सांकेतिक हड़ताल करने

का निश्चय किया। 27 नवम्बर को एक दीन की हड़ताल रही और श्रमिकों ने 28 और 29 को फिर से सामान्य-रूप से कार्य किया किन्तु उसके बाद से, कुछ विभागों में उन्होंने धीमें काम करने की हरकतें शुरू कर दीं।

Shri Yeshpal Singh : The extent of loss caused to this Industry due to this strike and what altenative arrangements have been made to keep the work going on ?

Shri Satya Narain Sinha : It was a strike for one-day only and there should have been great loss to the industry as a result thereof. So far as we are concerned we have to the greatest extent given a sympathetic treatment. You can very well known how sympathetic we have been to them by comparing the facilities given to these workers and the facilities available to workers in other industries of Public Sector.

Shri Sheo Narain (Bansi) **:** Mr. Speaker, Sir, there is a point of order.

Mr. Speaker : On what matter ?

Shri Sheo Narain : Sir, yesterday's proceedings of the House are with me. It is clear from them, that I was I was ordered to leave the house for no fault of mine. I obeyed your order, but there was no fault of mine. The words 'shut up' were used by the member on that side. The position should be made clear. Each member has equal right and every one has equal right of protection.

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैंने भी कल की सारी कार्यवाही देखी है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कहीं थी जिस पर उन्हें निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे शब्द अन्तिम होते हैं। इसलिए नहीं कि वे सही होते हैं बल्कि इसलिए कि वे अन्तिम होते है, इसलिए सही होते हैं। मैं यह नहीं दावा करता कि मैं कभी गलती नही कर सकता; मुझसे भी गलती हो सकती है। इसकी अपील नहीं हो सकती इसलिए अब इसको स्वीकार ही करना होगा।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : वे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्य के बारे में सरकारी समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली, की वर्ष 1963-64 के लिये वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3535/64]

श्रमजिवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम के आधीन अधिसूचना

श्रम और रोजगार मालविय में उपमंत्री (श्री रा०कि० मालविय) : मैं श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 13क के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता देने वाली दिनांक 23 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4020 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3537/64**]

रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, 1965

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनन्नाथ राव): मैं श्री सें० वें० रामस्वामी की ओर से रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1499 में प्रकाशित रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3538/64**]

भारत और चीन के प्रधान मंत्रिओं के बीच पत्रव्यवहार

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत के प्रधान मंत्री का जनवादी चीन गणराज्य की राज्य-परिषद् के प्रधान मंत्री के नाम दिनांक 27 नवम्बर, 1964 का पत्र।

(दो) जनवादी चीन गणराज्य की राज्य परिषद् के प्रधान मंत्री का भारत के प्रधान मंत्री के नाम दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 का पत्र। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3539/64**]

उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन विकास परिषदों की वार्षिक रिपोर्टें

उद्योग और संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री य० ना० सिंह) : मैं श्री विभुधेन्द्र मिश्र की ओर से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अठारह विकास परिषदों की वर्ष 1963-64 की वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी सहायक उद्योगों और परिवहन गाड़ी उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(2) अन्तर्दाह इंजनों, विद्युतचालित पाम्पों, वायु का दबाव डालने के यंत्रों और ब्लोयरों के उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(3) मशीनी औज़ारों के लिए विकास परिषद,

(4) भारी विद्युत उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(5) अर्धोह धातुओ और मिश्रित धातुओं के लिए विकास परिषद,

(6) ऊन उद्योग के लिए विकास परिषद,

(7) कृत्रिम रेशम उद्योग के लिए विकास परिषद,

(8) कार्बनिक रसायन उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(9) औषध तथा औषधियों के लिए विकास परिषद,

(10) चीनी के लिए विकास परिषद,

(11) औज़ार, बाइसिकल और सिलाइ की मशीनों के लिए विकास परिषद,

(12) चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(13) हल्के विद्युत उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(14) खाद्य वस्तु उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(15) शीशे और सीरेमिक्स के लिए विकास परिषद,

(16) कागज़ और सहायक उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(17) अकार्बनिक रसायन उद्योगों के लिए विकास परिषद,

(18) तेल, चित्र, साबुन, श्रृंगार सामग्री और प्रसाधन सामग्री के लिए विकास परिषद।

(पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3540/64)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन मुझे यह सूचना देनी है कि राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि राज्य सभा 2 सितम्बर, 1964 की अपनी बैठक में खाद्य निगम विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है, जो लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 1964 की बैठक में पास किया गया था।"

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे कोयम्बटूर सेंट्रल जेल के अधिक्षक से दिनांक 3 दिसम्बर, 1964 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :

"लोक सभा के सदस्य श्री कंडापन को आज रिहा किया गया है"।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

सूचना और संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 7 दिसम्बर 1964 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में, सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायगा :—

(1) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। **(आगे विचार तथा पास करना)**।

(2) 1964-65 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (केरल) पर चर्चा और मतदान।

(3) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश, 1964 का निरनमोदन करने से संबंधित संकल्प पर, जिसकी सूचना श्री रामचन्द विट्ठल बड़े तथा अन्य सदस्यों ने दी है, चर्चा।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(4) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, 1964। **(विचार तथा पास करना)**।

(5) शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्टों पर चर्चा।

(6) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 **(बिल को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे मे राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव)**।

(7) पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट (खंड 1-3), तथा उस पर की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण पर आगे चर्चा।

(8) समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1964।

(संयुक्त समिति को सौंपना)

(9) सामाजिक सुरक्षा उप-मंत्री द्वारा गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1964 को प्रश्नों के निपटाये जाने के बाद पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर वर्ष 1962-63 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : Sir last time when the Government business was announced by the Hon. Minister I had requested him to bring the privilege issue of Uttar Pradesh Legislative Assembly, which had been decided by the Supreme Court, for discussion in the House. It was said that the issue depends on the decision of the presiding officers, but you had said that the decisions of the presiding officers is quite clear.

Mr. Speaker : But I had not said as to what is clear.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I had sent a resolution regarding the contradictory statements made by Hon. Prime Minister. That may kindly be brought up early.

Besides that Sir, you had asked Shri Bhagat in the last session that he should give a statement regarding the prices of essential commodities, shares, profiteering and extravagence.

Mr. Speaker : An assurance by a Minister is a separate thing and regarding your resolution he would give the reply.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैंने गत सभा में जल विकास और गुलाटी आयोग की बात उठाई थी। उस पर चर्चा न हुई तो चौथी योजना में मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र के साथ बहुत अन्याय होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरी प्रार्थना है कि डा० लोहिया के प्रस्ताव पर चर्चा की जाए क्योंकि वह सिद्धांत का प्रश्न है। दूसरे उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब एक विषय का उल्लेख सभा में किया जा चुका हो तो उसका किसी को समर्थन करने की आवश्यकता नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : तीसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोनस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये। मिल मालिक विलम्ब का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णू कामत (होशंगाबाद) : संसद कार्य मंत्री ने संवैधानिक गणपूर्ति पर आशंका प्रकट की थी। यदि वे इस बारे में गंभीर हैं तो उन्हें सविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाना चाहिये ताकि सभा के लिए एक निश्चय हो जाए।

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं ने एक प्रस्ताव निधि की भाषा के बारे में दिया था। उस पर चर्चा के लिए यथा शीघ्र अवसर देना चाहिये क्योंकि हमारे कानून का आधार हमारी एकता का आधार है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : श्रीमन्, मैं आप से मिला था और आप से निवेदन किया था और आप से निवदन किया था कि गुलाटी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जाय। इस सम्बन्ध में एक और अनियत दिन वाला प्रस्ताव भी है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : हमने निवेदन किया था कि देश की रक्षा सम्बंधी तैयारी पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय पर कोई प्रस्ताव है ?

श्री स० मो० बनर्जी : शस्त्रास्त्र कारखानों के बारे में श्री रंगा और अन्य सदस्यों का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है।

Shri Satya Narain Sinha : First of all I may reply Shri Prakash Vir Shastri. The Minister of Law is going to make a statement regarding the decision made by the Supreme Court regarding the privileges issue of the Legislative Assembly of U. P. It would be proper to discuss the motion of Shri Prakash Vir Shastri after the statement of the Minister of Law. Regarding Bonus Commission I had a talk with the Minister concerned. A tripartite conference is being held, so it is not easy to present the report before the conclusion of the conference.

मैं श्री कामत की इस बात से सहमत नहीं कि एक गलत प्रथा है और उसे तोड़ देना चाहिये। किन्तु हम सब उस बारे में उत्सुक है और संविधान में संशोधन करना चाहते हैं ताकि सभा गणपूर्ति के बारे में नियम बना सके। सभा उस बारे में निर्णय करेगी।

श्री खाडिलकर से मैंने निवेदन किया था कि वे आपसे बात कर ले कि अनियत दिन वाला प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल यह कहना है कि वह प्रस्ताव नियमानुकूल है।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे यह पता नहीं कि शस्त्रास्त्र कारखानों के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार हुवा हैं या नहीं। किन्तू हम समस्यायों के कारण एक सप्ताह में एक ही प्रस्ताव ले सकते हैं मैं सम्बंधित मंत्री से पूछ कर बताऊंगा कि इसे कब लिया जा सकेगा।

गुलाटी आयोग के सम्बन्ध में भी मैं मंत्री महोदय से पूछ कर बता सकूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : You have not replied my query.

Shri Satya Narain Sinha : Your query is related to a person who is not even in India these days. He should have the wisdom to raise the question when the Prime Minister is here.

Dr. Ram Manohar Lohia : I do not possess the wisdom which the Minister of Parliamentary Affairs possesses, nor would I like to have it. He must be knowing when the Prime Minister would turn up. When my resolution has been accepted, it should be mutually agreed as to when it would be taken up for discussion. He may fix up any date say 14 or 15.

Shri Satya Narain Sinha : The Prime Minister will return on the 7th. I would ask him and fix the date according to his convenience.

Dr. Ram Manohar Lohia : See that the decision is not *ex parte*.

कारों के निर्माण, उपयोग और मूल्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: MANUFACTURE, CONSUMPTION AND PRICE OF CARS

Mr. Speaker : The time allotted for it is two hours. So 15 minutes for Shri Bagri and 10 for each of other members.

Shri Bagri (Hissar) **:** The Government have frequently announced that arrangements are being made by the manufacturers to manufacture cheap cars for the middle class.

On the one hand they talk of manufacturing or not manufacturing the Atom Bomb, on the other hand they are not making available a car costing rupees 5 to 6 thousand.

The reason for the fact that the cars in the country are very costly is that the taxes are heavy, profiteering is high and the Government as well as the manufacturers are extravagent. The prices of Ambassador and Fiat cars are Rupees 14 thousand and 17 thousand whereas in the black market these cars sell at 19 and 20 thousand respectively.

The cost of production is about 33 per cent, the taxes are about 30 per cent and the rest is the profit of the manufacturer. Under some rules and regulations certain persons get these cars and they sell them in black market. They earn 3 to 7 thousand as profit. Even the members of Parliament are making such profits. We should thoroughly enquire into these conditions of deterioration and corruption. The Government have given monopoly of this industry to a few industrialists. These industrialists are so powerful that Government cannot lay their hands on them. Here the Government cancelled the licence of one Shri Bhatnagar for soda ash and handed it over to the son of a minister.

Mr. Speaker : Hon. Member knows that a personal case of an individual cannot be raised without the prior notice.

Shri Bagri : I intend to submit that when there is a relation between a Minister and an industry, that leads to corruption.

The government is not doing anything to check black marketing in cars, because the Ministers and high officials indulge in it. If Government make available about 5 to 6 thousands of cars at cheap prices the black marketing will automatically be checked. With such cars the expenses of the Government transport would go down.

The monopoly of a few industrialists in the field must be ended because they are not prepared to expand the industry which would result in loss of profit to them. If the Government set up some factories to compete with the existing Factories, not only the middle class would get cheap cars but also the tax evasion would end.

Moreover the cost policy should be revised so that the price of a thing should never be more than 1½ times over the cost of the item. Government should check the profiteering by the industrialists and they should themselves not charge such high taxes as rupees 5000 on Ambassador and 4500 on Fiat. The black marketing on cars should effectively be checked. If the Ministers and Members of Parliament dissuade from indulging in black marketing, they would offer good example to the people.

Until and unless the monopoly of Birla brothers is ended the industry of the country would never flourish.

The Government should take early steps to make available the cheap cars to the people.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : गत सात वर्ष से हमारे भारत सरकार के ये भाषण सुन सुन कर थक गये हैं कि वे जनता की कार बनाने का विचार कर रहे हैं। विभिन्न कार निर्माता कारखानों का एकीकरण किया जाना है अथवा तीन में से एक कारखाने का विस्तार किया जाना है ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और कारों के मूल्यों में कमी हो सके।

सरकार ने यह भी कहा है कि विभिन्न कम्पनियों का उत्तर संतोषजनक नहीं है और यदि उनकी उत्पादन क्षमता 50,000 कारों तक पहुंच जाए तब भी वे मूल्य में 750 रुपये की ही कमी कर सकेंगे। उनका कहना है कि वे मूल्य वृद्धि की जांच करेंगे।

सरकार इस प्रकार सदा लोगों को धोखे में नहीं रख सकती। यह स्वीकृत तथ्य है कि देश में कारों की कमी है जिस कारण चोर बाज़ारी चलती है। अमरीका में हर तीसरे व्यक्ति के पास कार है और आस्ट्रेलिया में हर पांचवे व्यक्ति के पास जब कि भारत में 8000 व्यक्तियों में एक के पास कार है।

लोग उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं फिर भी उन्हें कार नहीं मिल सकती क्योंकि सरकार कुछ एक लोगों को ही सहायता देना चाहती है। उत्पादन मूल्य और वितरण पर नियंत्रण होते हुए भी चोर बाज़ारी चल रही है।

क्या समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाए और उद्योग में प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए तो स्थिति में सुधार हो सकता है। किन्तु इस सम्बंध में कुछ नहीं किया गया। क्या समिति ने फियेट, स्टेंडर्ड और हिन्दुस्तान के लिए 9282, 9500 और 11,000 रुपये के मूल्यों की सिफारिश की थी किन्तु वे क्रमशः 14000, 14600 और 17000 रुपये को बिक रही हैं और स्थिति यह है कि एक ही सप्ताह में वे खराब भी हो जाती हैं।

मुझे विश्वास है कि पांडे समिति ने ऐसी सिफारिश की थी जिससे सस्ती कारों का निर्माण हो सकता था किन्तु वह रिपोर्ट ही प्रकाश में नहीं लाई गई।

6 सितम्बर, 1960 के संकल्प में सरकार ने कहा था कि यदि विशेषज्ञ समिति ने सस्ती कार की सिफारिश की तो सरकार सरकारी क्षेत्र में इस का निर्माण करेगी किन्तु सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया।

यदि विदेशी मुद्रा की कमी थी तो फ्रांस के सर्वश्री रिनाल्ट डाफिन ने एक कार बनाने की पेशकश की थी जो फियेट से 600 पाउंड हल्की होती और उसका मूल्य 5100 रुपये होता। उनका यह भी कहना था कि वे 5000 कार उत्पादन की क्षमता बनाएंगे और उसका 11 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा। विदेशी पुर्जे उन्हें 15 वर्ष के लिए ऋण के रूप में देने थे। तीसरी योजना में वर्तमान कार के कारखानों के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। यदि इस की बजाय उपरोक्त परियोजना आरम्भ की जाती तो अच्छा होता।

[श्री प्र० के० देव]

सरकार की कर नीति के कारण कारों के मूल्य बहुत अधिक है क्योंकि कार पर प्रायः 40 प्रतिशत कर चला जाता है। यदि सस्ती कारों का निर्माण होने लगे तो सरकार को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी और पेट्रोल, टायरों आदि पर बिक्री कर भी मिलेगा।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को सस्ती कारों की आवश्यकता है और यदि इसका निर्माण नहीं किया जाता तो मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वे लोगों के हितों की उपेक्षा कर रही है।

श्री हनुमंतैया (बंगलौर नगर) : यदि इस वादविवाद को आरम्भ करने वाले महानुभाव ने झा समिति की रिपोर्ट पढ़ी होती तो वे अधिक निष्पक्ष भाव से इस पर चर्चा करते।

देश की वास्तविक समस्या यह है यहां कुल मांग 40000 कारों की है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय है कि एक कारखाने में एक लाख कारों का निर्माण हो तभी वह लाभकारी रूप में काम कर सकता है।

श्री प्र० के० देव ने रिनाल्ट कम्पनी का उल्लेख किया है किन्तु फ्रांस में उनकी हज़ारों कारें पड़ी है जो यूरोप की प्रतिस्पर्धात्मक मंडी में बिक नहीं सकी। अतः किसी कम्पनी को चुनते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिये।

जन साधारण के लिए कार के निर्माण की बात भी परस्पर विरोधी बात है क्योंकि गरीब लोग कार नहीं रख सकते। कार के मूल्य का ही प्रश्न नहीं बल्कि उस पर प्रति मास 300, 400 रुपये का खर्च करना पड़ता है। आज की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल वे लोग कार रख सकते है जिनकी मासिक आय 2000 रुपये हो।

भारत में गलती यह की गई कि तीन चार निर्माताओं को यह काम सौंपा गया। यदि एक ही कारखाना बनाया जाता तब भी देश की मांग तो 50000 कार की होती जब कि एक लाख कार के निर्माण से कारखाना लाभकारी रूप में चल सकता है। इस गलती का उल्लेख झा समिति ने भी किया है और वह रिपोर्ट पुरानी होते हुए भी आधुनिक परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल है।

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए)

[Shri Khadilkar in the Chair]

अतः सरकार को निर्माताओं की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये। उस से उत्पादन का स्तर भी गिरेगा और लागत भी अधिक आएगी। इस समय उत्पादन घटिया होने का कारण यह है कि पुर्जे बनाने वाले अच्छे पुर्जे नहीं बनाते।

फियेट, एम्बेसेडर और हिन्दुस्तान कारें 20 वर्ष पुराने ढंग की हैं। यह देश के लिए लज्जाजनक है। सरकार को निर्माताओं से बात करनी चाहिये कि वर्तमान कारों में आमूल सुधार करें और ऐसी कारें बनाएं जो उपभोक्ताओं को स्वीकार हों। इस बारे में सभी कहीं मतैक्य है कि आज की निर्मित कारों को जो भी देखता है इन्हें देश के लिए अपमान समझता है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आज हम इस क्षेत्र में सरकार की डांवाडोल और गलत नीति की चर्चा कर रहे हैं। सरकार को भली प्रकार विदित है कि सस्ती कार की बहुत मांग है। कार चाहने वालों की सूची से भी यह बात स्पष्ट होती है। लोगों को 3–4 वर्ष तक कार की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विशेषज्ञों की यह राय है कि कार का मूल्य घटाया जा सकता है।

इस समय कार निर्माता काफी लाभ कमा रहे हैं अतः सरकार को कार निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण करना चाहिये। श्री सुब्रह्मण्यम ने बताया है कि निर्माता कम्पनियों का विलय करने के लिए तैयार

नहीं है। हम माननीय मंत्री से पूछते हैं कि वे कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। यह प्रमाणित हो चुका है कि वर्तमान कारखाने अदक्षतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। सरकार को ऐसी स्थिति में उन्हें विवश करना चाहिये कि वे कारखानों का विलय कर के उनका विकास करें। स्वतंत्र दल के श्री प्र० के० देव ने कम्पनियों के समथक होते हुए भी कहा है कि एम्बेसेडर बहुत ही रद्दी गाड़ी है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वे तीन कारखानों से कहें कि वे सहकारी तौर पर विलय करें और उन्हें सरकार की नीति अपनाकर सस्ती कार का निर्माण करें।

जन साधारण के लिये कार के सम्बंध में मुझे निवेदन करना है कि मेसर्स रिनाल्ट ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा था कि सरकारी क्षेत्र में वे कार निर्माण करने के लिए तैयार थे। उससे काफी हद तक विदेशी मुद्रा की समस्या भी हल होती क्योंकि वे विनिमय के आधार पर पुर्जे देते और उन्होंने निर्माण के 11 प्रतिशत का निर्यात करने की गारंटी दी थी।

पांडे समिति पर अनेक प्रकार के दबाव डाले गये किन्तु उन्होंने फिर भी यह सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र में सस्ती कार का निर्माण किया जा सकता है। किन्तु सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। सरकार ने 29 मई 1961 को कहा था कि यदि विशेषज्ञों की यह राय दी तो सरकारी क्षेत्र में इस कार का निर्माण किया जायगा। जिस समय यह घोषणा की गई थी क्या उस समय विदेशी मुद्रा की स्थिति अधिक अच्छी थी? वास्तव में इन तीन बड़े बड़े निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया।

सच तो यह है कि अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को सस्ती कार के लिये कोई चिंता नहीं। मुझे पता है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखा था स्टाफ कारों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जब तक ये लोग स्टाफ कारों का प्रयोग करते रहेंगे उन्हें अपनी कार लेने की चिंता नहीं होगी। यदि फ्रांस की कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो देश की तीन कम्पनियों को परस्पर विलय के लिए बाध्य करना चाहिये और सरकार को स्वयं सस्ती कार बनानी चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir I wish that all the citizens of India should own a car but the manner in which planning is going on it would never be possible. It is said that after every 8000 persons there is one automobile. I feel that this estimate is wrong. We may take to any length about peoples car, but we are not going to have one car among 500 or 1000 persons.

In automobiles as in other things Government charges 25 to 35% as taxes and 20 to 25 per cent goes as profit. So whatever we purchase the price contains only 40 to 60% cost.

The manufacturers in India are indulging in black marketing and Government also indulges in black marketing in selling foreign cars. When such things are going on within the framework of planning, we must investigate the basis of planning which is for one person among 1000 or 2000 persons. It is not for the common people. I have a letter in my pocket which shows that many people have starved to death. This is what planning is giving to them and we are talking of cars for the people. Large sums have been invested in the factories but the production is not upto mark.

If I could see the papers of the Government I could give 3 or 4 alternative proposals, but they do not require my advice. Anyway I am of the opinion that manufacturing of 4 and 5 seater cars should be stopped for 15-20 years. Buses, trucks and a few taxies should be manufactured.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

I hang my head in shame when I see that thousands of persons wait for hours together for getting seat in a bus. It is meaningless to have discussion on cars while people are starving. It is better to have buses for the people rather than cars.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : सरकार जिस दर्शन का समर्थन करती है उस से सस्ती कारों के निर्माण के प्रश्न को बहुत बल मिलता है। यदि हमें कारों का निर्माण नहीं करना तो मैं डा० लोहिया का समर्थन करता हूं कि केवल बसों और टेक्सियों का निर्माण होना चाहिये।

सस्ती कार के प्रश्न पर आज इस कारण चर्चा की जा रही है कि समय समय पर सरकार ने प्रश्नों के उत्तर में जानकारी दी है वह संतोषप्रद नहीं है।

हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जब वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने 3-6-1959 में श्रीनगर में कहा था कि शीघ्र ही देश में ऐसी कार बनने लगेगी जिसमें 99 प्रतिशत पुर्जे देशी होंगे। उसका क्या बना है? श्री आज़ाद ने ठीक ही कहा है कि पांडे समिति एक विशेषज्ञ समिति थी और जनता कार के निर्माण के पक्ष में सिफारिश की थी। किन्तु उस रिपोर्ट को प्रकाश में नहीं लाया गया।

श्री मनुभाई शाह ने भी आश्वासन दिया था कि इस परियोजना को छोड़ नहीं दिया जाएगा और उस से वर्तमान निर्माताओं के उत्पादन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें विदेशी मुद्रा की समस्या नहीं है क्योंकि आप पहले ही इस उद्योग पर 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहे है और श्री रंगा ने ठीक ही कहा है कि इस उद्योग में तीन निर्माताओं का ही एकाधिकार है। सारा उद्योग संरक्षित है और उपभोक्ताओं को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है।

लोगों के मन में इस आशंका का निश्चित कारण है कि निहित स्वार्थों के कारण सरकारी क्षेत्र में सस्ती कारों की परियोजना आरम्भ नहीं की गई और सरकार को सरकार और कांग्रेस दल का सम्मान बनाये रखने के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिये कि वे निहित स्वार्थों के सामने नहीं झुके।

जिस दिन श्री सुब्रह्मण्यम यह कह रहे थे कि तीनों कम्पनियों को एक बना देना चाहिये तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने इस बात की जांच की है कि ऐसा करना तकनीक की दृष्टि से संभव है या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने ऐसी जांच नहीं की। ऐसी सूरत में उन्हें ऐसा प्रस्ताव रख कर समय नहीं गंवाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमें अब भी ऐसी पेशकश मिल सकती है जिसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। हमें गैर सरकारी क्षेत्र की सर्वोत्तम परियोजना को हाथ में लेकर सरकारी क्षेत्रमें उसका विकास करना चाहिये। ऐसा कहते हुए मैं किसी समाजवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं कर रहा। फ्रांस में भी सरकार ने कोई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रखा है। हम उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके थोड़ी पुंजी में ही लोगों की मांग को पूरा कर सकते हैं।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar): There are so many members present in this discussion which shows that they are interested in the cars.

The Government has given this assurance that small cars whould be manufactured in the near future. But it appears that that is not going to be produced even in the next years.

One hon. member has rightly pointed out that until and unless you put a ban on ministers purchasing big foreign cars from the State Trading Corporation the small cars will not be manufactured.

In America and other foreign countries cars are owned by every third or ninth man but here one car is available after every 8000 persons. Car these days is not an item of luxury, but is a necessity.

I support Dr. Lohia's contention that whether in private or public sectors buses and cars should be manufactured to relive congestion in traffic. The preduction of automobiles has not increased for the last seven years.

We have to import 20 per cent of compenents for which the Government does not give licenses in time. If they give licenses in time the production can be stepped up.

The question of manufacturing cheap cars should not be delayed for long. If the Government is of the opinion that these cars shoud not be produced they should say this straightway or the present units should be asked to produce small cars. In that case Government will also have to reduce its taxes because if 4 to 5 thousand rupees of taxes are charged how can sell a car at rupees 6000.

Shri Bagri has levied charges on the hon. members also saying that they also indulge in black marketing—I oppose it.

In the end I submit that until and unless the ministers are refrained from getting good cars small cars will not be produced. The small cars must be produced in public sector or the private sector.

Shri Bade (Khargone) : We do not know when the target of procuding 15 thousand cars is going to be achieved. The figures show that there is a demand for 60 thousand cars a year. It they cannot meet this demand I would support the contention of Dr. Lohia that buses and trucks should be manufactured. Government should consider it properly as to whether it would be proper to invest more money in the existing units of automobile industry. The Government is charging very heavy taxes. They should change their tax policy. Then such small cars can be produced which can suit the demand of Common people.

The reasons for high prices of cars are threefold in shortage of foreign exchange, high prices of foreign components and the non co-operation between the three manufacturers. As a matter of fact the disease is the monopoly given by you to the manufacturers.

Some parties of West Germany and Japan are prepared to set up factories in collaboration. Some such project should be worked and cheap cars must be manufactured.

In the year 1958 the Government had said that the production of cars will be stepped up, while these days 26000 cars are being manufactured and the demand is upto 60000.

The Enquiry Committee has stated that here the cars are costly because the price of steel is 1000 to 1100 rupees per ton in comparison to that in England where it sells at Rs. 650 per ton. The Government should see that the price of steel goes down and the manufacturing units get requisite foreign exchange. The companies also should charge less profit.

Government should also fix a target for production of tractors. Improvement should also be made in bullock cart so that it is easily driven by the bullocks and it becomes easy to load and unload them.

[Shri Bade]

If cheap cars cannot be manufactured the Government should pay heed to the proposal made by Madhya Pradesh Government which can manufacture a car worth rupees 5000.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair]

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम्) : श्रीमन् माननीय मंत्री ने यह नया पद सम्भाला है और मुझे निश्चय है कि वे अपने उत्साह और स्फूर्ति से इस पेचीदा सवाल को जो कोई बार संसद् के सामने आया है, एक नया रूप देंगे ।

इस देश में कारों का उत्पादन मांग से कम है । मैं समझता हूं कि श्री त्रि० ना० सिंह की अध्यक्षता में इस उद्योग की गहरी नींद जल्दी ही खत्म हो जायेगी ।

हमारे देश में बनी कारें विदेशी कारों की तुलना में बहुत घटिया होती हैं । इसका कारण यह है कि भारत के तीनों कार निर्माता यह जानते हैं कि यहां उन थोड़ी सी कारों को छोड़ कर जो बहुत ऊंची कीमत पर राजदूतावासों द्वारा बेची जाती हैं और कोई कारें यहां उपलब्ध नहीं हैं । इसी कारण वे जनता की मांग की परवाह नहीं करते । तीन या चार साल पहले मेरे पास एक अम्बेसेडर कार थी । 2,000 मील चल कर ही उसके पुर्जे ढीले पड गये । मैंने बड़ा पत्र-व्यवहार किया, परन्तु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी । अन्त में जब मैंने यह लिखा कि मैं संसद् सदस्य हूं, तब वे इंजिन बदलने के लिये राजी हो गये । औरों की तो कोई सुनता ही नहीं । यह हाल अम्बेसेडर कार का है । यह सब इसी कारण होता है क्यों कि वे जानते हैं कि बाजार में उनका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है । अम्बेसेडर कार अधिक से अधिक 30,000 मील चल सकती है और फिर इसके रिंग्स बदलवाने पड़ते हैं ।

जीपों की किस्म भी घटिया होती जा रही है । इनकी हालत भी अम्बेसेडर जैसी ही है । आजकल बाजार में जो कारें हैं उनमें फियट सबसे बढ़िया है और उसकी मांग भी बहुत है । शायद तीनों में यह सब से सस्ती है । अम्बेसेडर की कीमत 15,941 रु० है—इस में बीमे का खर्च शामिल नहीं है; स्टैण्डर्ड 15,486 रुपये की बिक रही है और फियट 14,343 रुपये की । इन में काला बाजार खूब चलता है । लोगों को अपना नाम दर्ज करवा कर सालों कार के लिये इन्तजार करनी पड़ती है ।

मुझे समझ नहीं आता कि छोटी कार बनाने के लिये कोई निश्चित समझौता करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है । मध्य वर्ग के लोगों के लिये छोटी कार की बहुत जरूरत है । मेरा यह सुझाव है कि विदेशी सहयोग से इस मामले को गम्भीरता से लिया जाये । मुझे आशा है कि श्री त्रि० ना० सिंह की अध्यक्षता में सरकार दो वर्ष के अन्दर ही छोटी कार हमें सुलभ कर देगी । यह कार 10 अश्व शक्ति की हो जिस में चार यात्री थोड़ा सामान ले जा सकें और यह कम खर्चीली होनी चाहिये अर्थात् कम से कम 50,000 मील बिना मरम्मत के चल सके और इस की कीमत कर सहित 7,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । कारों का उत्पादन बढ़ा कर ही सस्ती और अच्छी कारें उपलब्ध कराई जा सकती हैं । सरकार जितनी जल्दी छोटी कारों का निर्माण करायेगी उतना ही अच्छा है ।

कार निर्माताओं को यह बता देना चाहिये कि आजकल जो कारें वे दे रहे हैं वह कीमत के अनुसार नहीं हैं और घटिया हैं । मेरा यह सूझाव है कि यदि हम अगले दो वर्षों के अन्दर छोटी कार नहीं बना सकते, तो सरकार को कम से कम देश में कारों की कीमत तो घटा ही देनी चाहिये । यदि आवश्यक हो, तो सरकार अपना लाभ कम कर दे । सरकार ऐसा करने में समर्थ है । सरकार बड़े-बड़े लखपतियों पर कर लगा सकती है । हरेक काम करने वालें को कार की जरूरत है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री बागड़ी ने इस विषय पर वाद-विवाद आरम्भ किया है, जिसकी हमें बड़े दिनों से प्रतीक्षा थी। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम इस तीन मूर्ति की मनमाने मूल्य पर कार निर्माण करने में सहायता करें या सरकार को स्वयं कार बनाने की कोई परियोजना बनानी चाहिये जिससे जनसाधारण को उचित मूल्य पर कार मिल सके।

मुझे यह बताया गया है कि यदि आप फियट कार खरीदना चाहे, तो आप को 7–8 साल तक इन्तजार करनी पड़ेगी, परन्तु अम्बेसेडर कार दो या तीन साल के अन्दर ही मिल जाती है। यदि मुझे फियट मिल जाये, तो मैं अम्बेसेडर कभी नहीं लूंगा, क्योंकि यह बहुत घटिया है। परन्तु फिर भी सब मंत्रालय अम्बेसेडर कार प्रयोग करते हैं क्योंकि अम्बेसेडर कार के निर्माताओं का देश में रसूख है।

यह एक कारण है जिसकी वजह से मैं यह चाहता हूं कि सरकार छोटी कार बनाने के लिये अपनी परियोजना बनाये। जनता कार बनाने की एक योजना थी, जिसके बारे में माननीय मंत्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम् ने कहा था कि यह योजना उठा कर ताक में रख दी गई है।

हमें बताया गया था कि वे किसी कम्पनी से मिल कर काम करेंगे और कार का मूल्य घटाने की कोशिश करेंगे। परन्तु अब कीमतें और बढ़ गई हैं। इसलिये सरकार को शीघ्र अपनी परियोजना बनानी चाहिये और यदि माननीय मंत्री बम्बई या कलकत्ता अथवा जमशेदपुर के दवाब में आये बिना इस प्रकार की घोषणा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

मेरा यह सुझाव है कि मोटरों के मूल्यों और उनके उत्पादन के अन्य पहलुओं पर नियंत्रण करने के लिये एक आयोग बनाया जाये या प्रशासक नियुक्त किये जाये। यदि आप उन्हें खुली छूट देंगे तो वे उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लेते रहेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार अपनी परियोजना बनाये या यदि वे चाहे तो वर्तमान कम्पनियों में से किसी एक का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। आखिर वे तो समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे वे इन परियोजनाओं की देख-भाल करने के लिये एक प्रशासक नियुक्त करें।

न केवल इन कारों के मामले में अपितु तीन पहिये वाली गाड़ियों के भी लाइसेंस इस देश में केवल एक व्यक्ति को ही दिये जा रहे हैं। मुझे खेद है कि वह इस सभा के ही एक सदस्य हैं। केवल उन्हीं की फर्म को विस्तार की आज्ञा है औरों को लाइसेंस नहीं दिया जाता।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री श्री चि० ना० सिंह से प्रार्थना करूंगा कि इन एकाधिकारियों की शक्ति पर नियंत्रण करने के लिये कड़े कदम उठाये, जो मनमानी कीमते लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये अब केवल दस मिनिट का समय बाकी है। इतने समय में मैं केवल एक ही माननीय सदस्य को बोलने का समय दे सकता हूं।

श्री दाजी : यदि कोई तारीख निश्चित होती तो अच्छा रहता। मैं एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और विवाद में इसीलिए भाग लेने आया हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अगले दिन बुलाऊंगा। मैं इस बात की भी व्यवस्था करूंगा कि श्रीमती मुकर्जी को बोलने का मौका मिले। अब श्री हिम्मतसिंहका बोलें, उनके बाद श्री दाजी बोलेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ (धिवसागर) : श्रीमन्, मैं आसाम जा रहा हूं अतः अगले दिन मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली बार उन्हें भी अवसर दूंगा ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्ड) : सभी भाषणों को सुनकर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि कार-निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की ग़लत धारणा है । कारों की कमी तो है ही, किन्तु क्या इस कमी के लिए उन तीन निर्माताओं का दोष है ? इन तीनों निर्माताओं की इतनी क्षमता है कि वे आज भी लगभग 50 हज़ार कारें बना सकते हैं; किन्तु इनके निर्माण के लिए उन्हें 80 से 90 प्रतिशत तक पुर्ज़े यहीं से मिल जाते हैं और केवल 10 प्रतिशत पुर्ज़े तथा कुछ कच्ची सामग्री बाहर से मांगनी पड़ती है । मान लीजिए कि उन्हें 10 हज़ार कारों के लिए ही पुर्ज़े मिल पाये तो वे कैसे 50 हज़ार कारों का निर्माण कर सकते हैं ।

मुसीबत तो यह है कि 50 हज़ार कारों के लिए 1 लाख टन इस्पात चाहिए, और आयात किये गये पुर्जों के लिए भी उन्हें सरकार से विदेशी मुद्रा नहीं मिली है । वे वस्तुतः तब तक इन कारों का निर्माण नहीं कर सकते जब तक उन्हें विदेशी मुद्रा और ये 10 प्रतिशत पुर्जे कच्ची सामग्री आदि उपलब्ध न हों । मूल्य के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने फियट और एम्बैसेडर कारों पर सरकारी करों का उल्लेख किया है । एम्बैसेडर कार पर 5,140 रु० का कर लगता है और सामान, निर्माण, ऊपरी लागत, मजूरी, अवक्षयन तथा लाभ पर कुल 3,750 रु० के करीब का खर्चा है देशी सामान-पुर्जे आदि पर 3,600 रु० लगते है और वितरण की लागत 1,053 रु० आती है । अब यदि आप कारों के निर्माण को बढ़ाये तो किस चीज़ में खर्चे की कमी होगी ? और सब खर्चे बराबर रहेंगे किन्तु कच्चे सामान निर्माण एवं ऊपरी व्यय, आदि में अधिक संख्या में कारों के निर्माण से उस 3,750 रुपये में अवश्य कमी हो सकती है ।

श्रीमन्, 1957 से इधर की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, यद्यपि कच्चे सामान के मूल्यों या ऊपरी लागत में अवश्य कुछ बढ़ोत्तरी हुई है । अतः मेरा सविनय निवेदन है कि हमें वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए और यह देखाना चाहिए कि निर्माण कार्य क्यों पिछड़ गया है । यदि सरकार विदेशी मुद्रा उपलब्ध करे और इन निर्माताओं को कच्चे सामान आदि के आयात या क्रय के लिए सुविधायें दे तो कारें किसी भी संख्या में निर्मित हो सकती हैं ।

सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण आरम्भ करना ठीक रहेगा । यदि वर्तमान कम्पनियों की क्षमता बढ़ाई जाय तो 8 या 10 या 11 करोड़ रुपये की और लागत आएगी, किन्तु यदि नया कारखाना खोला जाय तो 10 वर्ष की अवधि मानकर उस पर 60 करोड़ रुपये व्यय होने पर भी वार्षिक व्यय 6 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा । अतः यह सारी बात निष्पक्ष रुप से विचारनीय है । यह भी देखना है कि यदि वे तीन बड़ी-बड़ी कम्पनियां, जिनको विदेशी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त हैं, सस्ती कार का निर्माण नहीं कर सकती तो क्या कोई नई कम्पनी सस्ते दामों कार तैयार कर सकती है ? तथ्य तो यह है कि कार की कीमत कच्चे सामान, ऊपरी लागत, करों, आदि पर ही निर्भर करती है । जब तक इन मदों पर होने वाला व्यय कम नहीं होता, तब तक सस्ती कार का निर्माण होना असंभव है । सामान के भावों की ही तुलना कीजिए । आप देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में इस्पात का मूल्य 650 रु० प्रति टन है जबकि भारत में वही इस्पात 1250 रु० प्रति टन के हिसाब से मिलता है : चार पहिए वहां 48 रु० में मिलते हैं जबकि भारत उनमें पर 142 रु० व्यय करना पड़ता है; टायर 257 रु० में यू० के० में उपलब्ध हैं और भारत में उन की कीमत 567 रु० है । इन सब बारिकियों पर पूरा विचार किया जाना चाहिए ।

श्री दाजी (इन्दौर) : श्रीमन्, भारत में मोटर उद्योग की कहानी एक अरुचिपूर्ण और घोटाले की व्यवस्था का चित्र है जिसमें भारतीय और वैदेशिक-दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं। अभी तीन कम्पनियों का उल्लेख किया गया, किन्तु मैं उस को पुनः न छेड़ते हुए भी समिति का उल्लेख करूंगा जिसने यह बताया है कि मोरिस कम्पनी भारतीय कार-निर्माताओं को उन्हीं दामों पर मोरिस के पुर्ज़े बेचते हैं जिन दामों पर पूरी मोरिस कार इंग्लैंड में मिलती है। यह है भारतीयों को लूटने का ढंग जो उन विदेशी कम्पनियों ने अपनाया है। तो इस धांधली में हर भारतीय उत्पादकों ने राष्ट्रीय हितों को सस्ते दामों उन कम्पनियों के हाथ बेच दिया है और इस धांधली को हमारी आजकल की सरकार बराबर तमाशाई के रूप में देखती रही है। यही एक कारण है कार की ऊंची कीमत होने का। 1952 में उस समय के उद्योग मंत्री श्री कृष्णामाचारी ने यह आश्वासन दिया था कि पांच वर्षों में भारत का अपना परिपूर्ण मोटर उद्योग होगा। और अब बारह वर्ष बीतने पर भी यह प्रश्न वहीं का वहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिना सोचे-समझे किन व्यक्ति ने हर तीन असंतुलित लोगों को कार के निर्माण की अनुमति दी थी। इसके बाद इधर जब श्री सुब्रह्मण्यम् उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने यह कहने में विवशता प्रकट की थी कि भारत में शतप्रतिशत मोटर भागों या पुर्जों का सस्ते दामों पर निर्माण कब हो सकेगा। इतना कहने के बाद मैं यही सुझाव दूंगा कि इन तीन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने और सरकार द्वारा स्वयं यह उद्योग चलाने पर एक ग़रीब भारतीय के लिये सस्ते दाम की कार का निर्माण हो सकेगा।

जब कभी सस्ती कार का प्रश्न हमारे सामने आता है, यहां यही बताया जाता है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। यदि हम निश्चित रूप से दस करोड़ रुपये, विदेशी मुद्रा के रूप में, एक कार पर खर्च करने का निश्चय करते हैं तो सरकार को ही इस बात का निश्चय करना होगा कि यह दस करोड़ की राशि एम्बैसडर या फियट वालों के सिपुर्द की जाएगी अथवा इस राशि से मध्यम वर्ग के भारतीय के लिये भारत में ही कार का निर्माण हो सकेगा।

सत्य तो यह है कि जब भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाई के नाम पर छोटी कार के निर्माण का निश्चय त्याग दिया तो उस समय भी प्रीमियर्स को और 6 हज़ार कारें बनाने के लिए 9 करोड़ रुपये दिये गये थे। हिन्दुस्तान मोटर्स को और 10 हज़ार कारें बनाने के लिए 10.55 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी उस समय भी पाण्डे समिति की योजना में कहा गया था कि 10 करोड़ रुपये से हम 50 हज़ार छोटी कारें बना सकते हैं। इसीलिए यह सरकार की अपनी पसन्द की बात थी कि एम्बैसेडर या प्रीमियर मोटर्स को 6 या 10 हज़ार कारें बनाने के लिए यह 10 करोड़ की राशि दी जाय अथवा सरकार स्वयं 50 हज़ार छोटी कारें बनाने के लिए यह 10 करोड़ की राशि काम में लाये। होता क्या है कि समाजवाद के नाम पर यह निश्चय विफल किया जा रहा है। इस में कार और बस या ट्रक की तुलना का प्रश्न नहीं—प्रश्न यह है कि क्या हम स्वयं एक कार का निर्माण करें जो मध्यम वर्ग के भारतीय को मिल सके अथवा चरखचू करने वाली एक घटिया किस्म की एम्बैसेडर या फियट कार लें। यदि आप लोगों से पूछें कि वे क्या चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि वे इसी विदेशी मुद्रा से 50 हज़ार स्वदेशी कारें चाहते हैं न कि और 6 हज़ार फियट कारें। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक यह निश्चय क्यों नहीं किया गया? सन् 1960 में, सितम्बर के महीने में, छोटी कार बनाने का संकल्प पारित किया गया और अब 1962 में आकर यह संकल्प खत्ते में पड़ गया। इस बीच आखिर हुआ क्या? हां, दो बातें हुईं—सामान्य चुनाव और उड़ीसा में मध्य कालीन चुनाव। यह भी है कि चुनाव के दिनों में कम्पनियों ने अपनी मोटरें सेवा के लिए भेंट कीं और बाद में उन्हीं पर पालिश चढ़ा कर उनको नयी मोटरों के रुप में बेचा। उन कम्पनियों की इस अनुकम्पा का उन्हें यही फल मिला कि 1962 में यह संकल्प रद्द हो गया—विदेशी मुद्रा बचाना तो एक बहाना था। यह विदेशी मुद्रा फियट, एम्बैसेडर आदि, को दी जाती रही। अब आप देखिए कि इतनी अभितव्ययता के बावजूद कितने

[श्री दाजी]

मुनाफे हैं। प्रीमियर आटोमोबील्स को केवल 1 वर्ष में 2.49 करोड़ रुपये का मुनाफा। तिस पर वे छाती पीट कर कहते हैं कि "हमारी कम्पनी में अन्धाधुन्ध खर्चा है और यह सब अभितव्ययी उत्पादन है"। प्रशुल्क आयोग ने भी कहा था कि मोटर उद्योग के लिए 7.5 प्रतिशत मुनाफा होना चाहिए: किन्तु ये तीनों कम्पनियां प्रशुल्क आयोग द्वारा मुनाफे के लिए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। ये सभी कम्पनियां ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। मज़े की बात है कि दोनों विदेशी सहयोगी कम्पनियां और भारतीय कम्पनियां, मिलकर सरकारी कोष को लुट रही हैं; विदेशी मुद्रा लुटा रही है, जनसाधरण को लूट रही हैं, उस कार के नाम पर जिसे कार नहीं बल्कि कबाड़ कहा जा सकता है।

और अब मंत्रालय इन तीनों कम्पनियों को एक दूसरे से मिलाना चाहता हैं; न मालूम कौनसी कम्पनी या कौनसा क्षेत्र बनाने के लिए। अब तक जो क्षत्र हैं वे हमारे सामने है—सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, और गैर-सरकारी क्षेत्र। अब हम यत्न कर रहे हैं पूंजीपति-सहकारी अथवा सहकारी-पूंजीपति क्षेत्र के लिए—अर्थात् तीनों पूंजीपति एक सहकारी संस्था बना कर उसमें विलीन हों। यह सभी नहीं हो सकता। आप उन्हें कोई भी धर्मग्रन्थ पढ़ायें वे एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए। सरकार के सामने यदि कोई पसन्द या रास्ता है जिस से यह मोटर उद्योग अमितव्ययी और व्यावहारिक बन सकता है और सस्ती एवं अधिक अच्छी कार बना सकता है तो वह है राष्ट्रीयकरण का मार्ग, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है।

अब श्रीमन्, देखना यह है कि क्या यह सरकार, जो बिड़ला वालों के धन से अथवा प्रीमियर ऑटोमोबील्स के चन्दे से चुनाव जीत कर सत्तारूढ़ हो गई, इतना साहस कर सकती है कि राष्ट्रीय हितों को पार्टी के या पूंजीवादी हितों से अलग और उंचा रखे। यही एक रास्ता है और यही एक पसन्द है। मैं चाहता हूं कि सरकार आगे बढ़ कर यह चुनौती स्वीकार कर ले और हमें यह आश्वासन दे कि वह भारत के बड़े-बड़े धन्ना सेठों से भी बड़ी और सशक्त है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न अब अगली बार लिया जाएगा जब इसके लिए कोई दिन नियत किया जाएगा। अब हम गैर-सरकारी कार्य आरम्भ करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

बावनवा प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगडा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बावनवे प्रतिवेदन से जो 2 दिसम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बावनवे प्रतिवेदन से जो 2 दिसम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 302 का संशोधन)

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 302)

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम्) : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

महाराजकुमार विजय आनन्द : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक

INDIAN RIFLE TRAINING SCHEME BILL

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 20 से 30 वर्ष तक की आयु के सभी स्वस्थ नागरिकों को राइफल चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण देनेकी व्यवस्था करने वाले विधयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 20 से 30 वर्ष तक की आयु के सभी स्वस्थ नागरिकों को राइफल चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने वाले वियेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

महाराजकुमार विजय आनन्द : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

श्री मलाई छामी (पेरियाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री मलाई छामी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

सिख गुरुद्वारा विधेयक

SIKH GURDWARA BILL

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के प्रबन्ध को बेहतर बनाने और तत्सम्बन्धी मामलों की जांच करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के प्रबन्ध को बेहत्तर बनाने और तत्सम्बन्धी मामलों की जांच करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अ० सिं० सहगल : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 370 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Omission of article 370

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 11 सितम्बर, 1964 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इसके लिए पांच घंटे रखे गए थे जिसमें से 4 घंटे 47 मिनट लिए जा चुके हैं। अब मैं गृह-कार्य मंत्री को उत्तर देने के लिए बुला रहा हूं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, मैं जानता हूं कि इस समय हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में मैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः सजग हूं। मैंने सभी भाषणों को ध्यान से पढ़ा है और यह जान कर मुझे हार्दिक सन्तोष हुआ है कि काश्मीर के प्रश्न पर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एकमत हैं, और यह इस बात का द्योतक है कि जहां राष्ट्र के व्यापक हित आए हैं वहां सभी दल एक हैं, सारा देश एक है। मुझे आशा है कि एकता का यह भाव प्रमुख नीतियों के बारे में हमें प्रेरणा देता रहेगा।

इस चर्चा में अविलम्बनीयता का भाव भी प्रकट किया गया है। सरकार भी इस बात को मानती है क्योंकि सरकार का रवया जनता की आवाज से अलग नहीं हो सकता। श्री खाडिलकर ने जो कुछ कहा वह शेष सदस्यों कि बात से कुछ अलग न था। उन्होंने कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला जिन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण में मिलाया जा सकता है। जिसे हम अपनाना चाहते हैं। यहां मुझे गलत न समझा जाए। मैं इस दृष्टिकोण की व्याख्या करूंगा, पहले कानूनी तथा संवैधानिक रूप से और फिर कतिपय व्यवहारिक बातों की दृष्टि से।

संविधान सम्बन्धी तर्कों को पहले लेते हुए मैं समझता हूं कि यदि हम इस प्रस्ताव के मूल प्रयोजन से सहमत हैं परन्तु यदि इसे इस रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह प्रयोजन अधूरा रह जायगा। हमें यह देखना है कि अनुच्छेद 370 का अर्थ क्या है और इसे निकाल देने से क्या होगा। एक दूसरी बात संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया की है। संविधान को संशोधित करने की शक्ति अनुच्छेद 368 से प्राप्त होती है परन्तु उसके परन्तुक में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के खंड (9) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश के बिना ऐसे संशोधन को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकेगा। अतः अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिये इसी अनुच्छेद के ही अन्तर्गत कुछ उपाय किये जाने हैं जो किये नहीं गए हैं। इस विधेयक के अनुसार यदि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाता है तो जम्मू तथा काश्मीर के साथ प्रशासनिक सम्बन्धों में बहुत भारी व्यवधान उत्पन्न हो जायेगा। परिणाम यह होगा कि प्रत्येक वर्ष जो परिवर्तन हम करते हैं वे नहीं कर सकेंगे। यह समझना बिल्कुल गलत है कि इस अनुच्छेद को हटा देने से संविधान के सभी अनुच्छेद जम्मू तथा काश्मीर पर स्वतः लागू होंगे। आज प्रश्न एकीकरण का नहीं बल्कि प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने का है और एकरूपता के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। ये रूकावटें केवल अनुच्छेद 370 से ही पैदा नहीं होती बल्कि वे तो संविधान के पृष्ठों पर बिखरी पड़ी हैं और अनुच्छेद 370 निकाल देने के बाद भी वे बनी रहेंगी।

इतना ही नहीं। अनुच्छेद 308 तथा 152 को ले लीजिए। उनमें जम्मू तथा काश्मीर के बारे में विशेष उल्लेख है। सेवाओं के सम्बन्ध में भाग 12 है और फिर भाग 6 है। भाग 22 पर दृष्टि डालिये, अनुच्छेद 394 को देखिये जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6 आदि तो तत्काल ही प्रवर्तित होंगे परन्तु शेष उपबन्ध इस-इस तिथि को लागू होंगे। इसी लिए मैं कहता हूं कि इस एक अनुच्छेद को निकाल देने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि शेष अनुच्छेद और उनके परन्तुक तो वैसे ही रहेंगे। मैं तो संविधान को पढ़ने से यही समझता हूं कि अनुच्छेद 370 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जिससे संविधान के उपबन्धों को धीरे धीरे जम्मू तथा काश्मीर पर लागू किया जा सकता है और यह कहना गलत होगा कि इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत तथा जम्मू और काश्मीर के बीच एक दीवार है। श्री डी० सी० शर्मा ने कहा कि यह एक पर्वत है। मैं समझता हूं कि यह न तो दीवार है और न ही पर्वत, यह दोनों के बीच एक सुरंग है। इसके माध्यम से बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ अभी होगा। कहा जा सकता है: "कि एक संकीर्ण कानूनी रवैया मत अपनायें। राजनैतिक प्रयोजन क्या है? मैं इसे समझता हूं परन्तु इस विधेयक से तो यह प्रयोजन पूरा नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि यदि यह विधेयक त्रुटिपूर्ण है तो उन त्रुटियों को तत्काल ही ठीक क्यों नहीं कर दिया जाता? ऐसा हो तो सकता है परन्तु उससे लाभ नहीं होगा। संविधान में एकाध संशोधन कर देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये तो कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। संविधान के विभिन्न उपबन्धों का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही इस तरह की कोई चीज हो सकेगी।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि पूर्ण एकीकरण के बाद भी ऐसा अनुच्छेद आवश्यक है?

श्री नन्दा : यदि इरादा संशोधन का है तो उसका तरीका तो बहुत ही सीधा सादा है और अनुच्छेद 370 में इसका उपबन्ध है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बरद्वान) : क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की धारा (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे। इस धारा में कहा गया है :

"इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तनहीन, अथवा ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में होगा जैसे कि वह उल्लिखित करे।"

श्री खाडीलकर (खेड) : आप परन्तुक छोड़ रहे हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी : उसमें कुछ नहीं है। उसमें कहा गया है :

"परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारीश आवश्यक होगी।"

संविधान सभा अब नहीं रही इसलिये परन्तुक का कोई अर्थ नहीं रहता।

एक बात और। माननीय मंत्री ने बताया कि अनुच्छेद 368 के साथ एक और चीज संलग्न है। वह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना ठीक नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

श्री नि० चं० चटर्जी : उसमें यही लिखा है :

"परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा संशोधन जम्मू और काश्मीर राज्य के संबंध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।"

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने में कोई रूकावट नहीं है।

श्री नन्दा : मैं जल्दी में कोई आश्वासन नहीं दूंगा। संविधान के बारे में कई अलग अलग मत होते हैं। उदाहरणार्थ खंड (3) के बारे में एक राय यह भी है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं रही।

श्री नि० चं० चटर्जी : किस ने कहा है ?

श्री नन्दा : हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चीज हम करना चाहते हैं वह एक अन्य ढंग से भी हो सकती है जो अधिक सरल है। स्वयं अनुच्छेद 370 में इस बात का उपबन्ध है कि राष्ट्रपति के आदेश से कोई भी उपबन्ध जम्मू और काश्मीर में लागू हो सकता है। इस विधेयक के पारित हो जाने से उस राज्य के लोगों को बहुत कष्ट होगा...

कुछ माननीय सदस्य : कैसे ?

श्री नन्दा : यह मेरा विचार है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : जम्मू और काश्मीर के सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

श्री नन्दा : मैं ने दो बाते बताई हैं। एक यह है कि क्या अनुच्छेद 370 को निकाल देने से शेष सारे परन्तुक हट जायेंगे ? यदि एक विधेयक से ही यह प्रयोजन पूरा होता है तो हम इससे कहीं अच्छा विधेयक ला सकते हैं परन्तु वह आवश्यक नहीं है। इसी अनुच्छेद के प्रयोग से यह प्रयोजन अधिक अच्छी तरह पूरा हो सकता है और गत वर्षों में इसका ऐसा ही प्रयोग किया गया है। एक सक्रिय ढंग से

जम्मू तथा काश्मीर को भारत के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार धीरे धीरे बीच की रुकावटों को दूर करने की नीति का इस सभा ने समर्थन किया है। अनुच्छेद 370 को रखें या न रखें तथ्य यह है कि उसमें कोई सार नहीं रहा है। अब तो यह एक खोल ही है जिसमें से सब कुछ निकाल लिया गया है।

जम्मू तथा काश्मीर के माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके राज्य के लोगों को कई ऐसे लाभ नहीं मिलते जो शेष भारत की जनता को प्राप्त हैं। यदि संविधान के किसी उपबन्ध के लागू न किये जाने के कारण वहां के लोग किसी चीज से वंचित रहते हैं तो इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर महीने दो महीने के बाद स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाता है और कुछ उपबन्ध लागू किए जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : इसमें जल्दी होनी चाहिए।

श्री नन्दा : मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं।

श्री डी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : पिछले तीन महीनों में इस बारे में आपने क्या किया है ?

श्री नन्दा : जब से वहां श्री सादिक की नई सरकार बनी है, यह काम बड़ी तेजी से हो रहा है और राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा इन विषयों सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्ध लागू किए गए हैं—श्रमिकों, कानूनी, चिकित्सा तथा अन्य व्यवसायों का कल्याण, वस्तुओं में व्यापार तथा वाणिज्य और उनका उत्पादन संभरण तथा वितरण, मूल्य नियंत्रण, स्वर्ण नियंत्रण, खानों में सुरक्षा, अत्यावश्यक आंकड़े, व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय। संसद् सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में भी विचार हो रहा है। राज्य के सदरे-रियासत तथा प्रधान मंत्री के पद को बदलने के लिए एक विधेयक उन्होंने प्रवर समिति को सौंपा है। अनुच्छेद 356 तथा 357 के उपबन्धों को भी वहां लागू करने का निर्णय हो गया है। संघ सूची की प्रविष्टियां 43 और 78 तथा अनुवर्ती सूची की प्रविष्टियां 33 तथा 34 भी लागू की जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि एकरूपता लाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है।

मैं जम्मू तथा काश्मीर के पद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को ऐसा सन्देह है कि जम्मू तथा काश्मीर के भारत के साथ पूर्ण एकीकरण में कुछ कमी है। यह सन्देह निराधार है। यह समझना बिल्कुल गलत है कि इस समय पूर्ण एकीकरण नहीं है और अनुच्छेद 370 को हटा देने से ही ऐसा हो सकेगा। श्री चागला ने सुरक्षा परिषद् में कहा था कि काश्मीर का भारत में विलय अपरिवर्तनीय है और दोनों के बीच जो वर्तमान सम्बन्ध है वही जारी रहेंगे। मैंने भी एक बार यहां कहा था कि इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। जम्मू तथा काश्मीर का भारत में विलय विश्व साहित्य का तथ्य है। यह विलय सम्पूर्ण, अन्तिम तथा अपरिवर्तनीय है, ऐसा ही जैसे कि भारत के किसी अन्य भूतपूर्व राज्य का।

यह भी कहा गया कि हम एक ढीली-ढाली घुटने-टेक नीति अपनाते रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं किसी के डर से नहीं करते, हम राष्ट्रीय हितों को सामने रख कर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कुछ लक्ष्य हैं और एक विशेष ढंग से हमें सफलतापूर्वक उन्हें प्राप्त करना है ; यह नहीं कि थोड़ा-बहुत कुछ करके ही सन्तुष्ट हो जाना है। अतः मैं यह अपील करता हूं कि लक्ष्य हमारा एक है, हम इस बात पर भी एक हैं कि तेजी से यह लक्ष्य पूरा करना है परन्तु उसके लिये वही तरीका अधिक अच्छा, आसान और सादा है जो मैं ने बताया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या जम्मू तथा काश्मीर में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारत से उस राज्य के पूर्ण एकीकरण या अनुच्छेद 370 के हटाये जाने के विरुद्ध हैं ?

श्री नन्दा : उस राज्य का कोई उत्तरदायी व्यक्ति इसके विरूद्ध नहीं है और विशेषत: वहां की सरकार इन सारी बातों में प्रगति करने में बड़ी सहायक है।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, the history of Jammu and Kashmir is the history of the mistakes of the Government of India since independence and I thought that Shri Nanda might atone for them while replying to the debate on this Bill. But the fact, on the other hand, is that another historical error has been added by rejecting a Bill which has been supported by the whole House. I regret that this Government which champions the cause of democracy so eloquently has turned down a Bill unanimously favoured by members of all the parties.

Without touching upon how Sardar Patel felt the inclusion of this unfortunate article in the Constitution, I must say that article 370 was an emergency provision and such provisions cannot be raised as iron walls for an indefinite period. They are intended for a few days, or a few months or, say a few years.

The hon. Home Minister has said that this Bill suffers from legal deficiencies. I would have been pleased if he would have proposed to refer it to a Select Committee where these deficiencies could be removed or to introduce a more comprehensive bill on his own initiative or even if he would have announced that the Constitution of India would be applied to Jammu & Kashmir in full as to other states in the country. Personally I feel that the Government is being ill-advised in this regard and is afraid of some imaginary dangers and complications that may crop up if article 370 is abrogated.

The reply given to one of my questions on the 30th November reflects Pakistan's stand on Kashmir *vis-a-vis* the policy of our Government in that regard. The Govt. of Pakistan had arrested President Khurshid of Azad Kashmir and sent their own administrators to replace the local officials there. I wanted to know why that issue was not being referred to the Security Council. The Government's reply was that they had seen press reports to that effect. I do not know what our High Commissioner is doing there. Later on, a protest note was sent from here to which the Pakistan Govt. did not even reply.

I should be excused if I say that it is only because of the veto exercised by the U.S.S.R. in the Security Council that Kashmir is with us. Let me warn the Government that the U.S.S.R. is no longer in the hands of Khrushchev and we cannot be sure about that contry's policy in future. By keeping article 370, we shall be leaving room for the world to doubt whether Jammu and Kashmir is as much a part of India as other States.

It has also been said that legal experts would have to be consulted in this respect. Are there legal experts more learned than Shri Chagla and Shri N. C. Chatterjee ? And both these eminent experts have expressed themselves in favour of the abrogation of article 370. Above all, article 370 is by now half-dead. It refers to the Constituent Assembly and the Raja of Jammu and Kashmir and now there is neither the one nor the other. The maintenance of this article would therefore, be the profanation of the Constitution and violation of the feelings of the country.

It is as a result of our Government 's weak-kneed policy that Sheikh Abdullah has recently declared that leave alone one Indian Govt., not even a thousand such Governments can deprive the Kashmiris of their right of self-determination.

As revealed by Shri Hem Barua, a new flag is going to be hoisted in Kashmir tomorrow with a crescent moon and star and two clasped hands, symbolic of a pact to be concluded between Pakistan and Kashmir. The Kashmiris are in doubt as to what their future is going to be. Even after seventeen years if Kashmir slips out of our hands as a result of this Government's weak and vaccilating policy, millions of Kashmiris and the souls of those martyrs who have laid down their lives for the security of Kashmir shall never pardon this Government.

I would appeal to my friends on the Govt. benches that after having supported my Bill, they should follow the dictates of their conscience at the time of voting and not be deterred by the whip issued to them. Country comes first, party afterwards. If this unanimously acclaimed Bill falls through only because one Minister has opposed it, my friends will not only strangle democracy but smite their own conscience. It would lead to a strong agitation all over the country. It is a historical moment when we have to decide a pertinent question. I would again say that Shri Nanda should give it a second thought.

श्री शिवाजी राव देशमुख (परभणी) : श्रीमान्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत इस विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रभावी होने के लिए प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिये। परन्तु यदि हम इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो निश्चित है कि भारत के राष्ट्रपति चाहने पर भी अनुमति नहीं दे सकते। अनुच्छेद 152 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह सारे का सारा जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होता। क्या संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो सकता है जिससे संविधान का एक बड़ा भाग प्रभाव शून्य हो जाय ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि यह विधेयक प्रभावी नहीं होगा। यदि अनुच्छेद 370 हटा दिया जाता है तो और कई अनुच्छेद हैं जिनके अनेक उपबन्ध हैं।

श्री शिवाजी राव देशमुख : परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि जम्मू तथा काश्मीर की सरकार और जनता इस विधेयक से सहमत हो भी जाए और राष्ट्रपति भी अनुमति दे दें, फिर भी इससे संविधान का एक भाग प्रभावहीन हो जायगा इसलिए यह विधेयक ठीक नहीं है।

Shri Nanda : I want to give a clarification without going into the technical aspect of the question. We fully share the feelings of Shri Prakash Vir Shastri. We are not at all affected by what Pakistan says. We have certain responsibilities and we want to adopt a way which is better and more useful.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok-Sabha divided.

पक्ष में 23 ; विपक्ष में 157 ।

Ayes : 23; Noes : 157.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा 13 का संशोधन)

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 13)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैंने कुछ संशोधन भी रखे हैं। पहला यह कि विधेयक के पृष्ठ 1 की पंक्ति 1 में "तेरहवें वर्ष" के स्थान पर "पन्द्रहवां वर्ष" रखा जाए। दूसरा, पृष्ठ 1 पंक्ति 4 में "1962" के स्थान पर "1964" रखा जाये तथा तीसरा यह कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 12 से 14 के स्थान पर ये शब्द रखे जायें कि "(1क) विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ हो या बाद में, दोनों में से कोई भी पक्ष तलाक के आदेश द्वारा विवाह के विघटन की याचिका पेश कर सकेगा जिसका कारण ...."

[श्री सोनवने पीठासीन हुए।]

[Shri Sonavane in the Chair]

कोई लम्बा भाषण न देकर मैं एक दो बातें ही यहां कहना चाहता हूं। हिन्दु कानून बहुत ही व्यापक विषय है। हिन्दु कानून में सम्पत्ति, गोद लेने, विवाह, विवाह-विच्छेद आदि कई बातों के बारे में एकरूपता नहीं रही है क्योंकि हमारे देश में हिन्दू शास्त्रों की तरह अनेक विधिविज्ञ हुए हैं। एकरूपता न होने पर भी इसमें लचक सदा बनी रही है और समय तथा परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते आए हैं। उसमें जड़ता नहीं है। हमारे सामाजिक ढांचे में सदा परिवर्तन होते आए हैं परन्तु जितने भारी परिवर्तन बीसवीं शताब्दी में हुए हैं पहले कभी नहीं हुए और उन्हीं परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में इस सभा ने हिन्दू कोड बिल पारित किया था।

एक बार एक विदेशी पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपने भारत के लिये कौन से महान काम किए हैं, स्वर्गीय श्री नेहरू ने कहा कि उन्हें अधिक प्रसन्नता सामाजिक विधान पर है जिसके लिये बहुत कुछ वह स्वयं उत्तरदायी हैं। हिन्दू कोड बिल तथा अस्पृश्यता अपराध बिल उसी विधान के अंग हैं। हिन्दू कोड बिल में तीन मुख्य बातें थी। पहली थी हिन्दू विवाह की पवित्रता जो कि हमारे पूर्वजों की बपौती है और हमारी सरकार ने उसे बनाये रखा है। दूसरी बात यह कि एक समय ऐसा भी था जब हिन्दू जितनी पत्नियां चाहे रख सकता था जैसा कि चीन में होता था और शायद अब भी होता हो। परन्तु अब एक विवाह की बात हमारे संविधान में लिख दी गई है और सारे भारत में इसका पालन किया जाता है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस बिलने की वह थी विवाह-विच्छदे की शर्तें तय करना। पहले हम समझा करते थे कि विवाह तो स्वर्ग में निश्चित हो जाते हैं। परन्तु अब समय ने करवट ले ली है। जापान की तरह हम तथा अन्य देश औद्योगीकृत होते जा रहे हैं तथा पश्चिमी सभ्यता को गले लगा रहे हैं। इन परिवर्तनों का विवाह पर भी प्रभाव पड़ा है। विवाह हमारे सामाजिक ढांचे का आधारस्तंभ है। परंतु अब उस पर भी कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहे हैं। मनोविज्ञान समय की नई देन है और विवाह भी इससे अधूरा नहीं रहा। इन्हीं बातों को देखते हुए मैं यह विधेयक पेश कर रहा हूं।

अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि यदि न्यायिक विच्छेद के आदेश के बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिये सहवास नहीं हुआ है अथवा दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के आदेश की तिथि

से दो वर्ष या अधिक समय तक दाम्पत्य जीवन पुनः आरंभ नहीं हुआ है तो पति तथा पत्नी दोनों को तलाक देने का अधिकार होना चाहिये। केवल पति या केवल पत्नी को ही ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि इस प्रकार एक दूसरे के भाग्य का स्वामी हो जाता है। जहां तक कानूनी कार्यवाही का सम्बन्ध है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक का भूतलक्षी प्रभाव हो अर्थात् यह विवाहों पर लागू होना चाहे वे इस अधिनियम से पहले हुए हो या बाद में।

इस विषय पर लिखि गई पुस्तकों में भी मेरी बातों का समर्थन किया गया है। 1962 में कमलेश कुमारी-करतार चन्द मामले में पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधिश श्री ए० एन० ग्रोवर ने अपने निर्णय में इंग्लैंड का हवाला देते हुए कहा था कि वहां भी अंग्रेजी विवाह अधिनियम, 1884 की धारा 5 के अन्तर्गत पति तथा पत्नी दोनों को विवाह-विच्छेद की याचिका पेश करने का समान अधिकार है। मैं सारा निर्णय पढ़कर नहीं सूनाना चाहता परंतु मुझे विश्वास है कि सभा मुझ से सहमत होगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस विधेयक को स्वीकार कर लें क्योंकि देश के प्रगतिशील समाचार पत्रों ने भी इसका समर्थन किया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मानसिंह पृ० पटेल : श्रीमान्, मैं संशोधक विधेयक का समर्थन करता हूं। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 में यह त्रुटि है कि विवाह विफल घोषित कर दिए जाने पर एक पक्ष दूसरे की सहमति के बिना कार्यवाही नहीं कर सकता। उप-धारा (1) से (7) को देखने से पता चलता है कि यदि एक ओर से कार्यवाही होती है तो दूसरा पक्ष अनेक कठिनाइयों से गुजरे बिना उपचार का लाभ उठा सकता है परंतु जहां तक उप-धारा (8) तथा (9) का सम्बन्ध है, दोनों पक्षों के असफल होने पर भी उपचार उसी पक्ष को उपलब्ध होता है जिसने न्यायिक विच्छेद के लिए कानूनी कार्यवाही शुरु की हो परंतु ऐसे विच्छेद की आज्ञा मिल जाने पर यदि बाद में वह पक्ष तलाक न लेना चाहता हो तो दूसरे पक्ष को भी कई वर्ष प्रतिक्षा करनी पड़ती है। इस विधेयक में इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। एक पक्ष को केवल इसलिये अधिक लाभ देना कि उसने कानूनी कार्यवाही में पहल की है उचित नहीं है। दोनों पक्षों को एक सा अधिकार होना चाहिये।

श्रीमति यशोदा रेड्डी (करनूल) : मंत्री महोदय को इस विधेयक को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। विवाह के बाद यदि पति पत्नी ठीक तरह निर्वाह कर सकें तो अच्छा है और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो दोनों को तलाक का समान अधिकार मिलना चाहिये। यह विधेयक यहां पेश करने पर हम श्री शर्मा को बधाई देते हैं।

Shrimati Savitri Nigam (Banda) : I support this amending Bill wholeheartedly. The purpose of having the provision of divorce in the Hindu Marriage Act after a lot of consideration was that in a case where differences between the two parties are beyond any agreement, they could have legal permission for divorce. What used to happen earlier was that a man could remarry but a woman, suppressed by and even separated from her husband, did not enjoy that right. It gave rise to many social evils and it was found necessary that right of divorce should be given to both. Even after that a lacuna was left in the Act. Although both the parties were suffering as a result of this lacuna lent women suffered much more as they have always to conform to many customs and traditions. If so happens in many cases that the husband gets a decree for judicial separation but later on does not apply for divorce, leads an immoral life and thus tortures his wife. She is not free to start a new life. It is, therefore, necessary to remove that lacuna and give women their fundamental right to live freely if their marriage is a failure.

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : इस विधेयक को लाने के लिये में अपने मित्र श्री शर्मा को बधाई देता हूं। हिन्दू कानून इस बात पर आधारित है कि विवाह एक पवित्र बन्धन है और पति-पत्नी को अपना मन-मुटाव दूर करने का प्रत्येक अवसर देना चाहिये। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में धारा 13 द्वारा हमने तलाक को कानूनी रूप दिया था। इस धारा की उप-धारा (8) तथा (9) में उस व्यक्ति को, जिसने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली अथवा कानूनी विच्छेद का आदेश लिया हो, यह अधिकार है कि इनका पालन न होने पर दो वर्ष या उसके बाद तलाक प्राप्त कर सकता है। परंतु हमारे ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जहां पति ने ऐसा आदेश तो ले लिया परंतु दो वर्षों के बाद तलाक के लिये याचिका दर्ज नहीं की। इससे अधिनियम का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। इसके फलस्वरुप स्त्रियों को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। इस विधेयक का उद्देश्य बड़ा प्रशंसनीय है और इसे स्वीकार करते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है।

सभापति महोदय : क्या श्री दी० चं० शर्मा उत्तर में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री दी० चं० शर्मा : मैं उपमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है। मैं आशा रखता हूं कि उनकी यह अनुकम्पा बनी रहेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा आरंभ करेंगें।

खंड 2–(धारा 13 का संशोधन)

सभापति महोदय : इस खंड के लिये श्री दी० चं० शर्मा का एक संशोधन है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : जी हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :--

"(1A) Either party to a marriage, whether solemnised before or after the commencement of this Act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground.....".

["(1क) विवाह इस अधिनियम के आरंभ होने से पहले हुआ हो या बाद में, दोनों में से कोई भी पक्ष तलाक के आदेश द्वारा विवाह के विघटन के लिये याचिका पेश कर सकेगा जिसका कारण . ."](3)

[श्री दी० चं० शर्मा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended was added to the Bill.

खंड 1—(छोटा नाम)

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "1962" के स्थान पर "1964" रखा जाए। (2)

[श्री दी० चं० शर्मा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "Thirteenth year" ["तेरहवां वर्ष"] के स्थान पर Fifteenth year" ["पन्द्रहवां वर्ष"] रखा जाए। (1)

[श्री दी० चं० शर्मा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा 7 का संशोधन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 7)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक सीधा साधा और निर्विवाद विधेयक है जो कि भारत के अधिकतर लोगों की भावनाओं के अनुरुप है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस विधेयक में दो छोटे से संशोधन होंगे। पहला यह कि "तेरहवे वर्ष" के स्थान पर "पन्द्रहवें वर्ष" रखा जाय और दूसरा यह कि "1962" के स्थान पर "1964" रखा जाए। ये दोनों संशोधन खंड 1 में हैं और मैं बाद में उन्हें पेश करूंगा।

विरोधी पक्ष तथा कांग्रेस में जितने भी राजा या महाराजा हैं, रानिया अथवा महारानिया हैं, उनके लिये मेरे मन में बडा आदर और सद्भावना है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : There is no quorum.

सभापति महोदय : कोरम नहीं है। सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 7 दिसम्बर, 1964/16 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बज तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 7, 1964/Agrahayana 16, 1886 (Saka).

GIPN—S4—3 Lok Sabha/65—8-7-65—600.